भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110 049

प्रतिनिधि फॉर्म

फोलियो/आईडी नं.
शेयरों की संख्या

मैं/हम .....

.....जिला .....

..... का/के .....

..... उपर्युक्त कंपनी का/के सदस्य हूं/हैं और एतद्द्वारा

.....जिला.....

को अथवा उनकी अनुपस्थिति में ....., जिला .....

को मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं, जो 30.9.2002 को अथवा उसके स्थगित होने पर किसी अन्य तारीख को आयोजित होने वाली 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरी/हमारी ओर से मतदान करेंगे।

दिनांक .....2002 को हस्ताक्षरित

एक रूपये का रसीदी टिकट

टिप्पणियां: क) फार्म पर कंपनी को दिए गए हस्ताक्षर के अनुसार टिकट के ऊपर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

ख) यह फार्म बैठक के आयोजन से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110 049

उपस्थिति-पर्ची

दिनांक 30 सितम्बर, 2002 सोमवार को
पूर्वाह्न 10.00 बजे फिक्की सभागार, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110 001
में आयोजित होने वाली 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक

उपस्थित सदस्य का नाम	
फोलियो/आईडी नं.	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रतिनिधि का नाम (यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि भाग ले रहा हो)	

मैं एतद्द्वारा 30 सितम्बर, 2002 को आयोजित 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

विधिवत् भरी गई इस पर्ची को बैठक कक्ष के प्रवेश द्वार पर सौंपा जाए।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110 049

प्रिय शेयर धारक/धारकों,

संदर्भ : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) द्वारा लाभांश का भुगतान

यदि आपने पहले से हमारे रजिस्ट्रारों यानि मैसर्स कार्वी कन्सल्टेन्ट्स लि. या निक्षेपागार सहभागी (डीमेट होल्डिंग के मामले में) को ईसीएस/बैंक लेखा विवरण प्रेषित नहीं किये हैं, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि नीचे दी गई फॉर्मेट में उक्त विवरण उपलब्ध करायें, ताकि 30 सितम्बर, 2002 को आयोजित होने वाली कम्पनी की 38वीं वार्षिक आम बैठक में घोषित होने वाले लाभांश का शीघ्र, सुरक्षित एवं सही भुगतान किया जा सके।

कृपया सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रारों/निक्षेपागार सहभागी को आप द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण सही हैं, क्योंकि उनमें कोई त्रुटि होने पर लाभांश की राशि गलत खाते में क्रेडिट हो जाएगी।

ईसीएस द्वारा तथा/या नामोद्दिष्ट बैंक खातें में लाभांश का भुगतान, जो कि लाभांश वारंट पर लिखा होगा, लाभांश वारंट के कपटपूर्ण नकदीकरण को रोकने में सहायक होगा।

कृपया आपकी अच्छी सेवा करने के प्रयास में हमारी सहायता करें।

भवदीय

(एन.के. सिन्हा)
कम्पनी सचिव

पी.एस. : यदि आपके पास डी मेट रूप में शेयर हैं, तो अपने निक्षेपागार सहयोगी को आपके बैंक खाता विवरणों/ईसीएस अधिदेश पर ध्यान रखने का परामर्श दें।

ईसीएस अधिदेश/बैंक खाता विवरणों हेतु फॉर्म

मैं/हम.....एतद्द्वारा बीएचईएल/अपने निक्षेपागार सहयोगी को

- मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्न विवरण छापने
- ईसीएस द्वारा मेरे बैंक खाते में मेरी लाभांश राशि क्रेडिट करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं

(जो लागू न हो, कृपया उसे काट दें)

मेरा/हमारा फोलियो सं. ..... डीपी आईडी सं. ..... ग्राहक खाता सं. .....

बैंक खाते का विवरण

क.	बैंक का नाम	:	.....
ख.	शाखा का नाम (केवल अधिदेश के लिए पता)	:	.....
ग.	एमआईसीआर चैक में दिए गए बैंक और शाखा के 9 अंकों की कोड संख्या	:	.....
घ.	लेखा का प्रकार (बचत/चालू)	:	.....
ङ	चैक बुक में दिए गए अनुसार लेखा सं.	:	.....
च.	शेयरधारक का एसटीडी कोड एवं दूरभाष सं.	:	.....
छ.	पैन/जीआईआर सं.	:	.....

यदि ईसीएस क्रियान्वित न हो सकी या बैंक ईसीएस को किसी कारण से समाप्त कर देता है, तो मैं/हम कम्पनी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहरायेंगे।

को प्रेषण :

मैसर्स कार्वी कंसल्टेंट्स लिमिटेड
यूनिट : बीएचईएल
105–108, अरूणाचल भवन
19 – बाराखंबा रोड
नई दिल्ली–110 001

.....
शेयरधारक के हस्ताक्षर

9 अंकों की कोड सं. की यथार्थता के सत्यापन हेतु कृपया आपके उक्त लेखा से संबंधित आपके बैंक द्वारा जारी चैक या खाली रद्द किए गए चैक की प्रति संलग्न करें।

फॉर्म 2 बी

(कृपया नियम 4 सीसीसी एवं 5 डी देखें)

नामांकन फॉर्म

(व्यक्तिगत या संयुक्त रूप में आवेदन करने वाले व्यक्ति (यों) द्वारा भरा जाए)

मैं/हम..... एवं .....और .....भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के क्रमांक ..... के शेयर/डिबेंचर/जमा रसीद धारक, नामांकन करना चाहता हूँ/चाहते हैं तथा निम्न व्यक्ति(यों), जिसमें मेरी या जिनमें हमारी मृत्यु होने पर अंतरण और/या शेयरों या डिबेंचरों या निक्षेपों से सम्बद्ध देय राशि के सभी अधिकार निहित हैं, को नामित करता हूँ/करते हैं।

नामित/नामितों के नाम एवं पता/पते

नाम : .....

पता : .....

.....

जन्मतिथि* : .....

(*नामित के नाबालिग होने के मामले में भरा जाए)

**नामित नाबलिग है, जिसका अभिभावक ..... है

नाम एवं पता .....

.....

(**यदि लागू न हो, तो हटा दिया जाए)

हस्ताक्षर : .....
नाम : .....
पता : .....
तिथि : .....

हस्ताक्षर : .....
नाम : .....
पता : .....
तिथि : .....

हस्ताक्षर : .....
नाम : .....
पता : .....
तिथि : .....

दो गवाहों के पते, नाम एवं हस्ताक्षर

	नाम एवं पता	तिथि सहित हस्ताक्षर
1.		
2.		

अनुदेश :

1. केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही नामांकन किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी ओर से एकल या संयुक्त रूप से शेयरों/डिबेंचरों के लिए आवेदन किया हो या धारक हो। सोसायटी, न्यास, बॉडी कॉर्पोरेट, साझेदारी फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा धारी सहित गैर-व्यक्तिगत नामित नहीं कर सकते। यदि शेयर संयुक्त रूप से धारण किए हुए हैं, तो सभी शेयरधारक नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के तौर पर स्थान उपलब्ध कराया गया है। यदि संयुक्त धारक अधिक हैं, तो शेयरों/डिबेन्चरों के धारकों तथा गवाह के हस्ताक्षर के लिए अधिक शीटें प्रयोग में लायी जा सकती हैं।
2. शेयरों/डिबेन्चरों/निक्षेपों के धारक द्वारा नाबालिग को नामित किया जा सकता है तथा उस स्थिति में धारक द्वारा अभिभावक का नाम और पता दिया जाएगा।
3. न्यास, सोसायटी, बॉडी कॉर्पोरेट, साझेदारी फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता या मुख्तारनामा धारक नामित नहीं होगा। अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तन के आधार पर नामित हो सकता है।
4. शेयर/डिबेन्चर के अंतरण या किए गए निक्षेपों के पुर्नभुगतान/नवीकरण पर नामांकन विखंडित हो जाता है।
5. वैध वारिस के खिलाफ कम्पनी द्वारा नामित के पक्ष में शेयर/डिबेंचर का अंतरण तथा नामित को निक्षेप की राशि का पुर्नभुगतान वैध निर्वहन होगा।
6. कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को नामांकन/नामांकन फॉर्म के संबंध में सूचना दो प्रतियों में देनी होगी, जो उनमें से एक प्रति शेयर/डिबेंचर या निक्षेपों के धारक को वापस करेगी/करेगा।

विषय – सूची

वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना 9

बीएचईएल एक दृष्टि में 12

पांच वर्षों का सार 14

निदेशकों की रिपोर्ट 15

- प्रबंध चर्चा एवं विश्लेषण
- लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा नि. एवं म.ले.प. की टिप्पणियां
- ऊर्जा संरक्षण, इत्यादि
- कॉर्पोरेट शासन
- लिस्टिंग करार के अनुसार नियुक्ति/ पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त जीवन–वृत्त

परीक्षित लेखे 56

- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
- तुलन–पत्र
- लाभ–हानि लेखा
- अनुसूचियां

नकद प्रवाह विवरण 95

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110 049

सूचना

सूचित किया जाता है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, 30 सितम्बर, 2002 को 10.00 बजे (पूर्वाह्न) फिक्की सभागार, बाराखम्भा रोड (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली-110 001, में आयोजित की जाएगी, जिसका कार्यक्रम निम्नानुसार है :

सामान्य कार्यक्रम

1. कंपनी के 31 मार्च, 2002 के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा और उस पर निदेशकों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना।
2. लाभांश की घोषणा करना।
3. श्री एच.डब्ल्यू. भटनागर के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो चक्रानुक्रम से सेवा-निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर पुन: नियुक्ति के लिए अपना नाम प्रस्तावित करेंगे।
4. श्री आर.सी. अग्रवाल के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो चक्रानुक्रम से सेवा-निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर पुन: नियुक्ति के लिए अपना नाम प्रस्तावित करेंगे।
5. श्री सी. श्रीनिवासन के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो चक्रानुक्रम से सेवा-निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने पर पुन: नियुक्ति के लिए अपना नाम प्रस्तावित करेंगे।
6. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

विशेष कार्यक्रम

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर आशोधन करके या बिना आशोधन के इसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

   ''संकल्प किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र कुमार जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 के साथ पठित कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67 के अनुसरण में कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस पद पर मौजूद हैं और जिनके संबंध में कंपनी ने उनकी ओर से लिखित रूप में नोटिस प्राप्त किया है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के उपबंधों के अनुसरण में है, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर आशोधन करके अथवा बिना आशोधन के इसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

   ''संकल्प किया जाता है कि श्री शरद उपासनी, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 260 के साथ पठित कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67 के अनुसरण में कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस पद पर मौजूद हैं तथा जिनके संबंध में कंपनी ने स्वयं निदेशक से लिखित रूप में नोटिस प्राप्त किया है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के उपबंधों अनुसरण में है, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।''

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर आशोधन करके अथवा आशोधन के बगैर इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   ''संकल्प किया जाता है कि श्री वी.के. मल्होत्रा, जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67 के अनुसरण में कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस पद पर बने रहेंगे तथा जिनके संबंध में कंपनी ने शेयर धारक के रूप में भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार से लिखित रूप में नोटिस प्राप्त किया है जिसमें इनका नाम निदेशक पद के लिए प्रस्तावित किया गया है और जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 257 के उपबंधों के अनुसरण में है, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह./-
(एन.के. सिन्हा)
कंपनी सचिव

नई दिल्ली
दिनांक : 2 सितम्बर, 2002

पंजीकृत कार्यालय
''बीएचईएल हाउस'', सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110 049.

टिप्पणियां :

1. बैठक में उपस्थित होने और मतदान के लिए हकदार सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने और मतदान के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए हकदार हैं और इस प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत् भरा हुआ प्रतिनिधि फॉर्म वार्षिक सामान्य बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करा दिया जाना चाहिए। कोरा (ब्लैंक) प्रतिनिधि फॉर्म संलग्न है।

2. उपर्युक्त विशेष कार्यक्रम के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में संगत व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

3. नियुक्ति और पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित प्रत्येक निदेशक का संक्षिप्त विवरण निदेशक रिपोर्ट के अनुबंध 5 में दिया गया है।

4. सदस्य पंजी और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां सदस्यों द्वारा अनुमोदित लाभांश, यदि कोई है, के भुगतान के लिए 10 सितम्बर, 2002 से 28 सितम्बर, 2002 तक (दोनो दिनों सहित) बन्द रहेंगी।

5. सदस्यों को सुझाव दिया जाता है कि वे अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (ईसीएए) मैन्डेट विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित फॉर्म (वार्षिक रिपोर्ट में कहीं भी दिया गया हो) में प्रस्तुत करें।

6. 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा इक्विटी शेयरों पर सिफारिश किया गया लाभांश कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में मंजूर हो जाने पर, सदस्यों द्वारा लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अंदर अर्थात् 29 अक्टूबर, 2002 को या इसके पूर्व उन शेयर धारकों को संदेय होगा, जिनके नाम कंपनी की सदस्य पंजी में मौजूद होंगे या जिनके नाम मंगलवार, 10 सितम्बर, 2002 को जमाकर्ता के रिकार्डों में शेयरों के हिताधिकारी स्वामी के रूप में दर्ज होंगे। वित्त अधिनियम 2002 के द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अनुसरण में, लाभांश 2500 रु. से अधिक होने पर स्रोत पर कर की कटौती लागू दरों से की जाएगी। जिन शेयरधारकों की वार्षिक आय कर योग्य सीमा से अधिक होने की संभावना नहीं है उनसे अनुरोध है कि फॉर्म 15-जी को विधिवत् भरकर और हस्ताक्षर करके उसमें विहित तरीके से सत्यापित करके कम्पनी के शेयर विभाग/आरटीए कार्वी कंसल्टेंट्स लिमिटेड को 25 सितम्बर, 2002 तक प्रस्तुत करें, ताकि कंपनी इन लाभांशों का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती किए बगैर कर सके।

7. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205-ग के साथ पठित धारा 205क के अनुसरण में लाभांश की राशियां, जो कि 7 वर्षों से अप्रदत्त/अदावाकृत हैं, केन्द्रीय सरकार के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित की जानी अपेक्षित हैं। तत्पश्चात् उक्त राशि पर सदस्यों का कोई दावा नहीं रह जाएगा। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 1994-95 का देय लाभांश, जो कि अदावाकृत है, 27 सितम्बर, 2002 के बाद और 1995-96 के बाद के वर्षों के लिए उनकी क्रमश: नियत तारीखों को उक्त खाते में अंतरित कर दिया जाए।

   जिन सदस्यों ने 31.3.1995 को समाप्त वित्तीय वर्ष अथवा बाद के किसी वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए अपने लाभांशों को नकदीकृत नहीं कराया है वे निर्धारित 7 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले उनका भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी से सम्पर्क करें।

8. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139क (5) और (5क) के संदर्भ में कंपनी आयकर कटौती प्रमाण-पत्र, जहां कहीं भी लागू होगा, तभी जारी कर सकेगी, जबकि निर्धारणकर्त्ता अधिकारी का स्थायी खाता सं. (पैन) और पदनाम तथा वार्ड/सर्किल अथवा रेंज संबंधी ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं। अत: टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करें।

9. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 109क के संदर्भ में सदस्य फॉर्म 2ख (वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है) में उस व्यक्ति को नामित करके नामांकन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिन्हें सदस्य की मृत्यु होने पर कंपनी में उसके शेयर प्राप्त होंगे।

10. धारा 619(2) के अनुसरण में, सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक की नियुक्ति/पुर्ननियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और धारा 224 की उपधारा (8) के खंड (कक) के सदंर्भ में उनका पारिश्रमिक आगामी आम बैठक में कंपनी द्वारा नियत किया जाएगा। वर्ष 2002-2003 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अभी की जानी है। आम बैठक बोर्ड को प्राधिकृत कर सकती है कि वह कार्य की मात्रा में वृद्धि और वर्तमान मुद्रास्फीति पर विचार करने के बाद 2002-2003 के लिए लेखापरीक्षकों का समुचित पारिश्रमिक निर्धारित करें।

11. कॉर्पोरेट सदस्य को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तभी माना जाएगा जबकि वह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 187 के अनुसार प्रतिनिधित्व करे, अर्थात् यदि कॉर्पोरेट सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करते समय बोर्ड के संकल्प/पावर ऑफ अटार्नी की प्रमाणित प्रति प्रेषित करें।

12. सदस्यों से अनुरोध है कि उनके पते में कोई परिवर्तन होने पर निम्नलिखित को तत्काल सूचित करें :

    क) इलेक्ट्रॉनिक शेयर लेखे के संबंध में अपने निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) सहभागियों को, और

    ख) प्रत्यक्ष शेयरों के संबंध में कंपनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में, जिसमें उनके फोलियो नं., बैंकर के नाम तथा खाता संख्या का भी उल्लेख किया जाए ताकि लाभांश वारंट तुरंत और सुरक्षित स्थिति में प्राप्त किए जा सकें।

13. बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संलग्न हाजिरी पर्ची को भरकर बैठक के स्थान पर प्रवेश के समय प्रस्तुत करें। फिर भी, सभागार में प्रवेश उस स्थान पर काउंटरों पर उपलब्ध प्रवेश-पत्र के आधार पर ही होगा, जो हाजिरी-पर्ची के बदले में दिया जायेगा।

14. कंपनी के लेखों और परिचालन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व कंपनी को अपने प्रश्न (क्वेरीज़) भेजें ताकि अपेक्षित जानकारी बैठक में तुरंत उपलब्ध कराई जा सके।

15. सदस्यों से अनुरोध है कि वे-

    (क) बैठक के समय वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस और हाजिरी पर्ची

की अपनी प्रतियां लाएं।

(ख) सभी पत्रों पर अपना फोलियो नं. लिखें।

(ग) सुरक्षा की दृष्टि से सभागार के अंदर ब्रीफकेस अथवा बैग ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) यह नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक में कोई उपहार नहीं दिया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह./-
(एन.के. सिन्हा)
कंपनी सचिव

नोटिस का अनुबन्ध

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण में दिनांक 2 अगस्त, 2002 के संलग्न नोटिस की मद संख्या 7 से 9 तक में उल्लिखित कार्यक्रम से सम्बंधित वास्तविक तथ्यों का उल्लेख है।

मद संख्या 7

लगभग 58 वर्ष के श्री वीरेन्द्र कुमार, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। भारत सरकार के निदेशानुसार, श्री वीरेन्द्र कुमार को दिनांक 1.11.2001 से कंपनी का निदेशक (ईआर एंड डी) नियुक्त किया गया था और वे अपनी अधिवर्षिता की तारीख 31.1.2004 तक इस पर बने रहेंगे। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67 (IV) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 के अधीन इस नियुक्ति के फलस्वरूप श्री वीरेन्द्र कुमार आगामी वार्षिक आम बैठक तक इस पद पर हैं तथा फिर से नियुक्ति के पात्र हैं।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 257 के संदर्भ में कंपनी ने स्वयं निदेशक से 500/- रु. के जमा के साथ लिखित रूप में नोटिस प्राप्त किया है, जिसमें उन्होंने कंपनी के निदेशक पद के लिए अपना नाम प्रस्तावित किया है।

श्री वीरेन्द्र कुमार को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक इस संकल्प से किसी भी प्रकार संबंद्ध नहीं है अथवा इसके लिए इच्छुक नहीं है।

निदेशक मंडल शेयर धारकों से इस संकल्प के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

मद संख्या 8

63 वर्षीय श्री शरद उपासनी मुम्बई विश्वविद्यालय से एम.कॉम और एल.एल.बी. तथा अमेरिका से एम.बी.ए. हैं। भारत सरकार के निदेशानुसार श्री उपासनी को दिनांक 26.12.2001 से 25.12.2004 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67 (IV) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 के द्वारा इस नियुक्ति के फलस्वरूप, श्री उपासनी, आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक इस पद पर बने रहेंगे और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अंतर्गत कंपनी ने स्वयं निदेशक से 500/- रु. जमा के साथ लिखित रूप में एक नोटिस भी प्राप्त किया है, जिसमें उन्होंने कंपनी के निदेशक पद के लिए अपना नाम प्रस्तावित किया है।

श्री उपासनी को छोड़कर कंपनी का कोई निदेशक इस संकल्प से किसी भी प्रकार से संबद्ध नहीं है अथवा इसके लिए इच्छुक नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों से इस संकल्प के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

मद संख्या 9

56 वर्षीय श्री वी.के. मल्होत्रा भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति व प्रवर्तन विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। भारत सरकार के निदेशानुसार श्री मल्होत्रा को 30.7.2002 से श्री के.के. जसवाल के स्थान पर कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी के संगम अनुच्छेद 67 (IV) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 के द्वारा इस नियुक्ति के फलस्वरूप श्री मल्होत्रा आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस पद पर बने रहेंगे और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अंतर्गत कंपनी ने शेयरधारक के रूप में भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग से 500/- रु. जमा के साथ लिखित रूप में एक नोटिस भी प्राप्त किया है, जिसमें उन्होंने कंपनी के निदेशक पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया है।

श्री मल्होत्रा को छोड़कर कंपनी का कोई निदेशक इस संकल्प से किसी भी प्रकार से संबंद्ध नहीं है अथवा इसके लिए इच्छुक नहीं है। निदेशक मंडल शेयर धारकों से इस संकल्प के अनुमोदन की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह./-
(एन.के.सिन्हा)
कंपनी सचिव

नई दिल्ली
दिनांक : 2 सितम्बर, 2002

पंजीकृत कार्यालय :
''बीएचईएल हाउस'', सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110 049

बीएचईएल एक दृष्टि में

(रु. मिलियन में)

	2000-01	2001-02	परिवर्तन (%)
कुल ब्रिकी	63478	72866	14.79
परिवर्धित मूल्य	26603	30740	15.55
कर्मचारी (संख्या) 1.1.2001/2002 को	52225	47729	-8.61
कर-पूर्व लाभ	2941	6628	125.37
कर-पश्चात् लाभ	3126	4679	49.69
लाभांश	734	979	33.38
लाभांश-कर	75	0	-100.00
प्रतिधारित अर्जन	2317	3700	59.69
शुद्ध परिसंपत्तियां	87903	92974	5.77
निवल मूल्य	36018	42203	17.17
उधार	10256	6658	-35.08
ऋण : इक्विटी	0.28	0.16	-44.60
प्रति शेयर (रुपये में)			
- निवल मूल्य	147.16	172.43	17.17
- अर्जन	12.77	19.12	49.69
- लाभांश	3.00	4.00	33.38

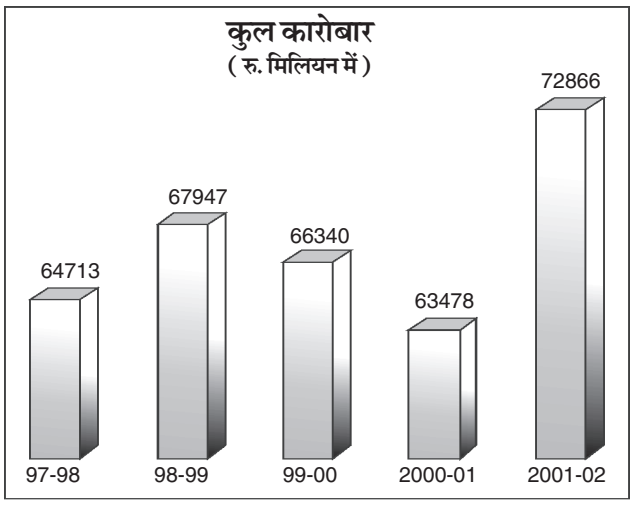

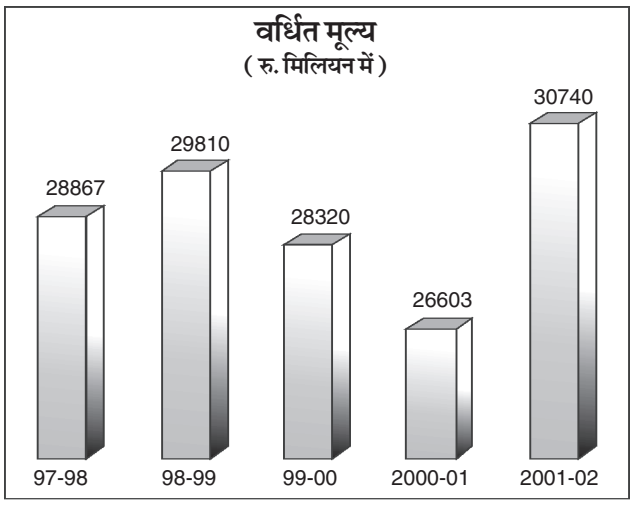

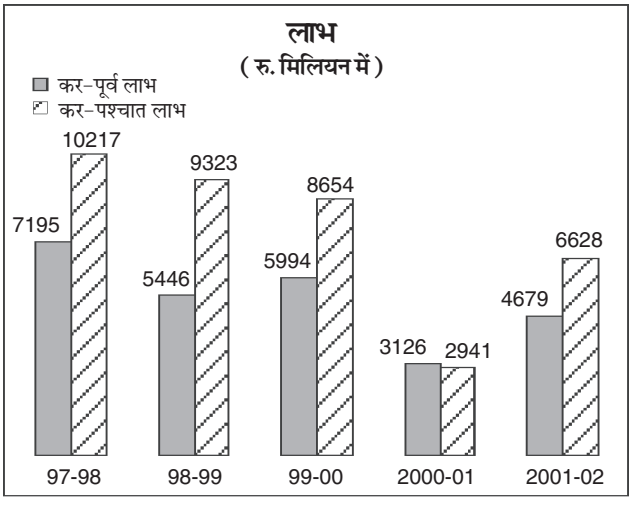

कुल कारोबार
(रु. मिलियन में)
64713
67947
66340
63478
72866
97-98
98-99
99-00
2000-01
2001-02

वर्धित मूल्य
(रु. मिलियन में)
28867
29810
28320
26603
30740
97-98
98-99
99-00
2000-01
2001-02

लाभ
(रु. मिलियन में)
कर-पूर्व लाभ
कर-पश्चात लाभ
7195
10217
5446
9323
5994
8654
3126
2941
4679
6628
97-98
98-99
99-00
2000-01
2001-02

नियोजित पूंजी
(रु. मिलियन में)
29846
32526
35985
46274
45815
97-98
98-99
99-00
2000-01
2001-02

प्रति शेयर निवल मूल्य
(रु)
106
125.9
137.2
147.2
172.4
97-98
98-99
99-00
2000-01
2001-02

प्रति शेयर अर्जन
(रु)
29.4
22.3
24.5
12.8
19.1
97-98
98-99
99-00
2000-01
2001-02

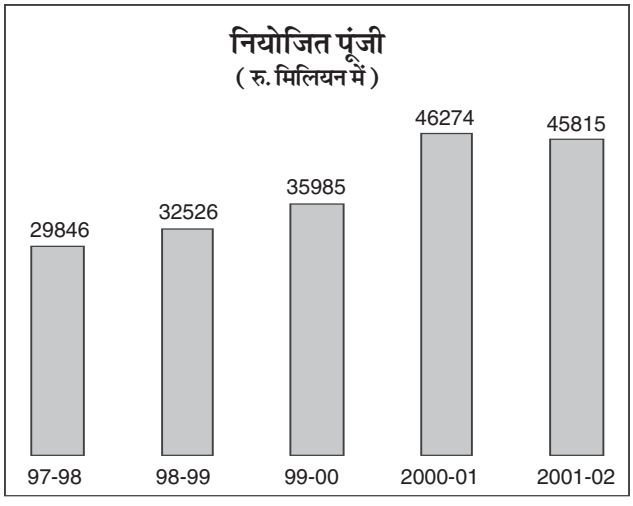

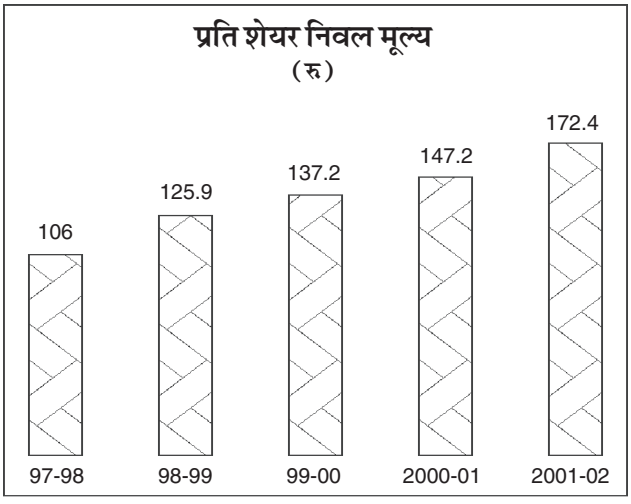

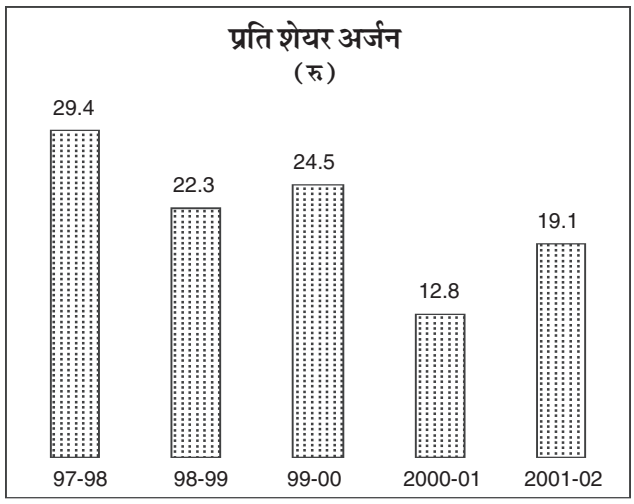

पाँच वर्षों का सार

(रु. मिलियन में)

		2001-2002	2000-01	1999-2000	1998-99	1997-98
I.	**आय**					
	उत्पादों की बिक्री व ग्राहकों को सेवाएं	72866	63478	66340	67947	64713
	अन्य आय	5046	5350	4959	5824	3785
	स्टॉक में परिवर्तन	-373	2507	-237	823	-133
	कुल आय	77539	71335	71062	74594	68365
	सामग्री	33068	30496	28120	30495	28382
	कर्मचारियों को भुगतान	14446	21702 *	11330	12416	9525
	अन्य निर्माण, प्रशासनिक एवं बिक्री व्यय	20735	14180 **	21206	20595	18403
	ब्याज तथा मूल्यह्रास से पहले के व्यय	68249	66378	60656	63506	56310
	मूल्यह्रास, ब्जाज और कर से पहले का लाभ	9290	4957	10406	11088	12055
	मूल्य ह्रास	1692	1578	1535	1432	1242
	सकल लाभ	7598	3379	8871	9656	10813
	ब्याज	970	438	217	333	596
	कर-पूर्व लाभ	6628	2941	8654	9323	10217
	कर के लिए प्रावधान	1949	-185	2660	3877	3022
	कर-पश्चात् लाभ	4679	3126	5994	5446	7195
	लाभांश (लाभांश कर सहित)	979	809	855	679	673
	प्रतिधारित लाभ	3700	2317	5139	4767	6522
	* इसमें 1.1.97 से 31.3.2000 तक का 7078 मिलियन रु. का वेतन पुनरीक्षण बकाया शामिल है।					
	** 5140 मिलियन रु. वेतन बकाया के संबंध में किया गया प्रावधान समाप्त करने के बाद					
II.	**कंपनी की निजी संपत्तियाँ**					
	सकल ब्लॉक	31820	30040	28109	26573	24236
	घटाएं : संचित मूल्यह्रास और पट्टा समायोजन	20054	18614	17230	15948	14651
	शुद्ध ब्लॉक	11766	11426	10879	10625	9585
	पूंजीगत चालू कार्य	567	612	724	733	635
	पूंजी निवेश	103	103	103	151	241
	चालू परिसंपत्तियां और ऋण तथा अग्रिम	80538	75762	70190	65385	60282
	कुल शुद्ध परिसंपत्तियां	92974	87903	81896	76894	70743
III.	**कंपनी की देनदारियां**					
	उधार (पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के क्रेडिट सहित)	6658	10256	2407	1701	3896
	चालू देयताएं एवं धन-व्यवस्था	47159	41630	45911	44368	40897
	कुल देयताएं	53817	51886	48318	46069	44793
IV.	**कंपनी का शुद्ध मूल्य**					
	शेयर पूंजी	2448	2448	2448	2448	2448
	आरक्षित तथा अधिशेष	42248 @	35856	33539	28400	23633
	घटाएं - आस्थगित राजस्व व्यय	2493	2286	2409	23	131
	शुद्ध मूल्य	42203	36018	33578	30825	25950
V.	**परिवर्धित मूल्य**	30740	26603	28320	29810	28867
VI.	**नियोजित पूंजी**	45815	46274	35985	32526	29846
VII.	**अनुपात**					
	शुद्ध परिसंपत्तियों पर पीबीडीआईटी (%)#	10.3%	5.8%	13.1%	15.0%	17.1%
	नियोजित पूंजी पर सकल लाभ (%)#	16.5%	8.2%	25.9%	30.9%	37.5%
	प्रति शेयर आय (रू.)	19.12	12.77	24.49	22.25	29.39
	प्रति शेयर शुद्ध मूल्य (रू.)	172.43	147.16	137.17	125.92	106.00
	चालू अनुपात	1.71	1.82	1.53	1.47	1.47
	कुल ऋण/इक्विटी	0.16	0.28	0.07	0.05	0.15

@ 31.3.2002 को आस्थगित कर संपत्तियों के लिए 3046 मिलियन रु. शामिल हैं।

औसत शुद्ध परिसंपत्तियों एवं नियोजित पूंजी के आधार पर

निदेशकों की रिपोर्ट

आपका निदेशक मण्डल 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के साथ अपनी 38वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

प्रमुख निष्पादन

उद्योग जगत में मंदी का रूख होने के बावजूद आपकी कंपनी ने 2001-2002 में एक और सफलतापूर्ण वर्ष पूरा कर लिया है और 4679 मिलियन रुपए का निवल लाभ दर्ज किया है। कंपनी का निवल मूल्य 2000-2001 में 36018 मिलियन रुपये से बढ़कर 2001-2002 में 42203 मिलियन रुपये हो गया है, जो कि 17.17% की वृद्धि दर्शाता है। प्रति शेयर निवल परिसम्पत्ति मूल्य 17.17% बढ़कर 2000-2001 में 147.16 रु. की तुलना में 2001-2002 में 172.43 रु. हो गया है।

2001-2002 के प्रमुख निष्पादन निम्नानुसार हैं :

(रु. मिलियन में)

	2001-2002	2000-2001	वृद्धि
कुल कारोबार	72866	63478	14.79%
कर पूर्व लाभ	6628	2941	125.37%
निवल लाभ	4679	3126	49.69%
प्राप्त ऑर्डर	98553	55572	77.34%
ईपीएस (रु.)	19.12	12.77	49.69%
प्रति शेयर निवल परिसम्पत्ति मूल्य	172.43	147.16	17.17%

2001-2002 के दौरान 98553 मिलियन रुपये के ऑर्डर प्राप्त हुए। वर्ष की समाप्ति पर लगभग 1,25,000 मिलियन रुपये के ऑर्डर 2002-2003 में और उसके बाद निष्पादन के लिए शेष थे।

वर्ष के लिए लाभ विनियोजन संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रु. मिलियन में)

	2001-2002		2000-2001	
कर-पूर्व लाभ		6628		2941
घटाएं : कर प्रावधान				
- चालू वर्ष के लिए	2455		–	
- गत वर्षों के लिए	–152		–185	
- आस्थगित कर	–354		–	
		1949		–185
कर पश्चात् लाभ		4679		3126
जोड़ें : आरक्षित निधियों से अंतरण				
- विदेश परियोजना के लिए आरक्षित निधि		49		151
		4728		3277
विनियोजन				
- विदेश परियोजना के लिए आरक्षित निधि		10		15
- बॉण्ड के प्रतिदान हेतु आरक्षित निधि		1000		–
- लाभांश - प्रस्तावित		979		734
- कॉर्पोरेट लाभांश कर		–		75
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण		2549		2453
- तुलन पत्र में अग्रेनीत		190		–
		4728		3277

2001-2002 के लिए 2447.60 मिलियन रुपये की प्रदत्त पूंजी पर 40% की दर से लाभांश की सिफारिश की गई है, जबकि 2000-2001 में यह लाभांश 30% दिया गया।

समझौता ज्ञापन के लक्ष्य वर्ष के दौरान परिचालन

वर्ष 2000-2001 में बीएचईएल का निष्पादन भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में ''अच्छा'' आंका गया है। 2001-2002 के लिए रेंटिग का मूल्यांकन किया जा रहा है।

प्रबंध चर्चा एवं विश्लेषण

प्रबंध चर्चा और विश्लेषण की रिपोर्ट अनुबंध-I में दी गयी है।

राजभाषा कार्यान्वयन

बीएचईएल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/यूनिटों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हो चुका है। सभी समितियों की बैठक नियमित रूप से होती है और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समुचित कदम उठाए जाते हैं। कंपनी के मैनुअल द्विभाषी रूप में उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट, समझौता ज्ञापन, पदोन्नति आदेश, कैलेंडर और डायरियां भी द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान आंतरिक संसाधनों के द्वारा चार हिंदी अधिकारियों, 6 सहायक हिंदी अधिकारियों, 8 हिंदी अनुवादकों, एक हिंदी आशुलिपिक और दो लिपिकों की नियुक्ति की गई। हिंदी अधिकारियों, सहायक हिंदी अधिकारियों और अनुवादकों के लिए 28 जनवरी, 2002 से 13 फरवरी, 2002 तक बीएचईएल, एचआरडीआई नोएडा में राजभाषा उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि हिंदी कार्यान्वयन के क्षेत्र में उनकी दक्षता बढ़ाई जा सके।

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बीएचईएल हिंदी समन्वयकर्त्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कम्प्यूटर पर हिंदी कार्य को बढ़ावा देने तथा हिंदी के प्रचार-प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के लिए एक विशेष प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए कार्योन्मुख प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का प्रति तिमाही के अंत में मूल्यांकन किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनेक हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

बीएचईएल इंदिरा सागर हाइड्रो प्रोजेक्ट, नर्मदा सागर साइट पर कार्यरत अपर महाप्रबंधक श्री शंभु रतन अवस्थी को उनकी पुरस्तक ''हाइड्रो

जेनरेटर के व्यावहारिक पक्ष'' के लिए वर्ष 1998-99 के डॉ. मेघनाद साहा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। श्री अवस्थी को यह पुरस्कार माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संघ राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 1 मई, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया।

निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध

लेखा परीक्षक रिपोर्ट

लेखा परीक्षक रिपोर्ट में उल्लिखित बिंदुओं के उत्तर और उनका अनुबंध तथा टिप्पणियां व ''भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा'' अनुबंध-II में दिए गए हैं।

अन्य विषय

कंपनी नियम, 1998 (निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में ब्यौरों का समापन) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 271 (1) (ङ) के उपबंधों के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय संबंधी सूचना अनुबंध-III में दी गयी है।

सेबी द्वारा विहित लिस्टिंग करार के खंड 49 के उपबंधों के अनुसार, कॉर्पोरेट शासन संबंधी सूचना अनुबंध-IV में दी गयी है।

कंपनी नियम, 1976 (कर्मचारियों संबंधी ब्यौरा) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 271 (2 क) के अधीन सूचना वर्ष 2001-2002 के लिए शून्य है।

सतर्कता

बीएचईएल के सतर्कता प्रमुख भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। बीएचईएल के प्रत्येक यूनिट/क्षेत्रीय कार्यालय में सतर्कता का एक स्वतंत्र ढांचा है, जिसके प्रमुख सतर्कता विभाग के वरिष्ठ कार्यपालक हैं और ये मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं।

2001-2002 के दौरान निवारक सतर्कता पर बल दिया गया। बीएचईएल के सभी यूनिटों/क्षेत्रीय कार्यालयों में निवारक सतर्कता पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमीनार और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वर्तमान पद्धतियों और कार्यविधियों में सुधार के लिए अनेक प्रणाली अध्ययन भी किए गए। भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यपालक प्रतिनिधियों के लिए अनेक पारस्परिक चर्चा सत्र भी आयोजित किए गए, ताकि उन्हें सतर्कता के प्रति जागरूक किया जा सके और कंपनी के नियमों, कार्यविधियों, नीतियों के बारे में उनकी जानकारी बढ़ाई जा सके। बीएचईएल के सतर्कता विभाग ने सतर्कता, चैक लिस्ट और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों से संबंधित अनेक लेखों से युक्त अपनी वार्षिक पत्रिका ''दिशा'' का प्रथम अंक भी प्रकाशित किया।

यह महसूस किया गया कि कंपनी के विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में पारदर्शक उपायों को अपनाकर अनेक सतर्कता उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अत: बीएचईएल के सतर्कता विभाग में कंपनी के परिचालन क्षेत्रों, विशेषत: ग्राहकों और आपूर्तिकर्त्ताओं के सम्पर्क क्षेत्रों में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका अदा की। वर्ष के दौरान कंपनी के कुछ यूनिटों ने ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित किए, जिनसे ग्राहकों और आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ सूचना के आदान प्रदान में आसानी हुई।

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान, बीएचईएल के सतर्कता विभाग ने विभिन्न अन्वेषण भी किए। जहां कहीं भी, अन्वेषण के दौरान कंपनी के अधिकारियों में कमी/अनियमितता पाई गई, वहां उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश की गई और उनपर शास्ति लगाई गई। आकस्मिक/नेमी निरीक्षणों को उचित महत्व दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ कमियां सामने आईं, जिनका अन्वेषण किया गया।

वर्ष 2001-2002 के दौरान बीएचईएल सतर्कता द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का भी व्यापक उपयोग किया गया। अधिकांश यूनिटों/क्षेत्रीय कार्यालयों ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए सूचना के आदान प्रदान, नियमों की जानकारी, नीतियों और परिपत्रों की जानकारी के लिए सतर्कता होम पेज तैयार किए। सतर्कता संबंधी सभी मामलों से संबंधित सूचना के ऑन लाइन स्टोरेज और प्रॉसेसिंग के लिए वर्ष के दौरान वेब आधारित सतर्कता प्रबंधन सूचना प्रणाली भी विकसित की गई।

सुरक्षा

कंपनी की एक सुपारिभाषित सुरक्षा पद्धति है। कंपनी के अधिकांश बड़े संयंत्रों की सुरक्षा का प्रबंध केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के कुछ संयंत्रों में निजी सुरक्षा व्यवस्था है, जबकि अन्य संयंत्रों, कॉर्पोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में केन्द्रीय पुलिस संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए कर्मियों को सुरक्षा कार्य में लगाया गया है। परियोजना पर प्राइवेट सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

बड़े संयंत्रों की सुरक्षा लेखापरीक्षा आसूचना ब्यूरो द्वारा समय-समय पर की जा रही है और जहां कहीं भी इसके द्वारा अतिरिक्त अपेक्षाएं प्रकट की जाती हैं वहां इनका तत्काल अनुपालन किया जाता है। चूंकि आसूचना ब्यूरो द्वारा पर्याप्त समय अंतरालों पर सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है, अत: हैदराबाद, हरिद्वार, भोपाल, तिरूची, कॉर्पोरेट आर एंड डी - हैदराबाद और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन बंगलौर संयंत्रों की आतंरिक सुरक्षा समीक्षाएं भी की गईं। इन समीक्षाओं में, पिछली समीक्षा के बाद सामने आईं अतिरिक्त सुरक्षा चेतावनियों और इन पर अपेक्षित कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई तथा वर्तमान सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ निर्णय लिए गए।

प्रबंधन, सुरक्षा स्टाफ और कंपनी के कर्मचारी कंपनी की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं।

निदेशक बोर्ड

कंपनी के निदेशक बोर्ड के गठन में पिछली रिपोर्ट से निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

नियुक्ति

श्री वीरेन्द्र कुमार को 1 नवम्बर, 2001 से निदेशक (ईआर एंड डी) के रूप में नियुक्त किया है।

श्री शरद उपासनी को 26 दिसम्बर, 2001 से अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री वी.के. मल्होत्रा, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और प्रवर्तन विभाग को 30 जुलाई, 2002 से कंपनी के अंशकालिक शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति श्री के.के. जसवाल के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए की गई है।

कंपनी के संगम अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री शरद उपासनी और श्री वी.के. मल्होत्रा कंपनी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक निदेशक पद पर बने रहेंगे और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

सेवा समाप्ति

श्री एम.के. मित्तल ने 31 अक्टूबर, 2001 को अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर निदेशक (ईआर एंड डी) का पद छोड़ दिया।

श्री के.के. जसवाल, निदेशक ने 2 जुलाई, 2002 को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और प्रवर्तन विभाग में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार का पद भार छोड़ने पर त्यागपत्र दे दिया।

निदेशक बोर्ड क्रमश: श्री एम.के. मित्तल और श्री के.के. जसवाल की बहुमूल्य सेवाओं और योगदान के लिए आभार व्यक्त करता है।

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 67(i) के अनुसार श्री एच डब्ल्यू भटनागर, श्री आर.सी. अग्रवाल और श्री सी. श्रीनिवासन आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने पर पुनर्नियुक्ति के लिए अपना नाम प्रस्तावित करेंगे।

लिस्टिंग करार के खंड 49 (vi) (क) के अनुपालन में नियुक्ति और पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण, विशेष कार्यक्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता और उन कंपनियों के नाम, जिनमें वे निदेशक पद पर कार्य कर रहे हैं, निदेशक रिपोर्ट के अनुबंध-5 में दिए गए हैं।

निदेशकों के दायित्व संबंधी ब्यौरा

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क क) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:

1. 31 मार्च, 2002 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय सामग्री प्रेषण की समुचित व्याख्या के साथ-साथ लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियां तैयार की हैं और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं, जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के अंत में कंपनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ और हानि की सही और निष्पक्ष समीक्षा की जा सकी।
3. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के उपबंधों के अनुसार लेखा का समुचित रिकॉर्ड रखे जाने पर उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया।
4. निदेशकों ने "गोइंग कन्सर्न" आधार पर 31 मार्च, 2002 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार किया है।

लेखापरीक्षक

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2000 के द्वारा यथासंशोधित धारा 619 (2) के अनुसार किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति, जैसा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में पारिभाषित है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा धारा 224 की उपधारा (8) में समाविष्ट किए गए खंड (क क) के संदर्भ में सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में नियत किया जाएगा। सामान्य बैठक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करने के बजाए अपनी ओर से निदेशक बोर्ड को इसके लिए प्राधिकृत कर सकती है।

आभार

बोर्ड कंपनी के बहुमूल्य भारतीय और विदेशी ग्राहकों को संगठन के प्रति उनके सहयोग एवं विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है और भविष्य में आपस में सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखने की आशा करता है।

बोर्ड कंपनी के कार्य संचालन और विकास संबंधी योजनाओं में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषत: भारी उद्योग विभाग से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए भी कृतज्ञतापूर्वक आभार प्रकट करता है। निदेशक बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, सांविधिक लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षकों को भी हार्दिक धन्यवाद देता है। कंपनी सभी तकनीकी सहयोगियों और आपूर्तिकर्त्ताओं, वित्तीय संस्थाओं और बैंकरों द्वारा दिए गए सहयोग की भी प्रशंसा करती है। बोर्ड बीएचईएल परिवार के सभी सदस्यों को भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता है, जिनके उत्साह, सहयोग और समर्पण से संतोषजनक कार्यनिष्पादन संभव हो सका।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

ह./-

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26 अगस्त, 2002

के. जी. रामचन्द्रन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वित्तीय परिचालन

वर्ष 2000-2001 में 64378 मिलियन रूपए की तुलना में वर्ष 2001-2002 में कुल कारोबार अब तक के सबसे अधिक 72866 मिलियन रूपए तक पहुंच गया, जो पूंजीगत माल उद्योग में निरन्तर मंदी के बावजूद 14.79% की वृद्धि है। माने गए निर्यात सहित निर्यात कारोबार वर्ष 2000-2001 में 16732 मिलियन रूपए की तुलना में वर्ष 2001-2002 में 25110 मिलियन रूपए का रहा, जो 50.07% की वृद्धि है। आर्डर बुक किए जाने की दिशा में विद्युत क्षेत्र ने वर्ष 2000-2001 मे 27372 मिलियन रूपए की तुलना में वर्ष 2001-2002 मे 70903 मिलियन रूपए का आर्डर बुक किया, जो 159.03% की वृद्धि है। वर्ष 2000-2001 में 7150 मिलियन रूपए की तुलना में वर्ष 2001-2002 के दौरान 8000 मिलियन रूपए मूल्य के निर्यात आदेश बुक किए गए थे, जो 11.89% की वृद्धि दर्शाते हैं। उद्योग क्षेत्र ने वर्ष 2000-2001 में 20630 मिलियन रूपए की तुलना में वर्ष के दौरान 19650 मिलियन रूपए का आर्डर प्राप्त किया, जो पूंजीगत माल क्षेत्र में निरंतर मंदी और उद्योग के लक्षित खण्ड में निवेश की कमी के कारण 4.75% की कमी दर्शाता है।

वर्ष 2000-2001 के लिए 26603 मिलियन रूपए की तुलना में 15.55% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2001-2002 के लिए मूल्य परिवर्धन 30740 मिलियन रूपए रहा।

वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ 6628 मिलियन रूपए रहा जो वर्ष 2000-2001 में 2941 मिलियन रूपए की तुलना में 125.37% अधिक है। उत्पादन के मूल्य की प्रतिशतता के रूप मे सकल मार्जिन (उत्पाद शुल्क घटाकर) में वर्ष 2000-2001 में 8.06% की तुलना में 13.77% की वृद्धि हुई। उत्पादन के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में कर-पूर्व लाभ वर्ष 2000-2001 में 4.78% से बढ़कर वर्ष 2001-2002 में 9.82% हो गया।

वर्ष के दौरान 4679 मिलियन रूपए के कर-पश्चात लाभ ने पिछले वर्ष 3126 मिलियन रूपए के कर-पश्चात लाभ की तुलना में 49.69% की वृद्धि दर्ज की है।

वर्ष के दौरान निवल कार्यशील पूंजी (नकद एवं बैंक शेष के अलावा) में 2189 मिलियन रूपए की कमी हुई। इस कमी में अंशदान करने वाले कारक निम्नानुसार हैं:

क. ग्राहको से ली गई अग्रिम राशि में 2750 मिलियन रूपए की वृद्धि हुई, जो आर्डर बुक करने में वृद्धि दर्शाती है।

ख. ऋणदाताओं के ऋणों में 2355 मिलियन रूपए की वृद्धि।

ग. अन्य चालू देयताओं और प्रावधानों में 424 मिलियन रूपए की वृद्धि।

घ. मालसूची में 405 मिलियन रूपए की कमी।

ङ. अन्य चालू परिसंपत्तियों और ऋण तथा अग्रिमों में 354 मिलियन रूपए की कमी।

च. तथापि, कारोबार में वृद्धि के कारण विविध देनदारों में 4099 मिलियन रूपए की वृद्धि हुई है।

दिनों की संख्या के रूप में मालसूची वर्ष 2000-2001 में 117 दिनों से घटकर वर्ष 2001-2002 में 100 दिन हो गई। कारोबार के दिनों की संख्या में विविध देनदार वर्ष 2000-2001 में 240 दिनों से घटकर वर्ष 2001-2002 में 230 दिन हो गए।

वर्ष 2000-2001 में कुल उधार 10256 मिलियन रूपए से घटकर वर्ष 2001-2002 में 6658 मिलियन रूपए हो गए, जो 3598 मिलियन रूपए की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2000-2001 में ऋण-इक्विटी अनुपात 0.28 से सुधरकर वर्ष 2001-2002 में 0.16 हो गया। इक्विटी 2448 मिलियन रूपए रहा। निवल मूल्य 6185 मिलियन रूपए से बढ़कर 42203 मिलियन रूपए हो गया। वर्ष के अंत में नकद और बैंक शेष पिछले वर्ष के अंत में 3330 मिलियन रूपए की तुलना में 4766 मिलियन रूपए रहा।

विद्युत क्षेत्र

◆ वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र ने 3038 मेगावाट उत्पादन उपस्कर, संयंत्र निष्पादन सुधार व्यवसाय, सेवाओं और अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति तथा संस्थापन हेतु अब तक का सर्वाधिक 70903 मिलियन रूपए मूल्य का आर्डर प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली से प्राप्त किए गए आर्डरों सहित प्रमुख आर्डर निम्नानुसार हैं :

- **थर्मल (2405 मेगावाट)**
  - रिहंद (2×500 मेगावाट) : अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) से मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए आर्डर प्राप्त।
  - रामागुण्डम (1×500 मेगावाट) : अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर एनटीपीसी से मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए आर्डर प्राप्त।
  - ताऊ देवीलाल टीपीएस, पानीपत 7 और 8 (2×250 मेगावाट) : सिविल निर्माण कार्य सहित टर्नकी आधार पर परियोजना के निष्पादन के लिए हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) से आर्डर प्राप्त।
  - मेजिया IV (1×210 मेगावाट) : सिविल निर्माण कार्य सहित टर्नकी आधार पर परियोजना के निष्पादन के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) से आर्डर प्राप्त।
  - कोटा यूनिट VI (1×195 मेगावाट) : बॉयलर और टीजी पैकेज के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरवीयूएनएल) से आर्डर प्राप्त।
- **गैस और सीसीपीपी (283 मेगावाट)**
  - धुवारन सीसीपी (107 मेगावाट) : अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (जीएसईसीएल) से।
  - कुट्टालम सीसीपी (101 मेगावाट) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के एवज में तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) से।
  - रामगढ़ विस्तार (75 मेगावाट) मौजूदा 1×एफआर 6 मुक्त चक्रीय गैस टरबाइन के 206 संरुपण सीसीपीपी में रूपान्तरण के लिए आरवीयूएनएल से
- **नाभिकीय**
  - पहली बार बीएचईएल (भेल) ने 2×500 तारापुर

परमाणु विद्युत संयंत्र 3 और 4 के लिए द्वितीय पाइपिंग के लिए सफलतापूर्वक बोली दी।

- **हाइड्रो (350 मेगावाट)**
  - बाणसागर फेज-IV एचईपी (2×10 मेगावाट) उत्पादन पैकेज के लिए मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (एमपीईबी) से
  - माधीखेड़ा एचईपी (2×20 मेगावाट) एमपीईबी से
  - अलमती बांध (1×15 मेगावाट+5×55 मेगावाट) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के एवज में कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) से
- **विद्युत संयंत्र निष्पादन सुधार व्यवसाय (पीपीआईबी)**
  - पानीपत-II (110 मेगावाट) के पुनरुद्धार के लिए 350 मिलियन रुपए मूल्य का आर्डर प्राप्त किया गया।
  - चंद्रपुरा यूनिट 4, 5 और 6 (प्रत्येक 120 मेगावाट) में बॉयलर, टीजी और बीओपी के लिए अवशिष्ट अवधि आकलन/निष्पादन मूल्यांकन परीक्षण हेतु डीवीसी से 18.4 मिलियन रुपए मूल्य का आदेश प्राप्त किया गया था।

- वर्ष के दौरान बीएचईएल (भेल) ने देश की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में कुल 2019 मेगावाट के 20 यूटीलिटी सेट की वृद्धि की। इससे, बीएचईएल निर्मित सेट अब 67170 मेगावाट के हैं, जो देश की कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 65% है। वर्ष के दौरान चालू किए गए थर्मल सेट आंध्रप्रदेश में सिम्हाद्रि (1×500 मेगावाट), राजस्थान में सूरतगढ़-3 और 4 (2×250 मेगावाट), झारखंड में जोजोबेरा-2 (120 मेगावाट) थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली में प्रगति में 104.6 मेगावाट का एक गैस आधारित सेट चालू किया गया था। राष्ट्रीय विद्युत उत्पादन क्षमता में 776 मेगावाट के 12 हाइड्रो सेट, 18 मेगावाट के 3 डीजल सेट की भी वृद्धि की गई थी। उपरोक्त के अतिरिक्त देश में 147 मेगावाट के 6 औद्योगिक सेट चालू किए गए थे।

  भूटान में कुरिचु में प्रत्येक 15 मेगावाट के 3 हाइड्रो सेट भी वर्ष के दौरान चालू किए गए थे।

  बीएचईएल (भेल) ने सिम्हाद्री में 500 मेगावाट की पहली यूनिट को मात्र 39 महीने में समकालिक बनाकर बड़ी हरित क्षेत्र परियोजनाओं के टर्नकी निष्पादन में एक नया तलचिन्ह सृजित किया।

  हिमाचल प्रदेश में मलाना में एलएनजे भीलवाड़ा समूह का भारत का पहला मध्यम हाहड्रो आईपीपी (2×43 मेगावाट) मात्र 27 महीने के रिकार्ड समय में बीएचईएल द्वारा चालू किया गया था - यह हरित क्षेत्र हाइड्रो परियोजना के निष्पादन में बीएचईएल की दक्षता का प्रमाण है।
- बीएचईएल के थर्मल सेटों का समग्र निष्पादन एक बार फिर राष्ट्रीय औसत से बेहतर था। वर्ष के दौरान बीएचईएल द्वारा आपूरित यूनिट सर्वाधिक उच्च निष्पादन पर परिचालित हुए।
- बीएचईएल के थर्मल सेटों ने अब तक का उच्चतम 71.3% संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) प्राप्त किया, जो राष्ट्रीय औसत से 1.4% अधिक है।
- बीएचईएल के 500/250/200/210 मेगावाट के थर्मल सेटों, जो देश के विद्युत उत्पादन क्षमता का मेरुदंड हैं, का संयोजित संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) अब तक अधिकतम 76.80% रहा। इन सेटों की परिचालन उपलब्धता (ओए) 85.9% थी।
- बीएचईएल के 200/210 मेगावाट और 250 मेगावाट के थर्मल सेटों ने वर्ष के दौरान अब तक का अधिकतम क्रमश: 75.3% और 86.7% संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) दर्ज किया।
- बीएचईएल द्वारा आपूरित 132 थर्मल सेटों ने 70% से अधिक का संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) प्राप्त किया। इनमें से 23 सेटों ने 90% से अधिक का संयंत्र भार अनुपात और 69 सेटों ने 80-90% के बीच संयंत्र भार अनुपात दर्ज किया।
- 36 ताप विद्युत स्टेशनों, जिन्हें वर्ष 1999-2000 में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित ''प्रशंसनीय उत्पादकता पुरस्कार'' प्रदान किया गया था, में से 31 बीएचईएल सेटों से सज्जित हैं, जिसने एक बार फिर बीएचईएल के उपस्करों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता स्थापित की। सार्थक रूप से सभी 8 विद्युत स्टेशन, जिन्होने स्वर्ण पदक जीता, बीएचईएल निर्मित सेटों से सज्जित हैं।
- बीएचईएल के 101 थर्मल सेटों ने 90 दिनों से अधिक अबाधित परिचालन का समय दर्शाया, जिसमें से 16 सेट वर्ष के दौरान लगातार 200 दिनों से अधिक तक परिचालित रहे।
- वर्ष के दौरान बीएचईएल के हाइड्रो सेटों की यूनिट उपलब्धता ने प्रभावशाली 98.29% दर्ज किया।
- बीएचईएल ने अबाधित विद्युत आपूर्ति सुविधाजनक बनाए रखने और विद्युत संयंत्रों को अच्छी चालू दशा में रखने के लिए लक्षित सक्षम ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु अपना प्रयास जारी रखा। वर्ष के दौरान विद्युत क्षेत्र ने बॉयलर, टीजी और सहायक उपकरणों जैसे विभिन्न उत्पादों को शामिल करते हुए 13 गैर-बीएचईएल सेटों सहित 119 थर्मल यूटिलिटी और औद्योगिक सेटों की ओवरहॉलिंग की।
- पंजाब में कोटला यूनिट 2 में वेस्टिंगहाऊस, सं.रा.अ. द्वारा मूल रूप से आपूरित गैर-बीएचईएल हाइड्रो यूनिट को 24.2 मेगावाट से लगभग 16% बढ़ाकर 28 मेगावाट किया गया।
- वर्ष के दौरान कोठागुडम यूनिट 5 को सफलतापूर्वक पुन: मार्जित किया गया और उसकी क्षमता बढ़ाकर 105 मेगावाट से 120 मेगावाट की गई।
- बीएचईएल के विद्युत क्षेत्र - उत्तरी क्षेत्र व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने के लिए ओएचएसएएस 18001 प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला भारत में पहला निर्माण समूह बन गया है।
- 'वृहत सेवा उद्यम श्रेणी' में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित ''राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार'' बीएचईएल के विद्युत क्षेत्र-उत्तरी क्षेत्र को वर्ष 2000-2001 के लिए प्रदान किया गया।
- असम में बीएचईएल - मित्सुबिशी परिसंघ द्वारा स्थापित 'नीपको' के कठालगुड़ी सीसीपीपी (290 मेगावाट) को विद्युत मंत्रालय द्वारा ''उत्कृष्टता केंद्र'' के रुप में माना गया है।

उद्योग क्षेत्र

पिछले वर्ष प्राप्त 20630 मिलियन रुपए की तुलना में वर्ष

2001–2002 के दौरान 19650 मिलियन रुपए के ऑर्डर बुक किए गए। वर्ष के दौरान 60% से अधिक समग्र सफलता दर प्राप्त की गई है।

- **बुक किए गए मुख्य आर्डर :** चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से 2×20 मेगावाट गैस टर्बाइन आधारित कैप्टिव सह-उत्पादन संयंत्र और हाइड्रोजन पुन: चक्रण गैस कम्प्रेसर के लिए प्रतिष्ठित आर्डर प्राप्त किए गए हैं।
  - जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड से एसटीजी आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र के लिए आर्डर प्राप्त किया गया।
  - मिजोरम सरकार से टर्नकी आधार पर 22.92 मेगावाट डीजल जेनरेटर आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र के लिए आर्डर प्राप्त किया गया।
  - आदित्य सीमेंट से ईपीसी आधार पर 23 मेगावाट स्टीम टर्बाइन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र के लिए आर्डर प्राप्त किया गया।
  - चीनी और सीमेंट संयंत्रों से 7 सह-उत्पादन सेटों के लिए आर्डर प्राप्त किया गया। शक्ति शुगर लिमिटेड, कोयम्बतूर से प्राप्त आर्डर चीनी सह-उत्पादन खण्ड में विशालतम टीजी सेट के लिए आर्डर है।
  - ओएनजीसी ने मुम्बई और देहरादून में अपने परिचालनों के लिए वेलहेड्स और एक्समस ट्री के लिए बड़े आर्डरों से बीएचईएल में अपना विश्वास बनाए रखा है।
  - डीएलडब्ल्यू से ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर और रैक्टिफायर के 56 सेटों का आर्डर प्राप्त किया गया।
  - बीएचईएल ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के एवज में 400 केवी पारेषण लाइन के लिए फिक्सड सीरीज कैपेसिटरों के लिए पहला वाणिज्यिक आर्डर प्राप्त किया। यह फिक्सड सीरीज कैपेसिटर मुरादनगर में पनकी-मुरादनगर 400 केवी लाइन पर संस्थापित किया जाएगा।
  - पावरग्रिड से 400/220 के वी तिरूअनंतपुरम सब-स्टेशन और 400 केवी मदुरै सब-स्टेशन के विस्तार के लिए आर्डर प्राप्त किया गया।
  - कुल 1330 एमवीए के 19 विद्युत ट्रांसफॉर्मर, एक 63 एमवीएआर शंट रिएक्टर और 14 शुष्क किस्म के ट्रांसफॉर्मरों के लिए ऑर्डर सहित टाटा हाइड्रो परियोजना से विशालतम एकल आर्डर प्राप्त किया गया।
  - विश्व की विशालतम पम्पिंग स्कीम-सरदार सरोवर परियोजना के लिए कंक्रीट वोल्यूट और धात्विक पम्पों के लिए 1025 कि.वा. से 4500 कि.वा. के 48 वर्टिकल मोटरों का प्रतिष्ठित आर्डर प्राप्त किया गया।
  - न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन से 320 कि.वा. से 6000 कि.वा. के 31 मोटरों के लिए आर्डर प्राप्त किया गया।
  - 2100 कि.वा. और 1500 धूर्णन प्रति मिनट (आरपीएम) के 6 मोटरों के लिए आर्डर प्राप्त करके नए समुद्रपारीय ग्राहक मैसर्स एन्साल्डो, इटली से परिचित कराया।
- **व्यवसाय के नए क्षेत्र :** भारत की पहली थाइरिस्टर नियंत्रित सीरिज कैपेसिटर परियोजना, जिसका पहला चरण पावरग्रिड के बल्लभगढ़ स्थित 400 केवी सब-स्टेशन में पूरा होने के उन्नत चरण पर है, का निष्पादन कर रहा है। परियोजना का चरण 2 अक्टूबर, 2002 में चालू होना निर्धारित है।

  1 यूटिलिटी वाहन, 4 रेल-सह-सड़क वाहन और 8 टावर कारों सहित विशेष ट्रैक मशीनों के लिए भारतीय रेलवे से आर्डर प्राप्त किया गया।

  रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर और सॉलिड कोर इन्सुलेटर के लिए भारतीय रेलवे से परीक्षण आर्डर प्राप्त किए गए।
- **अन्य व्यवसाय संवर्धन प्रयास :** बडे शहरों में इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस, लाइट रेल परिवहन आदि जैसी शहरी परिवहन परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए संवर्धनात्मक प्रयास किए गए हैं। चंड़ीगढ़, दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर और पुणे में संबंधित प्राधिकारियों के साथ प्रारंभिक वार्तालाप प्रारंभ किए गए हैं।

  पत्तनों, पाइपलाइनों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सिमुलेटरों, जल और निस्सारी प्रबंधन प्रणालियों आदि जैसे व्यवसाय के संबद्ध क्षेत्रों में नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

  मुम्बई में अपतटीय तेल प्लेटफॉर्मों और रिगों के नवीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य करने के लिए एक पृथक समूह सृजित किया गया हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय

- समुद्रपारीय व्यवसाय पर बल देना जारी रखते हुए बीएचईएल ने चीनी, मध्य एशियाई और अफ्रीकी क्षेत्रों में आधिपत्य करते हुए निम्नलिखित के आर्डरों सहित वर्ष 2001–2002 के दौरान 8000 मिलियन रूपए के अब तक के सर्वाधिक निर्यात आर्डर की बुकिंग प्राप्त की।
  - चीन में शेनझेन नान्शान विद्युत स्टेशन के लिए 123 मेगावाट आईएसओ गैस टर्बाइन जेनरेटर और सहायक उपस्कर।
  - तेंगिझेवरॉयल, कजाकिस्तान (वैश्विक तेल की विशाल कंपनियों एक्सॉन-मोबिल, शेवरॉन-टेक्सेको का कजाकिस्तान की नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक संयुक्त उपक्रम) से 40 मेगावाट आईएसओ गैस टर्बाइन जेनरेटर और सहायक उपकरण और
  - अल्जीनिया में इस्पात संयंत्र के लिए मोटर।
- निर्यात आधार को व्यापक बनाने के लिए सतत प्रयास के परिणामस्वरूप यूनाइटेड किंगडम से सिमुलेटर और थाइलैंड से इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स के लिए आरएलए अध्ययन के लिए पहला आर्डर प्राप्त हुआ।
- बीएचईएल ने वर्ष के दौरान एसआईटीईए इंटरनेशनल स्विटजरलैंड और ईराक में रूमैला मुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र के लिए दो और गैस टर्बाइन जेनरेटर (प्रत्येक 123 मेगावाट आईएसओ) और सहायक उपस्करों का बड़ा आर्डर प्राप्त किया।
- 123 मेगावाट आईएसओ गैस टर्बाइन जेनरेटिंग यूनिट और सहायक उपस्करों की आपूर्ति के लिए एईएस से आर्डर प्राप्त करके आस्ट्रेलिया में समुद्रपारीय स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) बाजार में एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई।
- वर्ष के दौरान बीएचईएल ने ईकारस, जर्मनी से सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए सबसे बड़ा एकल आर्डर प्राप्त किया।

- वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य उल्लेखनीय निर्यात आर्डरों में निम्नलिखित शामिल हैं।
  - एईएस द्वारा स्थापित की जा रही श्रीलंका में एक संयुक्त चक्रीय विद्युत परियोजना के लिए 57 मेगावाट स्टीम टर्बाइन जेनरेटर और सहायक उपस्कर।
  - अजेरबेजान में मिंगचोर जल विद्युत परियोजना के लिए सहायक उपस्कर।
  - ग्रीस से ट्रांसफॉर्मर, स.रा.अ., सीरिया, मलेशिया और थाइलैंड से वाल्व और तेल क्षेत्र के उपस्कर, ओमान, माल्टा, स.रा.अ., लीबिया, पोलैंड, सीरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया से अतिरिक्त पुर्जे और सेवाएं, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, ताइवान और यूनाइटेड किंगडम से सिरामिक उत्पाद।
- वर्ष के दौरान निष्पादित मुख्य समुद्रपारीय आर्डरों में निम्नलिखित शामिल हैं।
  - बंगलादेश में बाघाबाड़ी में टर्न की आधार पर 100 मेगावाट गैस टर्बाइन आधारित विद्युत संयंत्र चालू किया गया।
  - श्रीलंका में एईएस के केलानीतीसा संयुक्त चक्रीय विद्युत संयंत्र के लिए 123 मेगावाट आईएसओ दर्जाप्राप्त गैस टर्बाइन जेनरेटर के लिए आपूर्तियां।
  - चीन में शेनझान नानशान विद्युत स्टेशन के लिए 123 मेगावाट आईएसओ दर्जाप्राप्त गैस टर्बाइन जेनरेटर के लिए आपूर्तियां।
  - संयुक्त राष्ट्र के "भोजन के बदले तेल" कार्यक्रम के अधीन बैजी, ईराक में गैस टर्बाइन विद्युत संयंत्र की यूनिट 1 और 2 (2X157 मेगावाट आईएसओ) के लिए आपूर्तियां।

पूंजी निवेश

वर्ष 2001–2002 के दौरान आयोजना पूंजी कार्यक्रमों पर 1555 मिलियन रूपए का पूंजी निवेश किया गया। वर्ष के दौरान सुपुर्दगी चक्र, उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ता, लागत में कमी आदि में सुधार करके प्रतिस्पर्धा की वृद्धिकारी प्रबलता का सामना करने के लिए पुरानी सुविधाओं को प्रतिस्थापित करने पर ध्यान देते हुए उत्पाद के पूर्णत: आधुनिकीकरण करने पर बल दिया गया। उपर्युक्त राशि में से 1190 मिलियन रूपए का निवेश विभिन्न उत्पादों के लिए सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर किया गया।

वर्ष 2001–2002 के दौरान पूरी की गई प्रमुख योजनाओं में भोपाल में ट्रैक्शन मशीनों, स्विचगियर, बुशिंग और कैपेसिटरों का आधुनिकीकरण; त्रिची में फॉसिल बॉयलरों का आधुनिकीकरण; इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, बंगलौर में नियन्त्रण उपस्कर और अंतरिक्ष ग्रेड सोलर पैनलों का आधुनिकीकरण और रानीपेट में बॉयलर सहायक उपस्करों का आधुनिकीकरण आदि शामिल हैं। ये योजनाएं बीएचईएल को चक्रण समय कम करके, उत्पादकता बढ़ाकर और कुछ उत्पाद क्षेत्रो में क्षमता वृद्धि के लिए सीमांतिक लाभ के साथ गुणवत्ता सुधारकर प्रतिस्पर्धी स्तर प्राप्त करने में समर्थ बनाएंगी। इन योजनाओं से बीएचईएल ने लगभग 300 सीएनसी मशीनें संस्थापित की हैं, जो देश में इंजीनियरी उद्योग में सर्वाधिक संख्या है। प्रारंभ की गई कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियों और सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. उत्पादकता बढ़ाने और दुबारा कार्य कम करने के लिए चयनित प्रहस्तन और वेल्डिंग परिचालन के लिए रोबॉट का अनुप्रयोग।
2. निम्न दीवार की मोटाई वाले पैनलों के उपयुक्त होने के लिए बॉयलरों के जल दीवार पैनलों की वेल्डिंग के लिए अत्याधुनिक पैनल प्रोसेसिंग मशीन।
3. रेलवे की उभरती हुए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन चरण वाले एसी ट्रैक्शन मोटरों के लिए विनिर्माण दक्षता।
4. लघु सुपुर्दगी चक्र को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक मशीनीकरण और परीक्षण उपस्करों से वाल्व तथा स्विचगियर के विनिर्माण का आधुनिकीकरण।
5. चक्र समय में कमी तथा उत्पादन की उच्चतर गुणवत्ता पर बल देते हुए मदों और एसेम्बली की ढलाई की सुविधाओं का आधुनिकीकरण

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित छ: प्रमुख योजनाएँ कार्यान्वयनाधीन हैं। ये योजनाएं स्टीम टर्बाइन विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, जेनरेटर विनिर्माण सुविधाओं और हरिद्वार में नए ब्लेड शॉप का आधुनिकीकरण, हैदराबाद में दूसरे 9 ई जीटी–टेस्ट बेड की स्थापना और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, बंगलौर में नए ऑटोमेशन सीएण्डआई (मैक्स 1000 +प्लस) प्रौद्योगिकी के लिए सुविधाओं का सृजन और त्रिची में कोयला विश्लेषण और ऑक्साइड पैमाना मापन के लिए उन्नत उपकरण (एसएण्डटी योजना) हैं। इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र–पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता में कार्यालय आवास योजना भी कार्यान्वयनाधीन है।

इन चालू आधुनिकीकरण योजनाओं के पूरा होने से कंपनी उच्चतर दर्जे वाला स्टीम टर्बाइन और 660 मेगावाट के जेनरेटर सेट, दो सिलेंडर डिजाइन और उच्चतर क्षमता वाले स्टीम टर्बाइन प्रदान करने, गैस टर्बाइनों के परीक्षण में बाधाओं को दूर करने और विद्युत स्टेशन तथा औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए अधतन सीएण्डआई उपस्कर प्रदान करने में समर्थ होगी।

पूंजी निवेश और विनिर्माण प्रौद्योगिकी उन्नयन में भावी बल में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. गैस टर्बाइन, हाइड्रो और न्यूक्लियर व्यवसाय, तेल क्षेत्र, नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएण्डएम) आदि पर बल के साथ 10वी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 7000 मिलियन रूपए का योजनाबद्ध पूंजी निवेश।
2. सामग्रियों और संघटकों की लेजर प्रोसेसिंग, नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों में प्रहस्तन और वेल्डिंग के क्षेत्र में रोबॉट के अनुप्रयोग जैसी आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों को लागू करना।
3. विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए स्वस्थाने मशीनकीकरण दक्षता सृजित करना।
4. परिसंपत्ति उपयोग और उत्पादकता वृद्धि।

संयुक्त उद्यम

बीएचईएल द्वारा प्रवर्तित दो संयुक्त उद्यम कंपनियों, अर्थात जीई द्वारा डिजाइन की गई गैस टर्बाइनों की मरम्मत और देखभाल हेतु जीई, सं.रा.अ. के साथ ''बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड'' बीजीजीटीएस और पुराने जीवाश्म फॉसिल ईंधन विद्युत संत्रनों के संयंत्र निष्पादन में सुधार लाने के लिए सीमेंन्स एजी, जर्मनी के साथ ''पावर प्लांट फोर्मेंस इम्प्रुवमेंट लिमिटेड

(पीपीआईएल) ने अब परिचालन के चार पूर्ण वित्तीय वर्ष पूरे कर लिए हैं।

वर्ष 2001-2002 के दौरान 147.5 मिलियन रूपए के कर-पश्चात लाभ के साथ बीजीजीटीएस ने 1471 मिलियन रूपए (अलेखापरीक्षित) की बिक्री का कुल कारोबार किया। वर्ष के दौरान बीजीजीटीएस द्वारा 1428 मिलियन रूपए का आर्डर बुक किया गया। हैदराबाद में नई मरम्मत सुविधा वेक्यूम फर्नेस और प्लाज्मा स्प्रे सुविधाओं के संस्थापन से वर्ष के दौरान परिचालनात्मक हो गई है। निजी और सरकार क्षेत्र में सम्मानित ग्राहकों के लिए पावर नोजल, कम्बशन लाइनर, ट्रांजिशन पीस, श्राउड्स आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण गैस टर्बाइन संघटकों की मरम्मत की गई। विभिन्न गैस, टर्बाइन संघटकों की मरम्मत करने के लिए बीजीजीटीएस की मानवशक्ति और सुविधाओं को जीई द्वारा अर्हक बनाया गया है। बीजीजीटीएस ने वर्ष 2000-2001 के लिए 95% का लाभांश अदा किया।

वर्ष के दौरान पीपीआईएल ने 183.5 मिलियन रूपए के आर्डर बुक करने के साथ 608 मिलियन रूपए (अलेखापरीक्षित) की बिक्री का कुल कारोबार दर्ज किया। पिछले वर्ष 27 मिलियन रूपए के कर-पश्चात लाभ की तुलना में पीपीआईएल ने वर्ष के दौरान 0.32 मिलियन रूपए का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया।

अनुसंधान और विकास तथा वर्ष 2001-2002 में प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां

वर्ष के दौरान घरेलू अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी) के माध्यम से विकसित उत्पादों और प्रणालियों के वाणिज्यीकरण द्वारा 6131 मिलियन रूपए का कुल कारोबार प्राप्त किया गया।

नए उत्पाद और प्रणाली विकास, विश्वसनीयता, गुणवत्ता, लागत और आयात प्रतिस्थापन के रूप में उत्पाद सुधार पर ध्यान देते हुए अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों पर 796 मिलियन रूपए की राशि खर्च की गई। इसके अतिरिक्त नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए पूंजी परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए 75 मिलियन रूपए खर्च किए गए हैं।

प्रमुख उपलब्धियों और प्रारंभ किए गए नए उत्पादों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पारेषण लाइनों की विद्युत अंतरण दक्षता सुधारने, प्रणाली हानियों को कम करने और प्रणाली का स्थायित्व सुधारने के लिए बीएचईएल ने उच्च वोल्टता (400 केवी) पारेषण लाइनों में अनुप्रयोग के लिए विश्व में अपनी किस्म का पहला तीन-फेज वाला 50 एमवीएआर नियंत्रित शंट रिएक्टर (सीएसआर) विकसित किया है। पारम्परिक फिक्स्ड शंट रिएक्टर के प्रयोग से ऊर्जा की लगातार हानि होती है जबकि सीएसआर परिपथ में केवल तभी आता है जब उसकी अपेक्षा हो; इस प्रकार हानि से बचा जाता है। इस प्रणाली का पूर्णत: परीक्षण कर लिया गया है तथा उसे चालू कर दिया गया है और यह इटारसी (मध्यप्रदेश) में पीजीसीआईएल के 400 केवी सब-स्टेशन में अब दीर्घावधिक क्षेत्र परीक्षणाधीन है। इस घटना से घरेलू और निर्यात बाजार दोनों में उच्च वोल्टता पारेषण प्रणालियों में रिएक्टिव विद्युत प्रबंधन के लिए बीएचईएल हेतु व्यवसाय के नए मार्ग प्रशस्त करने की प्रत्याशा है।
- बीएचईएल द्वारा देश में विकसित भारत के विशालतम क्षमता वायुमण्डलीय फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन (एएफबीसी) बॉयलर (2x165 टन/घंटा) को रायगढ़ में जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड में सफलतापूर्वक चालू किया गया है। कोयला, वाशरी अपशिष्ट और जले हुए कोयले जैसे विभिन्न ईधनों के प्रज्जवलन में दक्ष इन बॉयलरों का विकास बीएचईएल को बहुईंधन विकल्पों के साथ बड़ी क्षमता वाले एएफबीसी बॉयलरों की आपूर्ति करने में समर्थ बनाएगा।
- बीएचईएल द्वारा देश में विकसित और खापरखेड़ा टीपीएस को आपूरित एक नए 210 मेगावाट स्टीम टर्बाइन मॉड्यूल, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 14,000 टन कोयले की बचत होगी, के माध्यम से उष्मा दर में काफी सुधार प्राप्त किया गया हैं।
- ऑनलाइन विद्युत संयंत्र नैदानिक प्रणालियों के भाग के रूप में बीएचईएल ने बॉयलरों के लिए एकॉस्टिक स्टीम लीक डिटेक्शन (एएसएलडी) प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली प्रारंभिक स्तर पर स्टीम के रिसाव का पता लगाने में सहायता करती हैं, जिससे शीध्र उपचारात्मक कार्रवाई संभव होती है और इस प्रकार संयंत्र उपलब्धता में सुधार होता है। यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इस समय वाष्प के रिसाव का पता उसके उन्नत चरण पर पहुंचने के बाद लगाया जाता है। प्रणाली का एक प्रोटोटाइप 210 मेगावाट के रायचूड़, टीपीएस, यूनिट-I में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया हैं।
- देश में पहली बार विद्युत अनुपात के निरंतर सुधार के लिए 3 एमवीए लोड हेतु एक 1 एमवीएआर, आईजीबीटी आधारित स्टेटिक सिंक्रोनाइज्ड कॉम्पेनसेटर (स्टेटकॉम) विकसित किया गया है। यह विकास कार्य टीआईएफएसी, भारत सरकार से निधिकरण द्वारा किया गया था। यह मूल रूप से स्टेटिक वीएआर काम्पेनसेटर योजना का सुधरा हुआ रूप है और फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन (एफएसीटी) उपकरण में से एक है, जिसका प्रयोग विद्युत गुणवत्ता सुधार के लिए पारेषण तथा साथ ही वितरण दोनों नेटवर्क में किया जा सकता है। इसका केन्द्रीय अनुसंधान और विकास, हैदराबाद में पूर्णत: परीक्षण किया गया है और इसे क्षेत्र परीक्षणों के लिए मैसर्स मिधानी, हैदराबाद को अंतरित किया जाएगा।
- बीएचईएल ने जल विद्युत संयंत्र के संघटकों, सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलरों के जल दीवार ट्यूबों तथा संक्षारण से प्रभावित होने वाले अन्य औद्योगिक संघटकों की अवधि बढ़ाने के लिए एक उच्च गति ऑक्सी ईंधन (एचवीओएफ) विलेपन प्रक्रिया विकसित की है।
- देश में पहली बार, बीएचईएल ने ऐसे स्थानों, जहां ओवरहेड लाइनों की संस्थापना महंगी अथवा अव्यावहारिक है, में थोक विद्युत के पारेषण के लिए एक 420 केवी गैस इन्सुलेटेड बस डक्ट विकसित किया है। इन बस डक्ट का मुख्य अनुप्रयोग भूमिगत जल विद्युत स्टेशनों से भूतल पर अवस्थित सब-स्टेशनों को विद्युत परेषित करने में है।
- भारतीय रेलवे के 1400 एचपी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (डीईएमयू) के लिए सुधरा हुए ब्रुशलेस ट्रैक्शन एल्टरनेटर विकसित किया गया है। नए एल्टरनेटर का आकार और वजन 18% कम कर दिया गया है।
- बीएचईएल ने 95 मेगावाट पेरूंगुलम संयुक्त चक्रीय संयंत्र में स्विचयार्ड के नियंत्रण और मानीटरिंग के लिए सुधरी हुई पर्यवेक्षीय नियंत्रण और आंकड़ा अधिग्रहण (एससीएडीए)

प्रणाली विकसित, आपूरित और चालू की है। प्रणाली की विश्वसनीयता अतिरिक्त सर्वरों और संचार संपर्कों के प्रयोग से बढ़ा दी गई हैं। परिचालक प्रणाली और डाटाबेस प्रबंध प्रणाली का भी उन्नयन किया गया है। आपरेटर एक पीसी आधारित आपरेटर वर्क स्टेशन के माध्यम से स्विचयार्ड को मानिटर अथवा उसका नियंत्रण कर सकता है।

- बीएचईएल ने श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कैनाल में लिफ्ट सिंचाई परियोजना में प्रयोग के लिए एक 4 केवी, 7.5 मेगावाट का स्टेटिक फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर (एसएफसी) की डिजाइन बनाई, विनिर्मित और सफलतापूर्वक चालू किया है। एसएफसी की डिजाइन चार 18 मेगावाट, 11 केवी समकालिक मोटरों को क्रमिक रूप से चलाने के लिए बनाई गई है।

मानव संसाधन प्रबंध

1. वर्ष 2001-2002 के दौरान औद्योगिक संबंध

कंपनी की विभिन्न विनिर्माता यूनिटों और सेवा प्रभागों में पूरे वर्ष भर मैत्रीपूर्ण और मधुर औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए। वर्ष के दौरान भागीदारी संस्कृति पर बल दिया जाना जारी रहा। अगस्त, 2001 में दो दिनों के लिए शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय मंच (संयुक्त समिति) की अद्वितीय बैठक कार्यशाला के रूप में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में केंद्रीय मजदूर यूनियनों के नेताओं और बीएचईएल के विभिन्न संयंत्रों से यूनियन के प्रतिनिधियों उत्साहपूर्वक भाग लिया। कंपनी से संबंधित चिंताओं के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और हितकर सुझाव/प्रस्तुतिकरण दिए गए।

अक्तूबर, 2001 में दो दिनों के लिए पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों के प्रतिनिधियों के लिए ऐसी ही कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का विषय ''संगठनात्मक प्रभावोत्पादकता बढ़ाना'' था।

वर्ष के दौरान संयुक्त समिति की दो बैठकें आयोजित की गई। इसी प्रकार कंपनी की विभिन्न यूनिटों में वर्ष के दौरान संयंत्र परिषदों की 65 बैठकें और शॉप परिषदों की 308 बैठकें आयोजित की गई।

2. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

वर्ष के दौरान कंपनी में एक लक्षित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रचालनरत थी। कुल मिलाकर, 3340 कर्मचारियों (483 कार्यपालक, 608 पर्यवेक्षक और 2249 कामगार) ने इस योजना के अधीन सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया।

3. मानव संसाधन विकास

वर्षा के अंत में समग्र मानवशक्ति संख्या 47516 थी, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में 8.28% की कमी दर्शाई। मानवशक्ति में यह गिरावट मुख्यत: लगातार तीसरे वर्ष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू रहने और केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई भर्ती प्रतिबंधित करने के कारण भी थी।

बीएचईएल अपने कर्मचारियों को एचआरडीआई और एचआरडीसी और अन्य बाह्य एजेंसियों द्वारा आंतरिक रूप से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित करता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान बीएचईएल द्वारा नामित 40172 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षु अधिनियम के अधीन 3333 शिल्प प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की गई।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण और उन्नति के लिए कंपनी के कार्यकलाप

कंपनी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और राष्ट्रपति के निर्देशों का नियमनिष्ठतापूर्वक अनुपालन करती रही है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी कार्यकलाप

बीएचईएल ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपनी विनिर्माता यूनिटों के समीप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों को अपनाया है।

इन गांवों में निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए हैं :

- स्कूल भवनों का निर्माण और रख-रखाव।
- योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना
- व्यस्क/प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना
- स्कूलों को शिक्षण सामग्रियां प्रदान करना
- स्कूल के बच्चों को वर्दियां प्रदान करना
- सामुदायिक हॉल का निर्माण
- चिकित्सा शिविर आजोजित करना/चिकित्सा उपकरण और दवाईयां प्रदान करना
- जल वितरण लाइनें प्रदान करना
- पहुंच सड़कों का निर्माण
- साफ-सफाई, स्वच्छता और सरल मल-जल निकासी प्रणाली

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

दिनांक 1.1.2002 को कुल मानव शक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व क्रमश: 18.05% और 3.66% था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की समूह-बार संख्या **अनुबंध-क** में दी गई है।

वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की भर्ती

समूह वार भर्ती के आंकड़े **अनुबंध-ख** में दिए गए हैं।

वर्ष 2001 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

समूह वार पदोन्नति के आंकड़े **अनुबंध-ग** में दिए गए हैं।

5. विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 33 के संदर्भ में कार्यान्वयन की स्थिति

वर्ष 2001 के दौरान भर्ती किए गए विकलांग व्यक्तियों की समूह-वार भर्ती के आंकड़े **अनुबंध-घ** में दिए गए हैं।

अनुबंध 'क'

दिनांक 1.1.2002 को कुल कर्मचारियों की संख्या और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का प्रतिशत
क	11773	1398	11.87	417	3.54
ख	9995	1037	10.38	268	2.68
ग	22362	5040	22.54	968	4.33
घ	3599	1139	31.65	96	2.67
कुल	**47729**	**8614**	18.05	**1749**	3.66

अनुबंध 'ख'

वर्ष 2001 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरी गई सीधी भर्ती में आरक्षित रिक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

पद का समूह	भरी गई रिक्तियों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या		भरी गई रिक्तियों की संख्या		परिवर्तित रिक्तियों की संख्या		भर्ती ग्रेडों में कमी		भती ग्रेडों में अतिरिक्त रिक्तियां	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
क	40	5	2	8	5	0	0	2	0	5	7
ख	5	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1
ग	26	3	1	4	2	0	0	8	0	34	22
घ	0	0	0	0	0	0	0	1	2	37	10
कुल	71	8	3	13	7	0	0	11	2	78	40

अनुबंध 'ग'

बीएचईएल में वर्ष 2001 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरी गई रिक्तियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण

समूह	पदोन्नति की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशतता
क	2401	283	**11.79**	66	**2.75**
ख	2041	290	**14.21**	55	**2.69**
ग	4112	909	**22.11**	152	**3.70**
घ	425	124	**29.18**	4	**0.94**
योग	8979	1606	**17.89**	277	**3.08**

अनुबंध 'घ'

वर्ष 2001 के दौरान विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की समूहवार भर्ती की स्थिति

समूह	पदों की अभिज्ञात श्रेणियों में भर्ती	भर्ती किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या	भर्ती किए गए विकलांग व्यक्तियों की प्रतिशतता
क	40	0	0.00
ख	5	0	0.00
ग	26	0	0.00
घ	0	0	0.00
कुल	**71**	**0**	**0.00**

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी की कार्यकलापों के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा बजट, खरीद, सामग्री, भंडार, निर्माण कार्य, लेखा, कार्मिक आदि को शामिल करते हुए प्रबंधन द्वारा जारी विभिन्न संहिताओं और नियम-पुस्तिकाओं में निर्धारित आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियां हैं। इन संहिताओं और नियम-पुस्तिकाओं को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। कंपनी के कारपोरेट कार्यालय में एक सुसंगिठित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है और इसकी सभी विनिर्माता इकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्यारह आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ हैं, जो निदेशक (वित्त)/ बीएलएसी द्वारा अनुमोदित और कारपोरेट आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा मानीटरिंग किए गए वार्षिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार लेखापरीक्षा करते हैं।

ऐसी लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य कंपनी की निर्धारित संहिताओं और नियम-पुस्तिकाओं में नियत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावोत्पादकता की जांच करना है। आंतरिक लेखा-परीक्षा के कार्य और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा इकाई स्तर की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है।

अवसर और चुनौतियां

- भारत सरकार ने ''वर्ष 2012 तक मांग पर विद्युत'' सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन क्षमता दुगुनी करने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया है। इसके लिए पारेषण और वितरण (टीएण्डडी) क्षेत्र, जिसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में अभिभूत किया गया है, सहित 80,00,000 मिलियन रुपए तक का वृहद संसाधन जुटाना आवश्यक होगा। अभी तक पारेषण क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश के कारण उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की निकासी मुख्य बाधा बनी हुई है। तदनुसार, 30,000 मेगावाट का अन्त:क्षेत्रीय पारेषण नेटवर्क निर्मित करने और राष्ट्रीय ग्रिड की रचना की एक संदर्शी योजना बनाई जा रही है।

  वितरण एक दूसरा क्षेत्र है, जिसका निजीकरण/निगमीकरण जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य विद्युत बोर्डो (एसईबी) की वित्तीय दशा सुधारने के लिए सुधार किया जा रहा है। राज्य विद्युत बोर्डो के कार्य में सुधार लाने के लिए सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड की बकाया राशियों के प्रतिभूतिकरण सहित कई पहलें की हैं। यह उपाय निवेश के लिए निधियां जुटाने में समर्थ बनाते हुए राज्य विद्युत बोर्डों की साख संबंधी दर्जा निर्धारण में सुधार लाएगा।

- सरकार अधिक बजटीय आबंटन और तीव्रतर स्वीकृति प्रक्रिया के माध्यम से जल-तापीय संयोजन सुधारने और ऊर्जा के इस स्वच्छ और स्थिर मूल्य वाले स्रोत के योगदान को काफी बढ़ावा देने के लिए कार्य नीतियां विकसित करती रही है। प्रमुख उपस्कर आपूर्तिकर्त्ता होने के कारण बीएचईएल को इस पहल से लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

- सरकार कैप्टिव विद्युत क्षमता जिसका लगभग 20,000 मेगावाट यूनिट होना अनुमानित है, के संवर्धन के लिए भी उपाय कर रही है। अधिशेष विद्युत की खरीद और वितरण के लिए एक व्यापक कैप्टिव विद्युत उत्पादन नीति बनाई जा रही है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होने की संभावना है। इस व्यवसाय खण्ड में प्रमुख संगठन होने के कारण बीएचईएल को लाभ प्राप्त होगा।

- ईंधन के रूप में कोयले का ऊर्जा सुरक्षा के कारण से हमारे देश में विद्युत उत्पादन पर प्रभुत्व बना रहेगा। विद्युत की लागत कम करने के लिए कोयले की ढुलाई की उच्च लागत से बचने और पहले से विस्तारित रेल नेटवर्क को छुटकारा देने हेतु पिट-हेड और तटीय संयंत्र स्थापित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक थर्मल क्षमता और पर्यावरणीय विचारों के दृष्टिकोण से गैस/एलएनजी आधारित विद्युत संयंत्र मध्यावधि में विद्युत संयंत्र निर्माताओं की अधिमान्य पसंद रहेगी।

- बीते हुए वर्ष के दौरान, उद्योगों, जिन्हें बीएचईएल पूंजीगत माल की आपूर्ति करता है, ने विकास की धीमी दर तता साथ ही देश में निवेश कार्यकलाप में निष्क्रियता का अनुभव किया है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के दौरान निवेश कार्यकलापों की संभावना भी कठिन प्रतीत होती है। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में वर्ष 2001-2002 में दर्ज 2.7% वृद्धि की तुलना में वर्ष 2002-2003 में 3.5% की उच्चतर दर से वृद्धि होने का पूर्वानुमान है, जो आसन्न औद्योगिक सुधार का सकारात्मक संकेत है। क्षेत्रों में से सीमेंट और परिवहन का वर्ष 2002-2003 में सुदृढ़ विकास होना संभावित है।

- विद्युत ऊर्जा को उसकी संपूर्णता में इष्टतम विकास के लिए अ-पारम्परिक स्रोतो के माध्यम से क्षमता वृद्धि सहित सरकार द्वारा एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है। तदनुसार, वर्ष 2012 की अवधि तक अ-पारम्परिक स्रोतो के माध्यम से 10700 मेगावाट का लक्ष्य नियत किया गया है।

- वितरित उत्पादन (डीजी) और संयुक्त उष्मा और विद्युत (सीएचपी) निकट भविष्य में विकास के उभरते हुए अवसर हैं। पारम्परिक डीजी प्रौद्योगिकियों के अतिरिक्त, बायोमास, फोटोवोल्टिक, विंड टर्बाइन, माइक्रो टर्बाइन और ईंधन सेल तीव्र गति से प्रगति कर रहे हैं और इस विशाल तथा महत्वपूर्ण बाजार के आर्थिक समीकरण को बदलने का वचन देते हैं।

- ग्रामीण विद्युतीकरण तेज करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण को एक बुनियादी न्यूनतम सेवा माना जाना प्रस्तावित हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण में वर्ष 2007 तक 62,000 गांवों और वर्ष 2012 तक 18000 दूरस्थ गांवों (नवीकरणीय के माध्यम से) का विद्युतीकरण करने की योजना प्रस्तावित है।

दृष्टिकोण

जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमी गति से विकास हो रहा है, वहीं विद्युत क्षेत्र में चालू पुर्नगठन और सुधार वितरण पर वर्धित ध्यान, त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के लिए बढ़ा हुआ परिव्यय, विनियामक प्रणाली सृजित करना, नया विद्युत विधेयक आदि जैसे सकारात्मक प्रेरण भी है। आधारभूत संरचना में निजी और सरकारी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता एक सकारात्मक पहलू है, जो औद्योगिक विकास को

प्रोत्साहन देंगे और आने वाले वर्षों में औद्योगिक उत्पादों की बाजार संभावनाओं में वृद्धि करेंगे।

बीएचईएल ने भावी विकास संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए निम्नानुसार कई पहलें की हैं :

- त्वरित परियोजना पूर्णता और विपणन, प्रौद्योगिकी, सुविधा उन्नयन और आधुनिकीकरण में नई पहलों, परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने आदि के साथ ग्राहकों को परिणामी लाभ के माध्यम से विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, ढुलाई और औद्योगिक प्रणालियों और उत्पादों के कंपनी के मुख्य व्यवसाय को सुदृढ़ करना।
- संगठनात्मक सुदृढ़ता का उपयोग करते हुए और उपतटीय और तटीय तेल प्लेटफॉर्मों, अधोप्रवाह पेट्रोलियम शोधन क्षेत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण में व्यवसाय पर ध्यान देने के लिए तेल क्षेत्र नवीकरण आधुनिकीकरण व्यवसाय समूह और विद्युत संयंत्रों को प्रचालन और अनुरक्षण (ओएण्डएम) सेवाएं प्रदान करने के लिए विद्युत संयंत्र प्रचालनात्मक सेवा समूह जैसे ग्राहक केन्द्रित विशिष्ट व्यवसाय समूह बनाकर संबंद्ध और संगत क्षेत्रों में व्यवसाय विकास संबंधी प्रयास।
- भावी विकास के लिए बाजार उपरांत सेवाएं एक क्षेत्र होने के कारण अतिरिक्त पुर्जो और नवीकरण तथा आधुनिकीरण सेवा व्यवसाय को एक ध्यान केंद्रित समूह में एकीकृत किया गया है। हाइड्रो सेट के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण विकास के मुख्य अवसर प्रदान करने वाला क्षेत्र है, जिसका बीएचईएल प्रयोग करने के लिए दृढ़ संकल्प है।
- ऊर्जा संरक्षण, जल प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन, पत्तन, एलएनजी टर्मिनल आदि जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसरों की खोज करना।
- विद्युत क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं और इंजीनियरी उद्योग को सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करने के लिए विद्युत क्षेत्र और इंजीनियरी क्षेत्र में अधिकार-क्षेत्र के ज्ञान को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय के लिए दृष्टिकोण अपनाना।
- नए क्षेत्रों में प्रवेश करने, उत्पाद बिक्रियों पर ध्यान देने, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक खण्ड में प्रवेश करने, ओएण्डएम तथा एलटीएसए, ईपीसी प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) के लिए सेवा केंद्र बनने और मांग के क्षेत्रों में विनिर्माण एसेम्बली और मरम्मत केंद्र स्थापित करने आदि जैसे बहुमुखी दृष्टिकोण के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के लिए निर्यात बनाए रखना और वृद्धि करना।

बीएचईएल अपने पदाधारियों के लिए महत्व बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यनीतियों के माध्यम से नई बाजार अर्थव्यवस्था की मांग पूरा करने के लिए अपने आप को पुन:व्यवस्थित करने के लिए भी उपाय कर रहा है।

जोखिम और चिंताएं

- चूंकि उद्योग में अधिकांश परियोजनाएं बीओओ/बीओओटी आधार पर अपेक्षित की जा रही है इसलिए परियोजना का व्यवसाय मॉडल, राजस्व संग्रहण, प्रचालन और अनुरक्षण आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर व्यवसाय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
- रेलवे ने नौवीं योजना के दौरान 6% वृद्धि की तुलना में दसवीं योजना में 3% की वृद्धि इंगित की है, जिससे विद्युत इंजनों में अल्प ऑर्डर प्रवाह और इंजनों के लिए विद्युत की मांग में गिरावट आएगी।
- सहयोगकर्ता वृद्धिकारी रूप से भारत के बाहर, विशेषकर जहां बीएचईएल ने अपना क्षेत्र तथा सुदृढ़ता निर्मित की है, क्षेत्रों में अपने बाजार के हिस्से के संरक्षण के लिए लाइसेंस करार के अधीन निर्यात क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर रहे हैं।

लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
नई दिल्ली

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के दिनांक 31 मार्च, 2002 के संलग्न तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न लाभ और हानि लेखा की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन के उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा को आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाते और निष्पादित करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत विवरण से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच शामिल होती है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धातों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आंकलन तथा साथ ही समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं और हम रिपोर्ट करते हैं कि :

I उपरोक्त तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा में कॉर्पोरेट कार्यालय, उन्नत अनुसंधान परियोजना, विद्युत क्षेत्र-परियोजना इंजीनियरी प्रबंध और वाणिज्यिक प्रबंध तथा विद्युत क्षेत्र-मुख्यालय नई दिल्ली के हमारे द्वारा लेखा परीक्षित लेखे और विदेशी शाखाओं सहित अन्य यूनिटों, शाखाओं तथा कार्यालयों/प्रभागों, जहां हमारा दौरा नहीं हुआ है, और जिनकी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई थी, के लेखे शामिल हैं।

II विदेशी शाखाओं, क्षेत्रीय और अन्य कार्यालयों के लेखे की रिपोर्ट पर उन यूनिटों/प्रभागों, जिनमें इन विदेशी शाखाओं और क्षेत्रीय तथा अन्य कार्यालयों के लेखे शामिल किए गए हैं, के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा विचार किया गया है। शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत कर दी गई है और उस पर कंपनी के उक्त तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखे पर हमारा मत तैयार करने के प्रयोजनार्थ हमारे द्वारा विचार किया गया है।

III दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के ''तुलन-पत्र'', ''लाभ-हानि लेखा'' व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा मुख्य लेखाकरण नीतियों को, जिसे निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 14 जून, 2002 को अपनाया और दिनांक 15 जून, 2002 को हमारे द्वारा सूचित किया गया, को कम्पनी अधिनियम,

1956 की धारा 619 (4) के अधीन उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए अवलोकनों को लागू करने के लिए संशोधित किया गया है। समेकित लेखे के अतिरिक्त सात इकाइयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के लेखे में संशोधन किया गया है, जिसके समेकित वित्तीय प्रभाव लेखे का हिस्सा होने वाली अनुसूची 19 की टिप्पणी संख्या 24 में दर्शाया गया है।

IV कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क) की शर्तों के अनुसार कंपनी विधि बोर्ड द्वारा जारी विनिर्माण और अन्य कम्पनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 1988 द्वारा जैसा अपेक्षित है, हम अनुबंध में उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरणी संलग्न करते हैं।

V ऊपर पैराग्राफ IV में उल्लिखित अनुबंध में अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(1) लेखाकरण नीति सं 9(iii) के कारण 10,000 रुपये तक की लागत वाली ''अचल परिसंपत्तियों'' और जिनका हासिल मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 10,000/- रुपये अथवा उससे कम है, के खर्च के लिए 186.74 लाख रुपये का अतिरिक्त मूल्य ह्रास प्रदान किया गया है (अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 4 का अवलोकन करें)

(1) यह कंपनी द्वारा कई वर्षों से लगातार अनुपालन की जा रही लेखाकरण नीति के अनुरूप है।

(2) विविध देनदारों, लेनदारों, संविदाकारों को दिए गए अग्रिमों, जमाराशियों और उप-संविदाकारों/फैब्रिकेटरों के पास पड़ी हुई स्टॉक सामग्री पुष्टिकरण तथा समंजन के अधीन है। लेखे पर उनका परिणामी प्रभाव, अगर कोई है, का पता नहीं चल पाया है (अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 9 का अवलोकन करें)।

(2) विविध देनदारों, लेनदारों, अग्रिमों, संविदाकारों के पास शेष राशि और उप-संविदाकारों/फैब्रिकेटरों के पास पड़ी हुई स्टॉक/सामग्री को संबंधित पक्षों के साथ निरन्तर प्रक्रिया के रूप में समंजित किया जाता है।

(3) कम्पनी के केन्द्रीकृत नकद प्रबंध योजना के अधीन एक बैंक खाते में 31 मार्च, 2002 तक की बहुत पुरानी असमंजित प्रविष्टियां हैं दिनांक 11.06.2002 को ऐसी पुरानी प्रविष्टियों सहित बकाया राशि की स्थिति निम्नानुसार है :

क) कम्पनी द्वारा किए गए 43.95 लाख रुपये की जमाराशि और 403.09 लाख रुपये की नामे डाली गई राशि जिसका बैंक द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

ख) बैंक के खाते में बैंक द्वारा नामे डाली गई 201.18 लाख रुपये और 77.19 लाख रुपए की जमा, जिसकी प्रविष्टि कंपनी की बहियो में नहीं की गई है।

लेखों पर उपरोक्त का परिणामी प्रभाव, अगर कोई हो, अनिश्चित है।

(3) कंपनी केन्द्रीकृत नकद प्रबंध प्रणाली परिचालित कर रही है, जिसके अधीन सम्पूर्ण भारत में इसकी यूनिटों द्वारा परिचालित बैंक खातों में प्रतिदिन के नामे डाले और जमा शेष 14 बैंकों के परिसंघ के पास रखे कार्पोरेट कार्यालय के केंद्रीय लेखे में अंतरित कर दिए जाते हैं। असमंजित/पुरानी मदों की समस्या केवल एक बैंक नामत: भारतीय स्टेट बैंक, सीएजी शाखा में मौजूद है, जहां बीएचईएल की विनिर्माता यूनिटों/कार्यस्थलों की 40 से अधिक शाखाओं से राशियां दैनिक आधार पर अंतरित की जाती हैं। समंजन करने और असमंजित मदों के निपटान के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, जो दिनांक 20 अगस्त, 2002 को निम्नानुसार घट गए हैं :

(क) कंपनी द्वारा जमा किए गए 0.25 लाख रुपये और नामे डाले गए 97.42 लाख रुपए जिनका प्रत्युत्तर बैंक द्वारा नहीं दिया गया है।

(ख) कंपनी के खाते में बैंक द्वारा नामे डाले गए 111.15 लाख रुपये और जमा किए गए 69.07 लाख रुपये, जिनकी कंपनी की बहियों में प्रविष्टि नहीं की गई है।

(4) कोणार्क मेट कोक लिमिटेड (केएमसीएल), भुवनेश्वर में किए गए 500 लाख रुपये के कुल निवेश में से निवेशिती

(4) कंपनी भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के साथ पत्राचार कर रही है।

कंपनी ने प्रत्येक 10/- रुपये के नामिनल मूल्य के 10 लाख इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं और शेष 400 लाख रुपये को अभी तक इक्विटी शेयर के लिए अग्रिम के अधीन दर्शाया गया है इसके लिए कंपनी की नियमावली द्वारा यथापेक्षित सरकार का अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित है (अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 13 का अवलोकन करें)

(5) आपका ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर आकर्षित किया जाता है :

(5)

(i) निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए 24974.61 लाख रुपए की विवाद-ग्रस्त आयकर मांग से संबंधित अनुसूची 19 में टिप्पणी सं. 8

(i) मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है।

(ii) संविदाकार के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई 538.64 लाख रुपये की मांग के संबंध में अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 11

(ii) मामला न्यालय के निर्णयाधीन है।

(iii) मूल्यह्रास की दर 16.21% से बढ़ाकर 20% करते हुए, जिससे लाभ में 109.67 लाख रुपये की कमी हुई, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा प्रोसेसिंग उपस्कर पर मूल्यह्रास से संबंधित लेखाकरण नीति के संशोधन के संबंध में अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 16

(iii) मूल्यह्रास की दर पुरानी होने की उच्चतर दर के कारण अल्प आर्थिक अवधि की वजह से बढ़ाई गई है।

(iv) लेखाकरण मानक (एएस-16) के अनुरुप उधार लेने की लागत के पूंजीकरण से संबंधित अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 18

(iv) उधार लेने की लागत का पूंजीकरण लेखाकरण मानक-16 के अनुरूप है।

(v) उन पट्टों, जिनसे लाभ में 80.89 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, पर लेखाकरण मानक (एएस-19) के अनुरूप पट्टों पर लेखाकरण नीति के संशोधन से संबंधित अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 21

(v) लेखाकरण नीति में संशोधन लेखाकरण मानक-19 के अनुरूप है।

6. हम आगे सूचित करते हैं कि उपरोक्त 2 से 4 के प्रभाव और ऊपर 1 में यथाउल्लिखित मूल्यह्रास पर पूर्व वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना, जिनके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सकता था, अगर ऊपर पैराग्राफ 1 में हमारे द्वारा किए गए अवलोकन पर विचार किया जाता तो वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ 66469.95 लाख रुपये (66283.21 लाख रुपये के सूचित आंकड़ों की तुलना में) हुआ होता। प्रारक्षित निधि और अधिशेष 422671.28 लाख रुपये (422484.54 लाख रुपये के सूचित आंकड़ों की तुलना में) हुआ होता और अचल परिसंपत्तियों का कुल निवल ब्लॉक 117843.67 लाख रुपये (117656.93 लाख रुपये के सूचित आंकड़ों की तुलना में) हुआ होता।

पूर्वोक्त और उसके परिणामी प्रभाव के अधीन :

क) जहां तक हमें जानकारी और विश्वास है, हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली हैं, जो हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ख) जहां तक शाखा लेखा परीक्षकों से प्राप्त बहियों और विवरणियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं।

ग) रिपोर्ट में यथाउल्लिखित तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा बहियों और विवरणियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारे राय में तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3-ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।

ङ) कम्पनी के कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 22.03.2002 के सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 के अनुसार सरकारी कंपनियों में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नामिती निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (छ) के उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है। तथापि, कंपनी के कार्यकलाप से संबंधित हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से दिनांक 31 मार्च, 2002 अयोग्य नहीं किया गया है।

च) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार अनुसूची-19 में लेखाकरण नीतियों और व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखे इस प्रकार से अपेक्षित कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं और भारत सरकार में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धातों के अनुरूप सही और सत्य चित्र प्रस्तुत करते हैं :

(i) दिनांक 31 मार्च, 2002 को कम्पनी के कार्य स्थिति के तुलन-पत्र के मामले में; और

(ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के लाभ-हानि लेखे के मामले में।

कृते शिरोमणि त्यागी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-

(प्रदीप त्यागी)
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.08.2002

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

प्रबंधन का उत्तर

(समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैरा IV में उल्लिखित)

1. कम्पनी ने सामान्यत: मात्रात्मक विवरण और अपनी स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखा है। पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को छोड़कर प्रबंधन ने वास्तविक सत्यापन के अपने चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सामान्यत: स्थायी परिसंपत्तियों के एक भाग का वास्तविक सत्यापन कर लिया है, जिसे कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित माना गया है और वर्ष के दौरान किए गए सत्यापन की सीमा तक ऐसे सत्यापन पर कोई वास्तविक विसंगति नहीं पाई गई है।

   बीएचईएल ने दिनांक 31 मार्च, 2002 तक भारतीय रेल को टाईप डब्ल्यूसीएएम-3) के 53 एसी/डीसी इंजनों और टाइप डब्ल्यू सीएजी-1 के 12 एसी/डीसी इंजनों की पट्टे पर आपूर्ति की है। भारतीय रेल के साथ किए गए पट्टा करार के अनुसार पूर्व की भांति भारतीय रेल से इन इंजनों के वास्तविक कब्जे की पुष्टि करते हुए एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

2. वर्ष के दौरान किसी भी स्थायी परिसम्पत्ति का पुर्नमूल्यन नहीं किया गया है।

3. विनिर्माता प्रभागों के मामले में सामग्री के स्टॉक, अतिरिक्त पुर्जे, संघटक और इकाइयों में पड़े कच्चे माल का सतत मालसूची प्रणाली के अधीन सत्यापन किया गया है।

   व्यापार के लिए अधिग्रहीत तथा इकाईयों के भंडारों में पड़े हुए सामानों और अतिरिक्त पुर्जों का प्रबंधन द्वारा समुचित अंतरालों पर वास्तविक सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन पर कोई वास्तविक विसंगति नहीं पाई गई।

   सेवा प्रभागों के संबंध में सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे आदि की तत्काल खपत के लिए खरीद की जाती है और अप्रयुक्त शेष सामग्री का वर्ष के अंत में वास्तविक रूप से सत्यापन किया जाता है।

   अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए खरीदी गई सामग्रियों को सीधे लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

   प्रभागों के योजना विभाग की उत्पादन रिपोर्टों और निरीक्षण रिपोर्टों और संयंत्रों के संबंध में डब्ल्यूपी के संदर्भ में वर्ष के अंत में निर्मित सामग्रियों के स्टॉक का सत्यापन किया जाता है।

   अन्य इकाईयों से ग्राहकों को भेजे जाने के लिए प्राप्त सामानों, अतिरिक्त पुर्जों, कच्चे माल, तैयार माल आदि का सत्यापन कार्यस्थल इंजीनियरों द्वारा निर्माण/समन्वयायोजन की प्रक्रिया में किया जाता है, परन्तु ग्राहकों से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं की जाती। तथापि, संविदाकारों/फेब्रिकेटरों और अन्य पक्षों के पास पड़े हुए स्टॉक के संबंध में केवल कुछ मामलों में पुष्टियां प्राप्त हुई थी।

   मुख्य रिपोर्ट के पैरा V (2) के उत्तर का अवलोकन करें।

   उपर्युक्त के अधीन, हमारी राय में सत्यापन की बारम्बारता उचित है।

4. प्रबंधन द्वारा स्टॉक, चालू कार्य और अतिरिक्त पुर्जों के वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई गई कार्यविधि कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में समान्यत: उचित और पर्याप्त है।

5. बही के रिकार्ड की तुलना में स्टॉक के वास्तविक सत्यापन पर

देखी गई विसंगति कोई अर्थ नहीं रखती और कंपनी की लेखा बहियों में समुचित रूप से विचार किया गया है।

6. हमारी राय में, लेखाकरण नीति सं. 7 के साथ पठित उपर्युक्त स्टॉक का मूल्यांकन सही और उचित है और सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार है और उधार लेने की लागत के पूंजीकरण की सीमा तक छोड़कर पूर्व वर्षों के आधार पर ही है।

7. दी गई सूचना और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध या तो फर्मों अथवा किसी अन्य पक्षों से रक्षित अथवा अरक्षित ऋण नहीं लिया है। अधिनियम की धारा 370 की उपधारा (6) के अनुसार धारा 370 के उपबंध कंपनी (संशोधित) अधिनियम, 1999 के प्रारंभ होने के बाद लागू नहीं हैं।

8. दी गई सूचना और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध फर्मों अथवा अन्य पक्षों को रक्षित अथवा अरक्षित कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है। अधिनियम की धारा 370 की उपधारा (6) के अनुसार धारा 370 के उपबंध कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 प्रारम्भ होने के बाद लागू नहीं हैं।

9. कम्पनी द्वारा ऋण की प्रकृति में ऋणों और अग्रिमों के संबंध में मूल राशि और ब्याज की वसूली, जहां भी लागू हो, सामान्यत: यथानिर्दिष्ट की गई है।

10. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय के अनुरूप संघटकों, संयंत्र और मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसम्पत्तियों तथा सामग्रियों की बिक्री सहित भण्डारों, कच्चे माल की खरीद के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि है।

11. दी गई सूचना और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने संविदा अथवा करार के अनुसरण में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध प्रत्येक पक्ष के संबंध में वर्ष के दौरान 50,000 रु. अथवा अधिक के सामानों और सामग्रियों की खरीद सामानों और सेवाओं की बिक्री नहीं की है।

12. जैसा हमें स्पष्ट किया गया है, कम्पनी में अप्रयोज्य या क्षतिग्रस्त सामग्री, कच्चे माल और निर्मित माल के निर्धारण के लिए उचित प्रणाली है। कंपनी की नीति के अनुसार इस प्रकार निर्धारित मदों के संबंध में होने वाली क्षति के लिए लेखे में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

13. कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की हैं।

14. हमारी राय में, कम्पनी ने महत्वपूर्ण रद्दी की बिक्री और निपटान के लिए उचित रिकार्ड रखे हैं। हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी के प्रचालनों द्वारा कोई प्राप्तण्य उप-उत्पाद का उत्पादन नहीं होता।

15. हमारी राय में, कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली व्यापक तौर पर कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है। तथापि, कुछ इकाईयों में इसे अधिक व्यापक बनाने, आवधिकता में सुधार करने और आंतरिक लेखा-परीक्षा को सुदृढ़ बनाने की गुंजाइश है।

आंतरिक लेखा परीक्षा की सीमा, व्यापकता और आवधिकता कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा नियम-पुस्तिका में परिभाषित है और उसका सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को अधिक कार्यपालकों को शामिल करके हाल ही में सुदृढ़ किया गया है।

16. प्रथम दृष्ट्या, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार विद्युत मोटरों सीवन रहित (सीमलेस) इस्पात ट्यूबों, इलेक्ट्रिक जेनरेटर, पावर ट्रांसफॉर्मर विद्युत चालित पम्पों, कंट्रोल इंसट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन उपस्कर के विनिर्माण के लिए निर्धारित लागत लेखा और रिकार्ड रखा है। तथापि यह निर्धारित करने की दृष्टि से कि वे यथार्थ अथवा पूर्ण हैं, रिकार्डों की विस्तृत जांच नहीं की गई थी। हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई सूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने कंपनी के अन्य उत्पादों के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अधीन लागत रिकार्ड रखना निर्धारित नहीं किया है।

17. कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार भविष्यनिधि और कर्मचारी राज्य बीमा (जहां लागू हो) की बकाया राशियां वर्ष के दौरान, एक इकाई, जहां इकाई ने स्थगन आदेश प्राप्त किया है और एक दूसरी अन्य इकाई, जहाँ कंपनी ने कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग को केवल एक हिस्सा जमा किया है क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है, को छोड़कर उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा की गई हैं।

दोनों मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं।

18. हमें दी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, और उत्पाद शुल्क जो दिनांक 31 मार्च, 2002 को इनके देय होने की तारीख से छ: महीने की अनधिक अवधि के लिए बकाया रही है, के संबंध में कोई अविवादित और बकाया राशियां नहीं हैं।

19. दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण व्यवहारों के अनुसार लेखा बहियों की जांच पर संविदात्मक दायत्वों से उत्पन्न हुए अथवा सामान्यत: स्वीकृत व्यवसाय व्यवहार के अनुसार कोई भी व्यक्तिगत व्यय लाभ-हानि लेखे में प्रभारित नहीं किया गया है।

20. रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 3(1) (ण) के उपबंधों के अधीन कम्पनी रुग्ण कंपनी नहीं है।

21. सेवा कार्यकलापों के संबंध में :

क) कंपनी में उसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप प्राप्तियों, निर्गमनों, सामग्रियों और भंडार की खपत तथा संबद्ध कार्यों के लिए खपत की गई सामग्री के आबंटन का रिकार्ड रखने की उचित प्रणाली है।

ख) कम्पनी के पास सामान्यत: अपने आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप संबद्ध कार्यों के लिए प्रयुक्त मानव-घन्टे आबंटित करने की उचित प्रणाली है।

ग) भण्डार से माल निर्गमन और कार्य के लिए भंडार और श्रमिक के आबंटन पर कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली के साथ उचित स्तरों पर प्राधिकार की उचित प्रणाली है।

कृते शिरोमणि त्यागी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-
(प्रदीप त्यागी)
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 अगस्त, 2002

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

	प्रबंधन का उत्तर
लेखे का भाग होने वाली टिप्पणी की मद सं. 24 (अनुसूची-19) में यथाइंगित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकनों के परिणामस्वरूप कंपनी के लेखे संशोधित किए गए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संपूरण में निम्नलिखित और टिप्पणियां की जाती हैं।	
सामान्य	
लेखाकरण नीति सं. 11(i) निर्दिष्ट करती है कि कंपनी द्वारा/कंपनी के विरूद्ध निर्णीत हर्जाने के लिए दावों को स्वीकृति पर लेखे में माना जाता है। स्वीकृति लंबित रहने तक, कंपनी ने ग्राहकों द्वारा रोक रखी एलडी की राशि आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट की है। यह नीति स्वीकृति के मुद्दे को मुक्त छोड़ देती है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कंपनी ने नीति को और उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी बनाने का आश्वासन दिया है।	दर्ज किया गया

ह./-
रेवती बेदी
मुख्य निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन
सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2002

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लेखों की समीक्षा।

टिप्पणी : लेखे की समीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में विहित प्रतिबंधों को ध्यान में रखे बिना तैयार की गई है।

1. वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई सारणी पिछले तीन वर्षों के लिए मुख्य शीर्षों के अधीन कंपनी की वित्तीय स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है :

(रु. करोड़ में)

	1999-2000	2000-2001	2001-2002
देयताएं			
(क) चुकता पूँजी			
(i) सरकार (आवंटन तक लंबित रहने तक शेयर आवेदन राशि)	165.76	165.76	165.76
(ii) अन्य	79.00	79.00	79.00
(ख)			
(i) मुक्त प्रारक्षित निधि और अधिशेष	3351.15	3582.83	4222.08
(ii) शेयर प्रीमियम लेखा	0.00	0.00	0.00
(iii) पूंजी प्रारक्षित निधि	2.77	2.77	2.77
(ग) उधार			
i) भारत सरकार से	0.00	0.00	0.00
ii) वित्तीय संस्थाओं से	42.35	120.29	15.61
iii) विदेशी मुद्रा ऋण	0.00	0.00	0.00
iv) नकद ऋण	196.00	590.34	0.28
v) अन्य	0.01	312.64	626.28
vi) प्रोद्भूत और देय ब्याज	2.33	2.33	2.33
(घ) i) चालू देयताएं और प्रावधान	4591.10	4162.96	4715.86
ii) उपदान के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00
iii) पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए क्रेडिट	0.00	0.00	21.29
(ङ) आस्थगित कर देयता	0.00	0.00	0.00
जोड़	**8430.47**	**9018.92**	**9851.26**
परिसम्पत्तियाँ			
(च) सकल ब्लॉक	2810.81	3004.05	3182.00
(छ) घटाएँ – मूल्यह्रास	1755.02	1902.81	2057.68
जोड़ें : पट्टा समायोजन लेखा	32.00	41.37	52.26
(ज) निवल ब्लॉक	1087.79	1142.61	1176.58
(झ) चालू पूंजीगत कार्य	72.44	61.18	56.67
(ञ) निवेश	10.34	10.34	10.34
(ट) चालू परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	7018.96	7576.20	8053.77
(ठ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	-	304.62
(ड) बट्टे खाते नहीं डाले गये विविध व्यय	240.94	228.59	249.28
(ढ) संचित हानि	0.00	0.00	0.00
जोड़	**8430.47**	**9018.92**	**9851.26**
(ण) कार्यशील पूंजी (ट–घ (i)–ग (vi)	2425.53	3410.91	3335.58
(त) नियोजित पूंजी (ज+ण)	3513.32	4553.52	4512.16

(थ) निवल मूल्य [क+ख(i)+ख(ii)-ड-ढ]	3354.97	3599.00	4217.56
(द) पूंजी की प्रति रुपया निवल मूल्य	13.71	14.70	17.23

304.62 करोड़ रुपये की आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता ने भी वर्ष के लिए निवल मूल्य की वृद्धि में योगदान किया है।

2. निधियों के स्त्रोत और उपयोग

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वर्ष के दौरान आंतरिक और बाह्य स्त्रोतों से 706.97 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई और उसका उपयोग किया गया:

(रु. करोड में)

निधियों के स्त्रोत			
क)	प्रचालन से प्राप्त निधियां:		
	कर-पश्चात लाभ	467.95	
	जोड़ें : मूल्यह्रास	154.87	622.82
ख)	सीडब्ल्यूआईपी में कमी		4.51
ग)	पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियां		21.29
घ)	कार्यशील पूंजी में कमी (प्रस्तावित लाभांश और उसपर कर को छोड़कर)		58.35
	जोड़		**706.97**
निधियों का उपयोग			
क)	स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि		188.84
ख)	अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर सहित)		80.92
ग)	उधार ली गई निधियों में कमी		381.10
घ)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां		35.42
ङ)	बट्टे खाते नहीं डाले गए विविध व्यय में वृद्धि		20.69
	जोड़		**706.97**

3. कार्य परिणाम

दिनांक 31 मार्च को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए कम्पनी के कार्य परिणाम नीचे दिए गए हैं

(रु. करोड़ में)

		1999-2000	**2000-2001**	**2001-2002**
i)	बिक्री	6659.50	6377.36	7297.28
ii)	घटाएं : उत्पाद शुल्क	612.00	633.65	691.54
iii)	निवल बिक्री	6047.50	5743.71	6605.74
iv)	अन्य अथवा विविध आय	470.38	505.42	493.92
v)	कर-पूर्व लाभ और पूर्वावधि समायोजन	863.56	294.53	657.35
vi)	पूर्वावधि समायोजन	1.87	0.44	5.48
vii)	कर-पूर्व लाभ *	865.43	294.09	662.83
viii)	कर प्रावधान	265.99	(-)18.52	194.89
ix)	कर-पश्चात लाभ	599.44	312.61	467.95
x)	प्रस्तावित लाभांश	85.54	80.92	97.90

* इकाई-वार कार्य परिणाम अनुबंध में दिए गए हैं।

4. अनुपात विश्लेषण

31 मार्च को समाप्त पिछले तीन वर्षों में कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात निम्नानुसार हैं :

		1999-2000	**2000-2001**	**2001-2002**
क.	नकदी अनुपात :			
	चालू अनुपात (ट/घ (i)+ग (vi)	1.53	1.82	1.71

ख.	ऋण : इक्विटी अनुपात दीर्घावधिक ऋण/इक्विटी [ग (i) से (v)] [अल्पावधिक ऋण/थ को छोड़कर]	0.07	0.13	0.15
ग.	लाभप्रदता अनुपात :			(प्रतिशत में)
	क) कर-पूर्व लाभ			
	i) नियोजित पूंजी	24.63	6.46	14.69
	ii) निवल मूल्य	25.80	8.17	15.72
	iii) बिक्री	13.00	4.61	9.08
	ख) इक्विटी पर कर-पश्चात् लाभ	244.91	127.72	191.19
	ग) प्रति शेयर अर्जन (रु. में)	24.49	12.77	19.12

5. माल-सूची स्तर

31 मार्च को समाप्त पिछले तीन वर्षों के अंत में माल-सूची स्तर निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

		1999-2000	2000-2001	2001-2002
क)	कच्चा माल	635.57	660.35	655.60
ख)	सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे और खुले औजार	106.51	98.83	90.26
ग)	चालू कार्य और अर्ध-निर्मित वस्तुएं	846.20	1081.44	1074.13
घ)	निर्मित वस्तुएं	194.30	208.98	185.62
ग)	रद्दी	11.28	12.07	12.11
	जोड़	1793.86	2061.67	2017.72

निर्मित वस्तुओं का स्टॉक वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 में क्रमश: 0.35, 0.39 और 0.31 महीनों की बिक्री प्रदर्शित करते हैं।

6. विविध देनदार

31 मार्च को समाप्त पिछले तीन वर्षों में विविध देनदार और बिक्रियां निम्नानुसार हैं :

(रु. करोड़ में)

31 मार्च को	विविध देनदार			बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	विविध देनदारों की बिक्री के अनुसार प्रतिशत
	सही माने गये	संदिग्ध माने गये	जोड़		
2000	4037.30	549.50	4586.80	6659.50	68.88
2001	4174.30	608.81	4783.11	6377.36	75.00
2002	4584.19	638.30	5222.49	7297.28	71.57

दिनांक 31 मार्च, 2002 को विविध देनदारों का अवधिवार विश्लेषण नीचे दिया गया है :

		(रु. करोड़ में)
i)	6 महीने से कम	2563.77
ii)	6 महीने से 1 वर्ष तक	668.76
iii)	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	1160.73
iv)	3 वर्ष से अधिक	829.23
	जोड़	**5222.49**

ह./-
(रेवती बेदी)
मुख्य निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन
सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली

नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2002

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की इकाइयों के कार्यचालन परिणाम

अनुबंध

(करोड़ रुपये में)

	1999-2000	2000-2001	2001-2002
हेवी इलेक्ट्रिकल्स उपस्कर संयंत्र, हरिद्वार	147.74	26.16	65.72
हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट, हैदराबाद	206.56	54.55	104.46
हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट, तिरुचि	195.49	150.52	148.40
हेवी इलेक्ट्रीकल्स प्लांट, भोपाल	50.96	-70.10	16.40
सेन्ट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट, हरिद्वार	-0.87	-30.84	-21.62
ट्रान्सफॉर्मर प्लांट, झांसी	-14.59	-117.29	-20.90
इलेक्ट्रानिक्स डीविजन, बंगलौर	73.82	16.66	47.21
इंडस्ट्रियल वाल्व प्लांट, गोइंदवाल	2.36	2.23	1.18
इंडस्ट्रियल सिस्टम्स ग्रुप, बंगलौर	1.66	-2.70	-10.99
बॉयलर ऑक्जिलरी प्लांट, रानीपेट	20.73	13.31	28.23
इलेक्ट्रो पोर्सिलेंस डिवीजन, बंगलौर	7.18	1.34	11.75
इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर	-9.30	-16.64	-9.00
पावर ग्रुप (चार क्षेत्र तथा परियोजना इंजीनियरिंग प्रबंध)	271.85	182.68	224.60
इंटरनेशनल ऑपरेशन्स डिवीजन, नई दिल्ली	0.07	0.12	-0.01
ओवरसीज़ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, नई दिल्ली	6.52	2.21	3.25
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्र, हैदराबाद	0.58	1.22	1.77
उद्योग क्षेत्र, नई दिल्ली	0.10	-0.38	0.15
संघटक संरचना संयंत्र, रुद्रपुर	-1.18	-2.02	-1.53
क्षेत्रीय प्रचालन प्रभाग	1.41	-4.28	-0.12
भारी उपस्कर मरम्मत संयंत्र, वाराणसी	4.91	5.33	5.57
उन्नत अनुसंधान परियोजना, नई दिल्ली	0.12	0.45	0.19
पारेषण परियोजना ग्रुप, भोपाल	8.09	21.79	18.13
कारपोरेट समायोजन	-108.78	59.77	49.99
जोड़	**865.43**	**294.09**	**662.83**

ऊर्जा का संरक्षण

कैजेन के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए कंपनी में ऊर्जा के विभिन्न रुपों के संरक्षण और इष्टतम प्रयोग के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। कंपनी में ऊर्जा के संरक्षण के लिए गए मुख्य उपाय नीचे सूचीबद्ध हैं :

1. भार का इष्टतम वितरण जिससे शीर्ष भार मांग में कमी हुई।
2. विद्युत अनुपात (फैक्टर) में सुधार संबंधी उपाय
3. मांग पक्ष प्रबंध और एमडी नियंत्रक की संस्थापना
4. आर्क भट्ठियों का योजनाबद्ध चालन
5. प्रेरक भट्ठियों का बेहतर प्रचालन/नियंत्रण
6. कास्टिंग्स के पूर्व-उष्मान के लिए एलपीजी के स्थान पर प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग
7. मैग्नेटाइजर की संस्थापना द्वारा वॉकिंग बीम फर्नेस में ऊर्जा की बचत
8. टीपीएस में वाष्प उत्पादन के प्रति मीट्रिक टन आरएफओ/एफओ की खपत में कमी
9. प्रकाश-व्यवस्था के प्रयोजनार्थ फ्लुरेसेंट ट्यूबलाइट की बजाय मेटल हेलोजन लैम्पों का प्रयोग

ऊर्जा बचत संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 2001-2002 के लिए कुल कारोबार की प्रतिशतता के रूप में ऊर्जा की लागत पिछले वर्ष 3% की तुलना में 2.63% पर रोक रखी गई थी। यह कमी कोयले, तेल, विद्युत आदि के मूल्य में समग्र वृद्धि के बावजूद प्राप्त की गई।

प्रौद्योगिकी आमेलन और अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास

1. विशेष क्षेत्रों, जिनमें कम्पनी द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य किए गए
2. उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ

} ''अनुसंधान एवं विकास और वर्ष 2001-2002 में प्रौद्योगिकीय उपलब्धियाँ'' के अधीन निवेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

3. भावी कार्य-योजना :

अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी के लिए बल देने वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

- ताप (थर्मल) विद्युत संयंत्र और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए उन्नत नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन प्लेटफॉर्म
- ताप (थर्मल) विद्युत संयंत्र अनुप्रयोग के लिए निष्पादन विश्लेषण, निदान और अनुकूल (पीएडीओ) प्रणालियां।
- 8 मेगावाट औद्योगिक स्टीम टर्बाइन
- एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्रीय (आईजीजीसी) विद्युत संयंत्र
- उच्चतर दक्षता तथा दीर्घजीवी जल विद्युत संयंत्र
- अ-परम्परागत ऊर्जा प्रणालियां
- डीजल-विद्युत इंजनों के लिए तीन-फेज एसी ड्राइव जैसी सक्षम, विश्वसनीय और लागत प्रभावी परिवहन प्रणाली
- एचवीडीसी पारेषण प्रणालियां
- फ्लेक्सिबल एसी पारेषण प्रणालियां और उसके उपकरण जैसे फेज शिफ्ट ट्रांसफॉर्मर, स्टेटिक सिंक्रोनाइज्ड कम्पेनसेटर (स्टेटकॉम) नियंत्रित शंट रिएक्टर आदि।
- गैर विसंवाहित स्विचगियर
- उच्च क्षमता वाले बॉयलर फीड पम्प

- सुपर क्रिटिकल पैरामीटरों का प्रयोग करते हुए अधिक सक्षम पारम्परिक ताप (थर्मल) विद्युत संयंत्र
- एटमॉसफेरिक और सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलर
- कम्पन और शोर की कमी
- अवशिष्ट अवधि आंकलन अध्ययन
- चक्र अवधि और लागत की कमी
- विशिष्ट इंजीनियरी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

क) पूंजी	....	75 मिलियन रूपए
ख) आवर्ती	....	796 मिलियन रूपए
ग) कुल	....	871 मिलियन रूपए
कुल कारोबार की प्रतिशतता के रूप अनुसंधान और विकास व्यय	....	1.19%

प्रौद्योगिकी आमेलन एवं अधिग्रहण

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण

प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	आमेलन स्थिति
वन्स थ्रू बॉयलर्स	1999	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर
फेब्रिक फिल्टर	1999	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर
उन्नत ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म	2000	प्रौद्योगिकी आमेलन प्रगति पर

ग) विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम

क) ''अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय'' के अधीन निदेशकों की रिपोर्ट के अधीन निर्यात संबंधी सूचना से संबंधित कार्यकलाप दिए गए हैं।

ख) प्रयुक्त एवं अर्जित कुल विदेशी मुद्रा

(मिलियन रूपए में)

	2001-2002	2000-2001
i प्रयुक्त विदेशी मुद्रा	14029	13372
ii अर्जित विदेशी मुद्रा	21680	11666

कारपोरेट शासन

01. कारपोरेट शासन की संहिता पर कंपनी का दर्शन

कारपोरेट शासन की संकल्पना, जिसने अभूतपूर्व विश्वव्यापी ध्यान प्राप्त किया है, सामयिक और पारदर्शी वित्तीय तथा साथ ही शेयरधारकों को प्रबंधकीय प्रकटन सुनिश्चित करने के लिए जांच और संतुलनों का हवाला देता है। बोर्ड की अच्छी पद्धतियां, पारदर्शी प्रकटन तथा विनियामक निर्दिष्टि से अधिक जिम्मेदारी अच्छे कारपोरेट शासन के केंद्र में मौजूद है।

बीएचईएल अपने सभी परिचालनों में अच्छे कारपोरेट शासन में विश्वास और उसका प्रयोग करता है तथा शासन के उच्चतम मानकों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता दोहराता है।

02. निदेशक बोर्ड

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसरण में बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है। इस समय कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 67.72% भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित है।

दिनांक 31 मार्च, 2002 को बीएचईएल के बोर्ड में 12 (बारह) निदेशक यथा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, पांच पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक (कार्यात्मक निदेशक), भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सरकारी नामिती और चार गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। चार और गैर-कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

- **उत्तरदायित्व**

बोर्ड का अधिदेश कंपनी की कार्यनीति संबंधी दिशा का निरीक्षण करना, कारपोरेट निष्पादन की समीक्षा और अनुवीक्षण करना, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा करना है।

- **स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका**

स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की बैठकों में विचार-विमर्श में महत्वूर्ण भूमिका निभाते हैं और इंजीनियरी, वित्त, प्रबंधन, विधि और सरकारी नीति के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता कंपनी को प्रदान करते हैं।

बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति, शेयरधारक शिकायत समिति और शेयर अंतरण समिति जैसी कई समितियां स्थापित की है। सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है और उक्त समितियां परिभाषित विचारार्थ विषयों के भीतर कार्य करती हैं। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त परिचालित किया जाता है और बोर्ड की बैठक में उसपर चर्चा की जाती है।

- **बोर्ड की बैठक**

बोर्ड की बैठकें सामान्यत: नई दिल्ली स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और वे बहुत पूर्व निर्धारित की जाती हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से कंपनी सचिव प्रत्येक निदेशक को लिखित में बोर्ड की प्रत्येक बैठक का नोटिस भेजता है। बोर्ड की कार्यसूची अग्रिम रूप से निदेशकों को परिचालित की जाती है। बोर्ड के सदस्यों की कंपनी की सभी जानकारी तक अभिगम्यता होती है और वे चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी विषय को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं। आवश्यकता के मामले में वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों की चर्चा की जा रही मदों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने और/अथवा बोर्ड को प्रस्तुतिकरण देने के लिए बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की निम्नलिखित तारीखों को ग्यारह बैठकें हुई : (i) 2 अप्रैल, 2001 (ii) 27 अप्रैल, 2001 (iii) 21 मई, 2001 (iv) 15 जून, 2001 (v) 26 जुलाई, 2001 (vi) 14 अगस्त, 2001 (vii) 23 अगस्त, 2001 (viii) 31 अक्तूबर, 2001 (ix) 26 दिसम्बर, 2001 (x) 28 जनवरी, 2002 और (xi) 8 मार्च, 2002। किसी भी दो बैठकों के बीच अधिकतम समयांतराल तीन कैलेंडर महीने से अधिक नहीं था।

- **निदेशकों का संयोजन और श्रेणी, बोर्ड की बैठकों और पिछली आम वार्षिक बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, कंपनी के प्रत्येक निदेशक की अन्य कंपनियों में निदेशक पदधारिता और सदस्यता नीचे दी गई है (दिनांक 31 मार्च, 2002 को) :**

नाम सर्व/श्री	प्र.नि./ गै.प्र.नि.*	का.नि./गै.का.नि. स्व.नि.*	उपस्थिति विवरण		अन्य निदेशक पदधारिता और समिति सदस्य/ अध्यक्षता की संख्या		
			बोर्ड की बैठक (01/04/01 से 31/03/02)	**पिछली वार्षिक आम बैठक (28/09/01 को आयोजित)**	**अन्य निदेशक पदधारिता**	**समिति की सदस्यता**	**समिति की अध्यक्षता**
के.जी. रामचन्द्रन (अ.एवं प्र. नि.)	गै.प्र.नि.	का. नि.	11	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
के.के. जसवाल	प्र.नि.	गै.का.नि.	11	अनुपस्थित	8	1	शून्य
एस.वी. भावे	प्र.नि.	गै.का.नि.	10	अनुपस्थित	4	शून्य	शून्य
ईशान शंकर	गै.प्र.नि.	का. नि.	11	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
एच. डब्ल्यू. भटनागर	गै.प्र.नि.	का. नि.	11	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
आर. सी. अग्रवाल	गै.प्र.नि.	का. नि.	10	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
सी. श्री निवासन	गै.प्र.नि.	का. नि.	11	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
एम. के. मित्तल (31.10.2001 तक)	गै.प्र.नि.	का.नि.	7	उपस्थित	1	शून्य	शून्य
वीरेन्द्र कुमार (01.11.2001 से)	गै.प्र.नि.	का.नि.	3	उ. न.	शून्य	शून्य	शून्य
ए. सी. वधावन (15.06.2001 से)	गै.प्र.नि.	गै.का.नि./स्व.नि.	6	उपस्थित	4	3	1
आनंद पाटकर (15.06.2001 से)	गै.प्र.नि.	गै.का.नि./स्व.नि.	7	उपस्थित	3	1	शून्य
जी. पी. गुप्ता (14.08.2001 से)	गै.प्र.नि.	गै.का.नि./स्व.नि.	4	उपस्थित	1	शून्य	शून्य
शरद उपासनी (26.12.2001 से)	गै.प्र.नि.	गै.का.नि./स्व.नि.	1	उ.न.	3	1	1

* प्र.नि.- प्रवर्त्तक निदेशक, गै.प्र.नि.-गैर-प्रवर्त्तक निदेशक, का.नि.- कार्यकारी निदेशक, गै.का.नि.- गैर-कार्यकारी निदेशक, स्व.नि.- स्वतंत्र निदेशक

03. लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति में इस समय एकमात्र गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। लेखा परीक्षा समिति के सदस्य हैं, श्री ए.सी. वधावन, श्री जी.पी. गुप्ता और डा. आनंद पाटकर। श्री वधावन लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। लेखा परीक्षा समिति से सूचीकरण करार और कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार परामर्श किया जाता है। समिति के सभी सदस्य वित्त लेखा और कंपनी कानून में योग्यता प्राप्त और अनुभवी है। लेखा परीक्षा समिति का कोरम दो सदस्य हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

- **विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण:**

  लेखा परीक्षा समिति के बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट विचारार्थ विषय सूचीकरण करार के खण्ड 49 तथा साथ ही कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क की अपेक्षाओं के अनुरूप है। वे निम्नानुसार हैं:

  1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है, इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन।
  2. बाहरी लेखा परीक्षकों का लेखा परीक्षा शुल्क नियत करना तथा अन्य किसी सेवा के लिए भुगतान के लिए अनुमोदन।
  3. प्रबंधन, बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, लेखा परीक्षकों के अवलोकनों सहित लेखा परीक्षा के सीमाक्षेत्र की आवधिक रूप से समीक्षा करना और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन सुनिशचित करना।
  4. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्राथमिक तौर पर निम्नलिखित पर विशेष बल देते हुए प्रबंधन के साथ अर्धवार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा :
     - लेखाकरण नीतियों तथा पद्धति में कोई परिवर्तन
     - प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रमुख लेखाकरण प्रविष्टियां
     - लेखा परीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजन
     - गोइंग कन्सर्न का पूर्वानुमान
     - लेखाकरण मानकों का अनुपालन
     - स्टॉक एक्सचेंज विनियमों तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन।
     - किसी संबद्ध पक्ष से लेन-देन अर्थात् कंपनी का प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि के साथ वास्तविक लेने-देन, जिसमें पूरी कंपनी के हितों से संभावित विवाद की संभावना हो।
  5. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग का ढांचा, कर्मचारियों की संख्या और विभाग की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग की ढांचागत व्यवस्था, सीमा क्षेत्र और आंतरिक लेखा परीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा।
  6. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई।
  7. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा ऐसे विषयों की आंतरिक जांच, जिनमें धोखाधड़ी अथवा अनियमितता या वास्तविक रूप में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता का संदेह हो, के निष्कर्षों की समीक्षा करना और बोर्ड को इस विषय की जानकारी देना।
  8. लेखा परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व, लेखा परीक्षा के स्वरुप और कार्यक्षेत्र के विषय पर बाह्य लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना तथा चिंता के किसी क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा-पश्चात चर्चा करना।
  9. कंपनी की वित्तीय और जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।
  10. जमाकर्त्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान नहीं होने की स्थिति में) तथा लेनदारों के भुगतान में पर्याप्त चूक के लिए कारणों का पता लगाना।
  11. लेखा परीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम की धारा 292 क में निर्दिष्ट अथवा बोर्ड द्वारा उसे भेजी गई मदों के संबंध में किसी भी मामले की जांच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजनार्थ उसे कंपनी के रिकॉर्ड में विहित जानकारी और बाह्य व्यावसायिक सुझाव, अगर आवश्यक हो, प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
  12. लेखा परीक्षण समिति कंपनी अधिनियम तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ लागू तथा समय-समय पर यथा-संशोधित सूचीकरण करार की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

- **समिति की संरचना और सदस्यों की उपस्थिति**

समिति की समीक्षाधीन वर्ष के दौरान छः बार बैठकें हुई। संरचना का विवरण, सदस्यों के नाम, उनका कार्यकाल और अध्यक्ष तथा सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

		निदेशक का नाम तथा पद			
		श्री ए.सी. वधावन (14.08.2001) से अध्यक्ष	श्री के.के जसवाल (सदस्य)	श्री जी.पी. गुप्ता (सदस्य)	डा. आनंद पाटकर (सदस्य)
कार्यकाल	से	26.07.2001	01.08.2000	23.08.2001	26.07.2001
	तक	जारी	23.08.2001	जारी	जारी
बैठकें/ उपस्थिति	14.08.2001	उपस्थित	उपस्थित	उ.न.	उपस्थित
	23.08.2001	उपस्थित	उपस्थित	उ.न.	उपस्थित
	30.10.2001	उपस्थित	उ.न.	उपस्थित	उपस्थित
	27.12.2001	उपस्थित	उ.न.	उपस्थित	उपस्थित
	28.01.2002	उपस्थित	उ.न.	उपस्थित	उपस्थित
	08.03.2002	उपस्थित	उ.न.	अनुपस्थित	उपस्थित

*श्री जी.पी. गुप्ता को दिनांक 14 अगस्त, 2001 से गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और बाद में श्री के.के. जसवाल के स्थान पर दिनांक 23 अगस्त, 2001 से लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

04 पारिश्रमिक समिति

सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण बीएचईएल के निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया जाता है। इसलिए बोर्ड निदेशकों के पारिश्रमिक का निर्णय नहीं लेता। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों तथा साथ ही समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए "सिटिंग फीस" का भुगतान किया जाता है। तथापि, खण्ड 49 (iii)(ख) द्वारा यथापेक्षित, निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

- **कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण:**

क्र. सं.	निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	बोनस/ कमीशन	निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन	कुल	स्टॉक विकल्प	सेवा संविदा/नोटिस अवधि/ सेवा प्रदाय फीस
	सर्व/श्री	(रूपए)	(रूपए)	(रूपए)	(रूपए)	(रूपए)	(रूपए)	
1.	के.जी. रामचन्द्रन	470552	183849	शून्य	शून्य	654401	शून्य	चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।
2.	ईशान शंकर	445646	158746	शून्य	शून्य	604392	शून्य	चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति
3.	एच.डब्ल्यू. भटनागर	442022	259853	शून्य	शून्य	701875	शून्य	चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति
4.	आर.सी अग्रवाल	438507	193206	शून्य	शून्य	631713	शून्य	चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति
5.	सी. श्री निवासन	405890	177208	शून्य	शून्य	583098	शून्य	चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति
6.	वीरेन्द्र कुमार (01.11.2001 तक)	511008	138121	शून्य	शून्य	649129	शून्य	चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति
7.	एम. के मित्तल (31.10.2001 तक)	261616	90792	शून्य	शून्य	352408	शून्य	चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति

- **वर्ष 2001-2002 के दौरान गैर-कर्मचारी निदेशकों को दिए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:**

(रूपए में)

गैर-कार्यकारी निदेशकों का नाम	सिटिंग फीस		कुल
	बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
श्री ए.सी. वधावन	27, 000/-	37, 000/-	64, 000/-
श्री जी.पी. गुप्ता	20, 000/-	15, 000/-	35, 000/-
डा. आनंद पाटकर	32, 000/-	27, 000/-	59, 000/-
श्री शरद उपासनी	5, 000/-	शून्य	5, 000/-

05 शेयरधारक समिति

i) शेयर अंतरण समिति

बोर्ड ने बहुत पहले एक शेयर अंतरण समिति गठित किया था, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (विद्युत) तथा निदेशक (वित्त) शामिल हैं। यह शेयर अंतरण समिति सभी शेयर से संबद्ध मुद्दों शेयरों के अंतरण/पारेषण, डीमैट मोड के अधीन लाभप्रद स्थिति को ध्यान में रखने के अतिरिक्त फिजिकल मोड में डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र आदि जारी किए जाने पर विचार करती है और अनुमोदन प्रदान करती है। वर्ष 2001-2002 के दौरान अंतरण समिति ने बाइस बैठकें कीं और शेयर से संबद्ध मुद्दों से संबंधित कार्य किया। शेयर अंतरण आदि से संबंधित कार्य मैसर्स कार्वी कंसल्टेंट्स लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा देखा जाता है। शेयर अंतरण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त आवधिक रूप से निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं।

ii) शेयरधारक/निदेशकों की शिकायत समिति

कंपनी ने दिनांक 26 जुलाई, 2001 की एक शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति का गठन किया। संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम, आयोजित बैठकों की संख्या और सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	**निदेशक का नाम तथा पद**	**बैठकें/उपस्थिति**	
	सर्व/श्री	30.10.2001	04.02.2002
1.	ए.सी. वधावन (अध्यक्ष)	उपस्थित	उपस्थित
2.	ईशान शंकर (सदस्य)	उपस्थित	उपस्थित
3.	सी. श्रीनिवासन (सदस्य)	उपस्थित	उपस्थित

शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति के गठन के पूर्व, शेयरधारकों की शिकायत का निपटारा कंपनी के आरटीए, कार्वी कंसल्टेंटस, लिमिटेड द्वारा किया जाता और बोर्ड को सूचित किया जाता था और इस प्रकार मामला समिति की बजाय पूरे बोर्ड द्वारा देखा जाता था।

- **अनुपालन अधिकारी का नाम तथा पदनाम :**

  श्री एन. के. सिन्हा, कंपनी सचिव सूचीकरण करार के खण्ड 47 के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

- **अभी तक शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या :**

  जैसा कार्वी कन्सल्टेंट लिमिटेड (आर टीए) द्वारा 'सेबी' को सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान शेयरधारकों की 1571 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से सभी का दिनांक 31 मार्च, 2002 तक निपटारा कर दिया गया था।

- **शेयर धारकों की संतुष्टि तक नहीं निपटाई गई शिकायतों की संख्या :**

  शून्य

- **लंबित शेयर अंतरणों की संख्या :**

  दिनांक 31 मार्च, 2002 को कोई भी शेयर अंतरण लम्बित नहीं था। वर्ष के दौरान शेयर अंतरण स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित समय के भीतर ही किए गए और इस आशय का प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया गया है।

06. आम बैठकें

- **अवस्थान और समय, जहां पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें आयोजित हुई :**

विवरण	वित्तीय वर्ष 1998-99	वित्तीय वर्ष 1999-2000	वित्तीय वर्ष 2000-01
दिनांक और समय	30 सितम्बर, 1999 10:00 बजे पूर्वाह्न	29 सितम्बर, 2000 10:00 बजे पूर्वाह्न	28 सितम्बर, 2001 10:00 बजे पूर्वाह्न
स्थान	फिक्की सभागार बाराखम्बा रोड (तानसेन मार्ग) नई दिल्ली-110 001	फिक्की सभागार बाराखम्बा रोड (तानसेन मार्ग) नई दिल्ली-110 001	फिक्की सभागार बाराखम्बा रोड (तानसेन मार्ग) नई दिल्ली-110 001

- **क्या पिछले वर्ष डाक मत-पत्र के माध्यम से विशेष संकल्प किए गए, मतदान पैटर्न का विवरण :**

  पिछले वर्ष डाक मत-पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प नहीं किए गए।

- **व्यक्ति, जिसने डाक मत-पत्र कार्य संचालित किया :**

  लागू नहीं

- **क्या डाक मतपत्र के माध्यम से विशेष संकल्प किए जाने प्रस्तावित हैं :**

  डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

07. प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर)

- **संबंद्ध पक्ष के साथ वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण लेन-देन का प्रकटीकरण अर्थात कंपनी के प्रवर्त्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उसकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों के साथ वास्तविक लेन-देन, जिसके कंपनी के हित के विरूद्ध होने की संभावना हो :**

  कंपनी का किसी संबद्ध पक्ष से कोई भी ऐसा लेन-देन नहीं है, जिसका उसके हित के विरूद्ध होने की संभावना हो।

- **कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किए गए विषयों, पूंजी बाजार से संबद्ध किसी विषय पर स्टॉक एक्सचेंज अथवा 'सेबी' या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी पर लगाए गई दंडों, अवक्षेपों का विवरण।**

  कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार तथा साथ ही 'सेबी' द्वारा निर्धारित विनियमों और दिशा निर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी विषय पर किसी सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा कंपनी पर कोई दंड या अवक्षेप नहीं लगाा गया है।

08. संप्रेषण के साधन

- कंपनी और शेयरधारकों के बीच संप्रेषण का कोई साधन पारदर्शी और निवेशक अनुकूल नहीं है।
- कंपनी की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे-बड़े ऑर्डर प्राप्त करना, की प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों के द्वारा घोषणाएं की जाती हैं और उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाता है।
- **प्रत्येक आंतरिक शेयरधारकों को अर्धवार्षिक रिपोर्ट**

  चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा विधिवत् समीक्षा किए गए दिनांक 30 सितम्बर, 2001 को समाप्त अर्ध-वर्ष के वित्तीय परिणाम दिनांक 01.11.2001 को इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में अंग्रेजी में तथा दिनांक 02.11.2001 को जनसत्ता, नई दिल्ली में हिंदी में प्रकाशित किए गए थे।

- **तिमाही परिणाम :**

  टिप्पणियों सहित अलेखापरीक्षित तिमाही परिणाम समाचारपत्रों में निम्नानुसार प्रकाशित किए गए थे :

समाचार पत्र	समाप्त तिमाही में प्रकाशित परिणामों की तिथि				
	31.03.2001	30.06.2001	30.09.2001	31.12.2001	31.03.2002
इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली (अंग्रेजी)	28.04.2001	27.07.2001	01.11.2001	29.01.2002	01.05.2002
जनसत्ता नई दिल्ली (हिंदी)	28.04.2001	27.07.2001	02.11.2001	29.01.2002	01.05.2002

- **वेबसाइट, जहां प्रदर्शित किया गया:**

  कंपनी की वेबसाइट http://www.bhel.com. में

- **क्या इसमें सरकारी समाचार, संस्थागत निवेशकों अथवा विश्लेषकों के लिए बनाए गए प्रस्तुतीकरण भी प्रदर्शित किए जाते हैं :**
  जी हां, कंपनी के सरकारी समाचार, प्रेस कवरेज तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के लिए बनाए गए कॉर्पोरेट प्रस्तुतीकरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- **क्या प्रबंधन के विचार-विमर्श तथा विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं या नहीं :**
  जी हां, प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध-1 में हैं।

09. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

- **वार्षिक आम बैठक (दिनांक, समय तथा स्थान)** — दिनांक 30 सितम्बर, 2002 को पूर्वाह्न 10:00 बजे
  फिक्की सभागार, बाराखम्बा रोड
  (तानसेन मार्ग), नई दिल्ली-110 001
- **वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए वित्तीय कैलेण्डर**

विवरण	दिनांक
लेखाकरण अवधि	1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक
पहली तिमाही के परिणाम	31 जुलाई, 2002 को या उससे पूर्व
दूसरी तिमाही के परिणाम	31 अक्टूबर, 2002 को या उससे पूर्व
तीसरी तिमाही के परिणाम	31 जनवरी, 2003 को या उससे पूर्व
चौथी तिमाही के परिणाम	30 अप्रैल, 2003 को या उससे पूर्व
वार्षिक आम बैठक (अगले वर्ष)	सितम्बर, 2003 (अस्थायी)

- बही समापन की तारीख – 10 सितम्बर, 2002 से 30 सितम्बर, 2002 तक (दोनों दिन शामिल है)
- लाभांश भुगतान की तारीख – 29 अक्टूबर, 2002 को या उससे पूर्व
- स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीकरण – बीएचईएल के शेयर डीएसई, बीएसई, एएसई, सीएसई और मद्रास स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किए जाते हैं।

	स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता	स्टॉक कोड
1.	दि दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड डीएसई हाउस, 3/1 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002	6334
2.	दि स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई प्रथम तल, फिरोज जीजीभाय टावर्स दलाल स्ट्रीट, मुम्बई-400 001	उ.न.
3.	दि स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद कामधेनु कॉम्प्लेक्स, सहजानन्द कॉलेज के सामने पंजारा पोल, अहमदाबाद-380 015	08580/भारत हेवी
4.	दि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड 7 लेयॉन्स रेंज, कलकत्ता-700 001	उ.न.
5.	दि मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एक्सचेंज बिल्डिंग, पोस्ट बॉक्स नं. 183, 11, सेकेंड लाइन बीच, चेन्नई-600 001	उ.न.

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)**
  आईएनई 257 ए01018
- **सूचीकरण शुल्क का भुगतान** – वर्ष 2002–2003 तक उपरोक्त सभी स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।
- **बाजार मूल्य आंकड़ा** – स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में व्यापार किए गए शेयरों के मासिक उच्च और निम्न कोटेशन

माह	मुंबई स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2001	169.40	115.25
मई, 2001	192.25	150.00
जून, 2001	192.85	162.70
जुलाई, 2001	185.00	145.00
अगस्त, 2001	165.00	142.00
सितम्बर, 2001	154.60	104.50
अक्टूबर, 2001	139.80	116.10
नवम्बर, 2001	162.50	135.05
दिसम्बर, 2001	158.75	131.00
जनवरी, 2002	154.00	135.00
फरवरी, 2002	196.30	149.05
मार्च, 2002	190.90	164.65

- **बीएसई संवेदी सूचकांक जैसे व्यापक आधार वाले सूचकांक की तुलना में निष्पादन**

माह	मुंबई स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2001	3605.11	3183.77
मई, 2001	3742.07	3494.48
जून, 2001	3568.93	3318.67
जुलाई, 2001	3453.99	3251.53
अगस्त, 2001	3337.91	3244.95
सितम्बर, 2001	3231.60	2600.12
अक्टूबर, 2001	3061.91	2754.95
नवम्बर, 2001	3094.14	3013.94
दिसम्बर, 2001	3442.89	3131.78
जनवरी, 2002	3437.78	3246.15
फरवरी, 2002	3712.74	3311.73
मार्च, 2002	3690.27	3459.08

- **पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)** – मैसर्स कार्वी कन्सल्टेंट लिमिटेड
  105–108, अरूणाचल बिल्डिंग,
  19 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110 001
  दूरभाष : 3324401, 3324409, 3324417
  फैक्स : 011–3730743
  शेयर धारकों के लिए आरटीए की सेवाएं संतोषजनक रही हैं।
  निवेशकों की सभी शिकायतों का तुरंत निराकरण किया गया है।

- **शेयर अंतरण पद्धति** – वास्तविक खण्ड के अधीन संपूर्ण शेयर अंतरण संबंधी कार्य कलाप कार्वी कन्सल्टेंट लिमिटेड (आरटीए) द्वारा किए जाते हैं। शेयर अंतरण प्रणाली में अंतरिती से अंतरण विलेख के साथ शेयरों प्राप्ति, उसका सत्यापन, अंतरण ज्ञापन तैयार करना, शेयर अंतरण समिति द्वारा उसके अनुमोदन और सूचीकरण करार के अनुसार, निर्धारित समय के भीतर संबंधित अंतरितियों को अंतरित प्रमाण-पत्र के प्रेषण जैसे कार्यकलाप शामिल हैं।

- **शेयरधारिता का वितरण**

  (i) शेयरधारिता की पद्धति

  बीएचईएल के लगभग 33777 शेयर धारक हैं। दिनांक 31 मार्च, 2002 को बीएचईएल के इक्विटी शेयर पूंजी की शेयर धारिता की पद्धति निम्नानुसार थी :-

क्र. सं.		श्रेणी संख्या		धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारिता की प्रतिशतता
क.		**प्रवर्त्तकों की शेयरधारिता**			
	1	**प्रवर्तक**			
		- भारतीय प्रवर्तक			
		*(i) भारत के राष्ट्रपति		165755000	67.72
		(ii) भारत के राष्ट्रपति के नामिती		200	0.00
		- विदेशी प्रवर्तक		0	0.00
	2	**सहयोगी व्यक्ति**		0	0.00
		(i) निदेशक और संबंधी		650	0.00
			उप-जोड़	**165756850**	**67.72**
ख.		**गैर प्रवर्तकों की शेयरधारिता**			
	3	**संस्थागत निवेशक**			
	क.	**म्युचुअल फंड तथा यूटीआई**		21588707	8.82
	*(i)	यूटीआई	9078173 (3.71%)		
	*(ii)	यूटीआई-एसयूएस 1999	3226125 (1.32%)		
	(iii)	अन्य	9284409		
	ख.	**बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां (केंद्र/राज्य सरकार की संस्थाएं/ गैर सरकारी संस्थाएं)**		10744267	4.39
	*(i)	जीवन बीमा निगम	6177915 (2.52%)		
	(ii)	अन्य	4566352		
	ग.	**विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)**		37767652	15.43
	*(i)	दि इंडिया फंड इनकारपोरेटेड	2462863 (1.01%)		
	*(ii)	सालोमन स्मिथ बार्ने (एम) प्राइवेट लिमिटेड	3370277 (1.38%)		
	(iii)	अन्य	31934512		
			उप-जोड़	**70100626**	**28.64**
	4	**अन्य**			
	क.	**निजी निगमित निकाय**		2355048	0.96
	ख.	**भारतीय जनता**		4427543	1.81
	ग.	**एनआरआई/ओसीबी/ओवरसीज़ बैंक कॉर्पोरेशन**		78351	0.03
	घ.	**अन्य कोई**			
	(i)	कर्मचारी		820820	0.34
	(ii)	न्यास		10050	0.00
	(iii)	मार्गस्थ शेयर (एनएसडीएल/सीडीएसएल)		1211712	0.50
			उप-जोड.	**8903524**	**3.64**
		कुल जोड़		**244760000**	**100.00**

* टिप्पणी : नाम, धारित शेयरों की संख्या और कंपनी शेयर का 1% (एक प्रतिशत) से अधिक धारित करने वाली शेयर कम्पनियों/ व्यक्तियों की शेयरधारिता की प्रतिशतता प्रत्येक शीर्ष के अधीन दी गई है।

2.

कुल विदेशी शेयरधारिता	शेयरों की संख्या	प्रतिशत शेयरधारिता
विदेशी संस्थागत निवेशक	37767652	15.43
समुद्रपारीय निगमित निकाय और एनआरआई	78351	0.03
एडीआर और जीडीआर धारिता	0	0.00
कुल	**37846003**	**15.46**

(ii) शीर्ष पांच शेयर धारक

दिनांक 31 मार्च, 2002 को बीएचईएल के शीर्ष पांच शेयरधारक निम्नानुसार थे:-

नाम	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	165755000	67.72
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	9075473	3.71
भारतीय जीवन बीमा निगम	6177615	2.52
सालोमन स्मिथ बाने (एम) प्राइवेट लि.	3370277	1.38
भारतीय यूनिट ट्रस्ट-एसयूएस 1999	3226125	1.32
कुल	187604490	76.65

- **शेयरों और नकदी का अमूर्तकरण** - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणियों के निवेशकों द्वारा, बीएचईएल के शेयरों का अमूर्त (डीमैट) रूप में व्यापार दिनांक 5 अप्रैल, 1999 से अनिवार्य कर दिया गया है। बीएचईएल ने देश के दोनों निक्षेपागारों अर्थात् नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सिक्यूरिटीज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ अपनी प्रतिभूतियों के डीमैट रूप में प्रवेश देने के लिए करार निष्पादित किया हैं। दिनांक 31 मार्च, 2002 को बीएचईएल की कुल इक्विटी शेयर पूंजी के 31.88% को शेयर धारकों ने अमूर्त करा लिया है और वे एनएसडीएल/सीडीएसएल के नाम से धारित हैं। निक्षेपागारों के नाम और पते निम्नानुसार हैं :-

  1. नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड
     ट्रेड वर्ल्ड, 4 था तल,
     कमला मिल्स कम्पाउण्ड
     सेनापति बापत मार्ग
     लोअर परेल, मुंबई-400 013
  2. सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड
     फिरोज जीजीभॉय टावर्स
     28वां तल, दलाल स्ट्रीट
     मुंबई-400 023

- **बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव** - शून्य

- **संयंत्र अवस्थान** – हेवी इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट प्लांट हरिद्वार
  सेंट्रल फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट, हरिद्वार
  हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट, हैदराबाद
  हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट, त्रिची
  हेवी इलेक्ट्रिकल्स प्लांट, भोपाल
  ट्रांसफॉर्मर प्लांट, झांसी
  इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, बंगलौर
  इंडस्ट्रियल सिस्टम्स ग्रुप, बंगलौर
  बॉयलर ऑक्जिलरीज प्लांट, रानीपेट
  इंडस्ट्रियल वाल्व्स प्लांट, गोइंदवाल
  इलेक्ट्रोपोर्सेलिन डिवीजन, बंगलौर
  इंसुलेटर प्लांट, जगदीशपुर
  कम्पोनेंट फ्रेब्रिकेशन प्लांट, रुद्रपुर
  हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट, वाराणसी

- **निवेशकों के साथ पत्राचार हेतु पता**

  (शेयरों के अंतरण/अमूर्तकरण, शेयरों पर लाभांश भुगतान, लाभांश वारंटों को पुन: वैधीकरण और कंपनी के शेयरों के संबंधित अन्य पूछताछ के लिए)

  – भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
  पंजीकृत कार्यालय: बीएचईएल हाउस,
  सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110 049

  अथवा
  कार्वी कन्सल्टेंट्स लिमिटेड
  यूनिट : बीएचईएल
  105–108, अरुणाचल बिल्डिंग
  19 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110 001

टिप्पणी : इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों को सभी पत्राचार अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के साथ करना चाहिए।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
ह./–
के.जी. रामचन्द्रन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2002

प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्य,
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
भेल हाउस, सीरी फोर्ट,
नई दिल्ली

हमने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ उक्त कंपनी के सूंचीकरण करार के खण्ड 49 में यथानिर्दिष्ट दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमरी जांच कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यविधि और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी।

हमारे राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित के अधीन :

सूचीकरण करार के खंड 49(1)(क) यह अपेक्षा करता है कि कंपनी के निदेशक बोर्ड के कम से कम पचास प्रतिशत स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक बोर्ड में कार्यकारी और स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या इष्टतम नहीं थी।

हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर उल्लिखित सूचीकरण करार में यथा निर्दिष्ट कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह उल्लेख करते हैं कि कंपनी के पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) द्वारा प्रस्तुत सूचना और शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति को सूचित किए गए अनुसार कंपनी के विरूद्ध एक महीने से अधिक की अवधि के लिए शेयरधारक/निवेशक की कोई शिकायत लंबित नहीं है।

कृते शिरोमणि त्यागी एंड कंपनी
चार्डर्ड एकाउंटेट

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2002

ह./-
प्रदीप त्यागी
भागीदार

सूचीकरण करार (खण्ड 49 (vi) क) के अनुसार नियुक्ति एवं पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत्त

पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक

53 वर्षीय **श्री हर्षवर्धन भटनागर** आपवादिक प्रबंधकीय दक्षता के साथ एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है।

उन्होंने बीएचईएल, हरिद्वार में वर्ष 1967 में पदभार ग्रहण किया। विद्युतीय मशीन उत्पादन, अनुरक्षण और उत्पादकता आदि के क्षेत्रों में कई पदों पर कार्य करने के बाद वे वर्ष 1997 में बीएचईएल, हरिद्वार में कार्यकारी निदेशक के पद तक पहुंचे और हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट, सेंट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट, हेवी इक्विपेंट रिपेयर प्लांट, वाराणसी और प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान शामिल करते हुए बीएचईएल, हरिद्वार काम्पलेक्स के प्रचालन का प्रबंधन किया। वे बीएचईएल, हरिद्वार में उत्पादकता आंदोलन में शामिल रहे हैं और उपस्कर रख-रखाव और अनुरक्षण के प्रति अतिसक्रिय, योजनाबद्ध और निवारक दृष्टिकोण के विकास में भी अपना सहयोग प्रदान किया। श्री भटनागर अक्तूबर, 2000 से बीएचईएल के बोर्ड में निदेशक (आईएस एण्ड पी) के पद पर आसीन हैं।

श्री भटनागर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सदस्य हैं।

58 वर्षीय **श्री रमेश चंद अग्रवाल** इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने अपना कैरियर बीएचईएल, हरिद्वार में इंजीनियर प्रशिक्षणार्थी के रूप में वर्ष 1966 से शुरू किया। वे इलेक्ट्रिकल मशीन के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने वर्ष 1995 में बीएचईएल, भोपाल में कार्यग्रहण किया और दिनांक 25.06.1996 से भोपाल संयंत्र के प्रभारी का पदभार ग्रहण किया। श्री अग्रवाल दिसम्बर, 2000 से बीएचईएल के बोर्ड में निदेशक (विद्युत) के पद पर आसीन हैं।

श्री अग्रवाल को बड़ी इलेक्ट्रिकल मशीनों, जेनरेटरों, हाइड्रोटर्बाइनों और जेनरेटरों तथा ट्रांसफॉर्मरों की विनिर्माण प्रौद्योगिकियों की व्यापक विशेषज्ञता और अनुभव है। वे विभिन्न व्यावसायिक निकायों के सदस्य भी हैं, जैसे-फैलो सदस्य, दि इंस्ट्रीच्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन पर सीआईजीआरई इंटरनेशनल, पेरिस की अध्ययन समिति के सदस्य और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन के शासी निकाय के सदस्य।

57 वर्षीय **श्री चिन्नास्वामी अंयगार श्रीनिवासन** इंस्टीच्यूट ऑऊ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (एफआईसीडब्ल्यूए) के फेलो सदस्य हैं। मार्च, 2001 से बीएचईएल के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में पदग्रहण करने के पूर्व श्री श्रीनिवासन इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) के मुख्य वित्त नियंत्रक थे। इससे पूर्व श्री श्रीनिवासन जाम्बिया स्टील एण्ड बिल्डिंग सप्लाइज लिमिटेड, लुसाका के पांच वर्ष तक प्रबंधन/मुख्य लेखाकार के पद पर आसीन थे।

श्री श्रीनिवासन को कारपोरेट वित्त के क्षेत्र का व्यापक अनुभव है और उन्होंने आईपीसीएल के ऋण पोर्टफोलियो का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया। आईपीसीएल में अपने कार्यकाल के दौरान विश्व बैंक और जापान और संयुक्त राज्य अमरीका के एक्जिम बैकों से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने में सहायक रहे थे। उनके नेतृत्व में आईपीसीएल समुद्रपारीय बाजार में जीडीआर निर्गम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रथम भारतीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम के रूप में उभरा। श्री श्रीनिवासन इंजीनियरी प्लास्टिक सामग्री के विनिर्माण के लिए स्थापित आईपीसीएल और जीई की संयुक्त उद्यम कंपनी जीई प्लास्टिक्स (इंडिया) लिमिटेड के बोर्ड में भी निदेशक के पद पर आसीन थे।

58 वर्षीय **श्री वीरेन्द्र कुमार** बीआईटीएस पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियर और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए हैं। उन्होंने वर्ष 1966 में बीएचईएल में पदभार ग्रहण किया।

श्री वीरेन्द्र कुमार ने विपणन और विक्रय, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, कारपोरेट आयोजना और विकास, प्रस्ताव इंजीनियरी और कारपोरेट इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी अंतरण के प्रबंधन आदि सहित व्यापक क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मलेशिया में बीएचईएल के प्रचालन प्रमुख के रूप में वे आर्डर प्राप्त करने और रिकॉर्ड समय में प्रत्येक 2x30 मेगावाट वाले दो फास्ट ट्रैक गैस टर्बाइन आधारित विद्युत स्टेशन के सफल निष्पादन के लिए उत्तरदायी थे।

कार्यकारी निदेशक, बीएचईएल, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद संयंत्र के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बड़े आकार वाले गैस टर्बाइन (124 मेगावाट आईएसओ) के विनिर्माण, बॉयलर फीड पम्प के क्षमता सुधार, इलेक्ट्रिक जेनरेटरों की समरूप डिजाइन आदि सहित कई उपलब्धियां प्राप्त की गई थी। उनके मार्ग निर्देशन में बीएचईएल और एनटीपीसी के बीच आपूर्तिकर्ता मूल्याकंन, अनुमोदन और समीक्षा प्रकिया के लिए बाउल मिल्स और पम्प तथा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर हेतु ई-कॉमर्स के लिए बी2बी सॉफ्टवेयर विकसित किए गए थे।

श्री वीरेन्द्र कुमार अ-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की अनुसंधान और विकास सलाहकार समिति, शासी परिषद, सीईडीटीआई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आदि जैसी राष्ट्रीय महत्व की कई समितियों के सदस्य है। वे भारतीय मानक ब्यूरो के मैकेनिकल इंजीनियरी डिवीजन कांऊसिल के अध्यक्ष हैं।

वे नवम्बर, 2001 से बीएचईएल के बोर्ड में निदेशक (इंजीनियरी, अनुसंधान और विकास) के पद पर आसीन हैं।

अंशकालिक सरकारी निदेशक

57 वर्षीय श्री वी. के. मल्होत्रा, भा.प्र.से. औद्योगिक नीति और संवर्धन, भारी उद्योग और सरकारी उद्यम, लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामोद्योग विभाग एवं विनिवेश विभाग, भारत सरकार के अपर सचिव और वित्त सलाहकार हैं।

श्री मल्होत्रा अंग्रेजी साहित्य और अर्थशास्त्र में स्नात्तकोत्तर हैं और व्यापार, वित्त मे डिग्री और पर्यावरण प्रबंधन में डिप्लोमा भी रखते हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य के रूप में उनका 32 वर्षों का समृद्ध और व्यापक अनुभव रहा है। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर निचले स्तर से उच्चतम स्तर तक औद्योगिक विकास और वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के नीति निर्माण में प्रत्यक्षत: शामिल थे।

इस अवधि में उन्होंने अन्य पदों के अतिरिक्त आर्थिक कार्य मंत्रालय में उप सचिव, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन में कार्यकारी निदेशक के सहायक, उत्तरप्रदेश में राज्य वस्त्र और वित्त निगम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा के रूप में कार्य किया।

श्री वी.के. मल्होत्रा ने दिनांक 30 जुलाई, 2002 से निदेशक के रूप में बीएचईएल के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया।

इस समय श्री मल्होत्रा एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड और मारूति उद्योग लिमिटेड के बोर्ड में हैं।

कंपनी के साथ श्री मल्होत्रा की संबद्धता लाभप्रद है क्योंकि यह सरकार और कंपनी के बीच संपर्क भूमिका और संप्रेषण मार्ग प्रदान करती है।

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

63 वर्षीय **श्री शरद उपासनी** बम्बई विश्वविद्यालय से एम.कॉम और एल.एल.बी तथा संयुक्त राज्य अमरीका से एमबीए हैं। उन्होंने वर्ष 1962 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदभार ग्रहण किया।

श्री शरद उपासनी को प्रशासन में व्यापक अनुभव है क्योंकि उन्हें राज्य और केंद्र दोनों सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के निगमों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। राज्य स्तर पर उन्होंने सचिव, उद्योग विभग तथा महाराष्ट्र वित्त निगम के प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र वस्त्र निगम के अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। केंन्द्रीय स्तर पर उन्होंने वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में कार्य किया हैं। वे कंपनी विधि बोर्ड और लागत तथा मूल्य ब्यूरो, नई दिल्ली के अध्यक्ष भी थे। वे वर्ष 1974 से 1978 तक राज्य के मुख्य सचिव के रूप में महाराष्ट्र प्रशासन के उच्चतम पद पर आसीन रहे थे। श्री उपासनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमरीका में प्रतिनियुक्ति पर भी थे। वे इस समय कारपोरेट विधि सलाहकार तथा राज्य उद्यमों के पुनर्गठन के लिए महाराष्ट्र बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं।

श्री शरद उपासनी ने दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 से निदेशक के रूप में बीएचईएल के बोर्ड में पदभार ग्रहण किया।

श्री शरद उपासनी विभिन्न कंपनियों में बोर्ड स्तर समितियों के निदेशक और सदस्य हैं यथा एन्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति के निदेशक और सदस्य, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड के निदेशक और वे शिवाजी विश्व विद्यालय, महाराष्ट्र के प्रबंध परिषद के सदस्य भी हैं।

श्री उपासनी को शामिल किया जाना भारत सरकार द्वारा बोर्ड को और व्यावसायिक बनाने के लिए अनिवार्य माना गया हैं। इसके अतिरिक्त, उनकी नियुक्ति बोर्ड की संरचना से संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 49 के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए कंपनी के लिए अनिवार्य हैं।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरण, चल रही ऐतिहासिक लागत परम्परा के आधार पर तथा स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. स्थायी परिसम्पत्तियां

स्थायी परिसम्पत्तियां (राज्य सरकार से नि:शुल्क प्राप्त की गई भूमि से भिन्न) अर्जन, या निर्माण संचयी मूल्यह्रास को घटाकर लिखित मूल्य पर प्राप्त की जाती हैं।

लागत के अंतर्गत वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत या बाजार कीमत, जो भी कम हो, में ली गई पूंजी कार्य के लिए आंतरिक अंतरण मूल्य सम्मिलित होता है। असाधारण घटनाओं के प्रभाव जैसे स्थायी परिसम्पतियों के अर्जन के लिए प्रयुक्त दीर्घावधि देयताओं/कर्जे के संबंध में अवमूल्यन/पुनर्मूल्यांकन जैसी असाधारण घटनाओं को प्रभाव की लागत में जोड़ा/से घटाया जाता है।

राज्य सरकार से नि:शुल्क प्राप्त भूमि का मूल्य रु. 1 लगाया जाता है, सिवाय इसके कि वह 16 जुलाई, 1969 को या उसके पश्चात् न प्राप्त की गई हो, क्योंकि उस मामले में यह भूमि संबद्ध राज्य सरकार से पूँजी आरक्षित से तदनुरुप क्रेडिट के आधार अर्जन मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है।

विशेष रुप से परियोजनाओं के लिए उधार ली गई निधियों और उसमें अभिनिर्धारित उपगत ब्याज लागत को संगत परियोजनाओं के कमीशनिंग के समय तक पूंजीगत किया जाता है।

3. उधार लागतें

जो उधार लागतें प्रतिबंधक परिसम्पत्तियों के विनिर्माण, अर्जन या निर्माण पर खर्च की जाती हैं, वे उन परिसम्पत्तियों की लागत के रूप में शामिल हैं।

प्रतिबंधक परिसम्पत्ति वह होती है, जो अभीष्ट उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से 12 महीने से अधिक का समय लेती है।

अन्य उधार लागतों को उस अवधि का व्यय माना जाता है, जिसमें उन्हें खर्च किया गया है।

4. निवेश

(i) दीर्घावधि निवेश लागत पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों में, अस्थायी के अलावा मूल्यह्रास हुआ है और इसके लिए उचित व्यवस्था की गई है।

(ii) चालू निवेश लागत या उद्धृत/उचित मूल्य, जो भी कम है, पर किए जाते हैं। उद्धृत न किए गए चालू निवेश लागत पर किए जाते हैं।

(iii) निवेश की लागत में परिग्रहण प्रभार – जैसे, दलाली, शुल्क तथा ड्यूटी शामिल हैं।

मौजूदा राशि में यदि कोई कमी होती है या किसी कमी की पूर्ति होती है, तो उसे लाभ-हानि लेखा में प्रभारित अथवा क्रेडिट किया जाता है।

5. राजस्व मान्यता

(i) उपभोक्ता के पक्ष में स्वामित्व को अंतरित करके महत्वपूर्ण जोखिमों और प्रतिफलों के आधार पर बिक्री को दर्ज किया जाता है। ब्रिकी के अंतर्गत आंशिक पोत लदान द्वारा उपभोक्ता को प्रेषित किया गया माल आता है जो कि आदेशिती/अनादेशिती विचाराधीन औपचारिक बिल वाले होते हैं।

(ii) लम्बे उत्पादन चक्र वाले मदों (गैस आधारित पावर संयंत्रों, बायलर आग्जिलरी, कम्प्रेशरो और औद्योगिक टर्बो सेटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेट) के संबंध में बिक्री राजस्व की मान्यता तकनीकी प्राक्कलनों पर तैयार होती है। जब पोत लदान का कुल मूल्य प्रापणीय मूल्य का 30% या उससे अधिक हो तो उन पर प्रापणीय मूल्य के 97.5% पर विचार किया जाता है या इसके अभाव में उद्धृत दर पर विचार किया जाता है अन्यथा उन पर वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत या प्रापणीय मूल्य के 97.5% जो भी कम हो, पर विचार किया जाता है। शेष 2.5% संविदा के अधीन आपूर्ति पूरी हो जाने पर राजस्व के रुप में मान्यता मिलती है।

(iii) निर्माण और परियोजना प्रबंध सेवाओं से आय की मान्यता कार्य की पूर्णता बिल प्रस्तुत करने से होती है जो कार्य समापन या मूलभूत मूल्य की प्रतिशतता पर आधारित होता है इसकी गणना संविदा मूल्य के 97.5% पर की जाती है। 2.5% को आय की मान्यता तब मिलती है जब कार्य पूरा हो जाता है।

(iv) इंजीनियरी सेवाओं से प्राप्त आय की मान्यता कार्य समापन और बिल प्रस्तुतीकरण की प्रमाणित प्रतिशतता पर आधारित प्रापणीय मूल्य पर होती है।

(v) बीएचईएल में निर्माण न किए गए उपस्कर/प्रणालियों और सिविल कार्य की आपूर्ति/निर्माण से प्राप्त आय की मान्यता ग्राहकों को किए गए प्रेषणों/परियोजना स्थल पर किए गए प्रेषणों/परियोजना स्थल पर किए गए कार्य पर आधारित होती है।

6. पट्टे

वित्तीय पट्टा

क. **(i) 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियां**

विनिर्मित और वित्तीय पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां सामान्य विक्रय मूल्य/उचित मूल्य/संविदागत मूल्य पर पूंजीकृत की जाती हैं और बिक्री के रूप में माना जाता है।

विनिर्मित एवं वित्त पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियां सामान्य विक्रय मूल्य/उचित कीमत/संविदागत मूल्य पर पूंजीकृत की जाती हैं तथा बिक्री के रूप में माना जाता है।

उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है, जो मूल्यह्रास पर लेखा नीति के अनुसार, इस प्रकार की स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए लागू होती है। पट्टा किराये पर मैचिंग प्रभार पट्टा समकरण लेखा द्वारा तैयार किया जाता है।

वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

(ii) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियां

विनिर्मित एवं पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों को सामान्य विक्रय मूल्य/उचित कीमत/एनपीवी पर बिक्री के रूप में माना जाता है।

वित्त आय को पट्टा अवधि के लिए माना जाता है।

प्रारम्भिक प्रत्यक्ष लागतें पट्टा शुरु होने पर खर्च कर दी जाती हैं।

ख) 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियां

पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियोां को उचित कीमत/एनपीवी/संविदागत मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

उक्त पर उस दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है, जो मूल्यह्रास पर लेखा नीति के अनुसार, इस प्रकार की स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए लागू होती है। यदि पट्टा परिसम्पत्तियां, पट्टा अवधि समाप्त होने पर पट्टादाता को वापस करनी हैं, तो उनको उपयोगी अवधि या पट्टा अवधि, जो भी अल्प हो, के लिए उनका मूल्यह्रास किया जाता है।

किये गए पट्टा भुगतानों को पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों से सम्बद्ध वित्त प्रभारों एवं बकाया देयता की कमी, में विभाजित कर दिया जाता है।

प्रचालन पट्टा

पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियां

विनिर्मित और प्रचालन पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियां पूंजीकृत की जाती है। उनसे होने वाली पट्टा आय को पट्टा अवधि में हुई आय माना जाता है।

पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियां

प्रचालन पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों के लिए किये गए पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में हुआ खर्च माना जाता है।

7. मालसूची मूल्यांकन

(i) मालसूचियों का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित लागत या निवल प्रापणीय मूल्य पर किया जाता है।

(ii) गैस आधारित पावर संयंत्रों, बायलरों, बायलर आग्जिलरी, कम्प्रेशरों और औद्योगिक टर्बो सेटों सहित हाइड्रो और थर्मल सेटों में समाविष्ट वास्तविक/प्राक्कलित फैक्टरी लागत या प्रापणीय मूल्य के 97.5%, जो भी कम हो, पर दिया जाता है।

(iii) संयंत्र में तैयार माल एवं चालू कार्य के मूल्यांकन के लिए लागत का अर्थ कारखाना लागत है; वास्तविक/अनुमानित कारखाना लागत में विनिर्मित माल पर देय उत्पाद शुल्क शामिल है।

(iv) कच्चे माल, अवयवों, फुटकर औजारों, भंडारों एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत का अर्थ भारित औसत लागत है।

(v) जहां किसी संविदा की अंश स्वरूप व्यक्तिगत परियोजना की लागत और विक्रय मूल्य संबंधी वर्तमान आकलन हानि दर्शाता है वहां ऐसी परियोजना के संबंध में जिस पर कार्य आरंभ हो चुका है, प्रत्याशित हानि, को मान्यता दी जाती है। हानि निर्धारण में

परियोजना से प्राप्त कुल आय पर विचार किया जाता है, जिसमें निर्यातों/मानित निर्यातों पर दिये गये प्रोत्साहन भी शामिल होंगे।

(vi) उत्पादन आर्डरों के लिए खरीदे/निर्मित किए गए अवयवों और अन्य सामग्रियों जिसे अधिशेष घोषित किया गया हो उन्हें तकनीकी प्राक्कलनों के आधार पर राजस्व के अवशिष्ट मूल्य से मुक्त कर लिया जाता है।

8. सेवांत लाभ

भविष्यनिधि तथा कर्मचारी परिवार पेंशन योजना अंशदान का परिकलन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। सेवानिवृत्ति के समय उपदान, अर्धवेतन छुट्टी, नकदीकरण योग्य छुट्टी की देयता तथा सेवा-निवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ, का परिकलन बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। कर्मचारियों के संदर्भ में बीमांकित देयता प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के आरम्भ में निर्धारित की जाती है।

9. मूल्यह्रास

(i) स्थायी परिसंपत्तियों पर (संविदा के अधीन विदेश में प्रयुक्त को छोड़कर) मूल्यह्रास प्रभारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में निर्धारित दरों के अनुसार सीधी लाइन पद्धति के अनुसार लगाया जाता है, ऐसा केवल उन मामलों में नहीं होता है, जहां मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाता है:-

	एकल पारी	दोहरी पारी	तेहरी पारी
सामान्य संयंत्र एवं मशीनरी	8%	12%	16%
स्वचालित/अर्ध-स्वाचालित मशीनें	10%	15%	20%
निर्माण उपस्कर, पूंजीगत औजार एवं साज सामान	20%		
नगर भवन - द्वितीय	2.5%		
- तृतीय	3.5%		
रेलवे बगलती रेलपथ	8%		
लोकोमोटिव एवं वैगन	8%		
विद्युत अधिष्ठापन	8%		
कार्यालय एवं अन्य उपस्कर	8%		
ड्रेनेज़, सीवरेज़ तथा जल-आपूर्ति	3.34%		
इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन उपस्कर	20%		

स्थायी परिसम्पत्तियों में जोड़/से कटौती के मामले में मूल्यह्रास प्रभार यथानुसार मासिक आधार पर होता है।

(ii) भारत से बाहर प्रयोग की जाने वाली लम्बी अवधि संविदाओं की अनुवर्ती स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास प्रारंभिक संविदा की अवधि के दौरान होता है।

(iii) रु. 10,000 या कम लागत की स्थायी परिसंपत्तियों अथवा वे परिसंपत्तियां जिनकी लिखित कीमत वर्ष के प्रारंभ में रु. 10,000 या कम है, उनका पूर्णत: मूल्यह्रास होता है। जहां तक टाउनशिप भवनों का प्रश्न है वहां प्रति मकान (कोठरी) की लागत रु. 10,000 की सीमा के लिए आधार है।

(iv) निर्माण/परियोजना स्थल : सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत संविदा अवधि के बाद परिशोधित कर दी गई है। जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युत अधिष्ठापनों और इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों (पूर्णत: अस्थायी निर्माण, लकड़ी के कार्य को छोड़कर) पर 10% अवशिष्ट मूल्य के बाद मूल्यह्रास हुआ है।

(v) लकड़ी के कार्य जैसे पूर्णत: अस्थायी निर्माण कार्यों पर निर्माण के वर्ष में पूर्णत: मूल्यह्रास हुआ है।

(vi) पट्टे पर ली गई जमीन और उस पर बने भवनों का मूल्यह्रास पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद कर दिया जाता है। पट्टे पर ली गई जमीन पर बनाए गए भवनों का मूल्यह्रास उनकी उपयोगी अवधि अथवा पट्टे की अवधि जो भी कम हो, के बाद होता है।

(vii) यदि किसी नियत परिसंपत्ति पर दर्शायी जा रही राशि में विदेशी मुद्रा लेन-देन संबंधी नीति के अनुसार कोई परिवर्तन हुआ है तो मूल्यह्रास योग्य उस अपरिशोधित परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास परिसंपत्ति की अवशिष्ट उपयोगी अवधि तक जारी रहेगा।

10. अनुसंधान और विकास व्यय

अनुसंधान और विकास व्यय भार ग्रहण के वर्ष में लाभ और हानि लेखे से परिव्यय किया जाएगा। अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से प्राप्त स्थायी परिसंपत्तियों को पूंजी में परिणत किया जाता है।

11. कम्पनी के द्वारा/खिलाफ किए गए दावे

(i) कम्पनी के द्वारा/खिलाफ निर्णीत हर्जानों के लिए किये गये दावे स्वीकृत होने पर खातों में मान्य होते हैं।

(ii) निर्यात सहायता, शुल्क वापसी, सीमा शुल्क और बीमा के लिए प्राप्त हुए दावों को प्रोद्भवन पर हिसाब में लिया जाता है।

(iii) मूल्य स्वत: समायोजन दावों और/या संविदा कार्यों में परिवर्तनों के मामलों में देय राशि को राजस्व के रूप में मान्यता केवल तब दी जाती है जब संविदा ग्राहकों से प्राप्त इस प्रकार के दावों पर परिवर्तनों और/या इसकी स्वीकार्यता के साक्ष्य में शर्तें होती हैं। फिर भी समायोजन यथार्थ मूल्य तक सीमित होता है।

12. विदेशी मुद्रा के लेन-देन के लिए लेखाकरण

विदेशी मुद्रा लेन-देन के कारण उद्भूत मुद्रा विभेद या आय के रूप में अथवा उद्भूत होने की अवधि में व्यय के रूप में माने जाएंगे।

नियत परिसंपत्तियों की दर्शायी गई राशि के मुद्रा विभेदों का समायोजन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा।

क) अंतरण के कारण विदेशी मुद्रा में अर्जित नियत परिसंपत्तियों से संबंधित देयताओं में हुई किसी वृद्धि/कमी के लिए;

ख) नियत परिसंपत्तियां अर्जित करने के प्रयोजन से खर्च की गई देयताओं की चुकौती पर।

मुद्रा दर में पिछले असाधारण और स्थायी उतार-चढ़ाव, जिसमें नियत परिसंपत्तियों से संबंधित अवमूल्यन/पुनर्मूल्यन पर होने वाले उतार-चढ़ाव भी शामिल हैं, का प्रभाव आस्थगित राजस्व प्रभार के रूप में माना जाता है और इसे इन देयताओं की शेष अवधि में समायोजित किया जाता है।

13. विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को स्थानान्तरण

(i) मूल्यह्रास के अतिरिक्त, आय और व्यय की मदें औसत दर पर स्थानान्तरित की जाती हैं जिसे अनुरूप नियत परिसम्पत्तियों के लिए अपनाई गई दरों पर परिवर्तित कर दिया जाता है।

(ii) चालू परिसम्पत्तियों और चालू देयताओं को बंद दर पर स्थानान्तरित किया जाता है जबकि स्थायी परिसम्पत्तियों को लेन-देन के समय लागू दरों पर स्थानान्तरित किया जाता है।

(iii) स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंद्ध स्थानान्तरण परिवर्तनों के अलावा, सभी स्थानान्तरण परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखा में दर्ज किया जाता है।

14. वारंटी के लिए उपबंध

(i) पूरी की गई संविदाओं के संबंध में संविदा दायित्वों के लिए वर्ष के अंत में वारंटी के अधीन संविदा मूल्य के 2.5% का उपबंध है। एक उत्पाद से अधिक की आपूर्ति की संविदा के मामले में पूरे किए गए प्रत्येक उत्पाद के मूल्य का 2.5% उपबंध कराया जाता है।

(ii) परिशोधन कार्यों पर वारंटी दावों/व्ययों का लेखा संतुलक शीर्षों में वास्तविक भार ग्रहण के वर्ष में दिया जाता है।

15. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों का लेखा तब तैयार किया जाता है जब उनकी वसूली की तर्कपूर्ण निश्चितता हो।

स्थायी मूल्यह्रास परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुदानों को संगत परिसम्पत्ति की सकल लागत के पक्ष में समायोजित किया जाता है जबकि मूल्यह्रास रहित परिसम्पत्तियों के मामले में इसे पूंजी रिजर्व में जमा कर दिया जाता है। राजस्व से संबंधित अनुदान यदि व्ययों/क्षतियों की क्षतिपूर्ति के लिए न प्राप्त की गई हो, तो यह राजस्व के अनुपयोगी लागतों के सिद्धान्त से संबंधित अवधि के लिए राजस्व के रूप में मानी जाती है।

यदि शुल्क मुक्त रूप में प्राप्त अनुदान मुद्रेतर परिसम्पत्ति के रूप में है तो उसका लेखा अर्जन लागत या अंकित मूल्य पर तैयार किया जाता है।

16. आस्थगित राजस्व खर्च

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए एकमुश्त भुगतान आस्थगित राजस्व खर्च के रूप में माने गए हैं तथा उस अवधि के लिए परिशोधित किए गए हैं जिसके दौरान कंपनी को लाभ होने की उम्मीद है।

तुलन-पत्र

31 मार्च, 2002 की यथास्थिति के अनुसार

	अनुसूची	(रुपयेलाख में) 31.3.2002 की यथा स्थिति		(रुपयेलाख में) 31.3.2001 की यथा स्थिति	
निधियों के स्रोत					
शेयरधारियों की निधियां					
पूंजी	1	24476.00		24476.00	
आरक्षित और अधिशेष	2	422484.54	446960.54	358560.29	383036.29
ऋण निधियां					
प्रतिभूत ऋण	3	50027.97		50000.00	
अप्रतिभूत ऋण	4	14421.85	64449.82	52559.91	102559.91
पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों का क्रेडिट (रु. 617.50 लाख एक वर्ष के अंदर देय, गत वर्ष शून्य)			2128.60		
			513538.96		485596.20
निधियों का उपयोग					
स्थायी परिसंपत्तियां					
सकल ब्लॉक		318199.63		300404.54	
घटाएं : अब तक का मूल्यह्रास		205768.46		190280.69	
		112431.17		110123.85	
जोड़ें : पट्टा समायोजन लेखा		5225.76		4137.34	
शुद्ध ब्लॉक	5	117656.93		114261.19	
चालू पूंजीगत कार्य	6	5666.96	123323.89	6118.04	120379.23
निवेश	7		1034.35		1034.35
चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम					
मालसूचियां	8	199422.87		203474.19	
विविध देनदार		458419.23		417430.10	
नकदी तथा बैंक शेष		47658.92		33303.58	
अन्य चालू परिसंपत्तियां		0.50		48.49	
ऋण तथा अग्रिम	9	99875.65		103363.52	
		805377.17		757619.88	
घटाएं :					
चालू देयताएं और व्यवस्थाएं					
देयताएं	10	406887.74		355745.46	
व्यवस्थाएं	11	64698.24		60550.76	
		471585.98		416296.22	
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां			333791.19		341323.66
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			30461.80		
विविध व्यय (बट्टे खाते अथवा समायोजित न की गई राशि तक सीमित)					
आस्थगित राजस्व व्यय	12		24927.73		22858.96
			513538.96		485596.20
टिप्पणी	19				

अनुसूची 1 से 23 और लेखांकन नीतियां लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

ह./-
एन.के. सिन्हा
सचिव

ह./-
सी. श्रीनिवासन
निदेशक(वित्त)

ह./-
के.जी. रामचन्द्रन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते शिरोमणि त्यागी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
ह./-
प्रदीप त्यागी
भागीदार

दिनांक : अगस्त 16, 2002
स्थान : नई दिल्ली

लाभ तथा हानि लेखा

31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए

	अनुसूची		(रुपयेलाख में) 31.3.2002 को समाप्त वर्ष के लिए		(रुपयेलाख में) 31.3.2001 को समाप्त वर्ष के लिए
उपार्जन					
कुल बिक्री	13क		728662.54		634776.19
अन्य परिचालन आय	13ख		35905.75		38574.27
अन्य आय	13ग		7181.33		6489.33
आंतरिक उपयोग के लिये किये गये कार्य			1065.44		2959.51
निवेश पर ब्याज आय (टीडीएस रु. 38.20 लाख (गतवर्ष रु. 11.51 लाख))			187.17		77.29
ब्याज से प्राप्त अन्य आय (टीडीएस रु. 613.00 लाख (गत वर्ष शून्य रुपये)	13घ		5095.15		4490.72
मुद्रा विचलन			1022.75		910.64
पुन: लिखे गये प्रावधान			27606.78		78975.02
चल रहे कार्य, तैयार माल, और छीजन में वृद्धि/(कमी)	14		-3728.92		25071.37
			802997.99		792324.34
निर्गम					
कच्चे माल व घटकों की खपत			313298.12		285662.26
भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत			17378.70		19298.85
कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा लाभ	15		144461.72		217021.16
उत्पाद शुल्क			69154.45		63364.53
सेवा कर			166.20		303.79
निर्माण तथा अभियांत्रिकी व्यय- उप ठेकेदारों को भुगतान			41758.21		43671.59
विद्युत और ईंधन			18569.30		19470.14
विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री तथा वितरण के अन्य व्यय	16		53136.29		49917.55
ब्याज और अन्य उधार लागतें	17		9697.57		4376.41
मूल्यह्रास			16920.16		15777.97
धन व्यवस्थाएं	18		32722.64		28383.47
			717263.36		747247.72
पूर्व अवधि के समायोजनों से पूर्व लाभ तथा असाधारण मदें			85734.63		45076.62
घटाएं : असाधारण मदें	12क		19999.61		15623.42
पूर्व अवधि के समायोजनों से पहले के लाभ			65735.02		29453.20
पूर्व अवधि के समायोजन (निवल)	12ख		548.19		-44.57
कर-पूर्व लाभ			66283.21		29408.63
घटाएं : कराधान के लिए धन व्यवस्था					
- चालू वर्ष के लिए		24551.23			
- पूर्व वर्षों के लिए		-1520.87		-1851.88	
- आस्थगित कर		-3541.80	19488.56		-1851.88
कर-पश्चात् लाभ			46794.65		31260.51
घटाएं : विनियोजन					
विदेश परियोजना आरक्षित		102.01		145.61	
बांड प्रतिदान आरक्षित		10000.00			
सामान्य आरक्षित		25000.00		23023.13	
लाभांश					
-प्रस्तावित		9790.40		7342.80	
-उन पर समेकित लाभांश कर			44892.41	748.97	31260.51
तुलन-पत्र में अग्रेनीत शेष			1902.24		-
प्रति शेयर मूल एवं अंतरित अर्जन (रु. में)			19.12		12.77
टिप्पणी	19				

अनुसूची 1 से 23 और लेखांकन नीतियां लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

ह./-
एन.के. सिन्हा
सचिव

ह./-
सी. श्रीनिवासन
निदेशक (वित्त)

ह./-
के.जी. रामचन्द्रन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते शिरोमणि त्यागी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-
प्रदीप त्यागी
भागीदार

दिनांक : अगस्त 16, 2002
स्थान : नई दिल्ली

अनुसूची-1
शेयर पूंजी

	(रुपयेलाखमें) 31.3.2002 की यथास्थिति	(रुपयेलाखमें) 31.3.2001 की यथास्थिति
प्राधिकृत पूंजी		
10-10 रुपये के 32,50,00,000 (पिछले वर्ष	32500.00	32500.00
32,50,00,000) इक्विटी शेयर		
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
10-10 रुपये के 24,47,60,000 के पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर जिनमें से नकद के अलावा विचार के लिए 7,41,11,200 (पिछले वर्ष 7,41,11,200) आबंटित शेयर	24476.00	24476.00
	24476.00	**24476.00**

अनुसूची-2
आरक्षित निधि और अधिशेष

	(रुपयेलाखमें) शेष की स्थिति 01.04.2001	(रुपयेलाखमें) वृद्धि/ समायोजन	(रुपयेलाखमें) कटौतियां/ समायोजन	(रुपयेलाखमें) शेष की स्थिति 31.03.2002
आरक्षित पूंजी	276.98	–	–	276.98
विदेशी परियोजना आरक्षित निधि	3389.73	102.01	485.19	3006.55
बांड प्रतिदान आरक्षित	–	10000.00	–	10000.00
सामान्य आरक्षित निधि	354893.58	52405.19*	–	407298.77
लाभ-हानि	–	1902.24	–	1902.24
	358560.29	**64409.44**	**485.19**	**422484.54**

* 1.4.01 को आस्थगित कर परिसंपत्ति हेतु 26920 लाख रू. शामिल हैं (अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 23 देखें)

अनुसूची-3
प्रतिभूत ऋण

	(रुपयेलाख में) 31.3.2002 की यथास्थिति	(रुपयेलाख में) 31.3.2001 की यथास्थिति
500-8.85% अपरिवर्तनीय, रक्षित, प्रतिदेय कर योग्य बाँड, 7 वर्ष अवधि (15.11.2008) के साथ प्रत्येक का अंकित मूल्य 1 करोड़ रू. तथा 5 वर्ष (15.11.2006) के अन्त में पुट/कॉल विकल्प	50000.00 *	
बैंकों से ऋण तथा अग्रिम		
कैश क्रेडिट	27.97	1793.18
अपेक्षित कार्यशील पूंजी ऋण		32100.00
वाणिज्यिक पेपर (परिपक्व होने पर रु. 16500 लाख पर विमोच्य)		16106.82
(बैंकों के सहयोग से स्वीकृत 75000 लाख (गत वर्ष 50000 लाख रु.) कैश क्रेडिट सीमा हेतु कच्चा माल, संघटक, भण्डार व अतिरिक्त पदार्थ, चालू कार्य, तैयार माल खाता ऋण तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर)		
	50027.97	**50000.00**

अपार्टमेंट संख्या: ए/टी-1, तृतीय तल, श्रीकृष्ण अपार्टमेंट, एनआर गोवन स्क्वॉयर, नागपुर स्थित कंपनी की अचल सम्पत्तियों पर न्यासियों के पक्ष में विधिक बंधक एवं प्रभार द्वारा, हरिद्वार एवं रामचंद्रपुरम, हैदराबाद स्थित यूनिटों में कंपनी की अचल सम्पत्तियों के संबंध में हक विलेखों को जमा करके साम्ययुक्त बंधक द्वारा तथा कंपनी के वर्तमान एवं भविष्य - दोनों के, चल संयंत्र एवं मशीनरी, मशीनरी के अतिरिक्त कलपुर्जे, औजार एवं सहायक उपकरण और अन्य चल संपत्तियों सहित इसकी इन यूनिटों की चल सम्पत्तियों (उन विशिष्ट परिसम्पत्तियों, जिनके लिए अनन्य प्रथम प्रभार का पहले ही प्रावधान कर दिया गया है, और अशोध्य ऋणों के अतिरिक्त) के आडमान द्वारा प्रतिभूत।

अनुसूची-4
अप्रतिभूत ऋण

सार्वजनिक निक्षेप		1.39
अल्पावधि उधार		
कैश क्रेडिट (गत वर्ष कंपनी द्वारा विभिन्न बैंकों से 38000 लाख रु. की राशि तक सीमित अल्पावधि क्रेडिट सुविधाओं की अतिरिक्त अस्थायी व्यवस्था की गई)		25140.68
वाणिज्यिक पेपर (परिपक्वता पर रु. 15500 लाख पर पुन:शोधित)		15156.28
वित्तीय संस्थाओं से	14.00	9358.00
अन्य उधार और अग्रिम		
वित्तीय संस्थाओं से		19.60
लदान उपरांत उधार		
- एक्सिम बैंक से	1546.93	2650.67
- बैंकों से	12627.63	
उपार्जित तथा देय ब्याज राज्य सरकारों के ऋणों पर	233.29	233.29
	14421.85	**52559.91**

अनुसूची-5

(रुपये लाख में)

स्थायी परिसम्पत्तियाँ	सकल ब्लॉक					शुद्ध ब्लॉक			
	01.04.2001 को लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि/ समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन	31.03.2002 को लागत	पट्टा समायोजन लेखा	31.03.2002 तक मूल्यह्रास	31.03.2002 को	31.03.2001 को	वर्ष के लिए मूल्यह्रास
फैक्टरी/कार्यालय काम्प्लेक्स									
पूर्ण स्वामित्व प्राप्त भूमि (विकास व्यय सहित)	745.75			745.75	-		745.75	745.75	
पट्टे पर प्राप्त भूमि (विकास व्यय सहित)	650.76	20.76	27.58	643.94	-	40.47	603.47	608.57	2.72
सड़कें, पुल और पुलियां	808.07	58.08	45.28	820.87	-	341.52	479.35	492.42	69.50
भवन	23839.64	1814.29	166.68	25487.25	-	14209.49	11277.76	10341.48	863.59
पट्टे पर प्राप्त भवन	308.77			308.77	-	79.06	229.71	234.83	5.12
जल निकास, मल-प्रवाह तथा जलापूर्ति	1190.74	47.47	0.60	1237.61	-	771.73	465.88	454.54	35.64
रेलवे साइडिंग	754.03	8.15		762.18	-	742.71	19.47	15.79	4.47
संयंत्र और यंत्रावली	166628.34	13245.55	1370.09	178503.80	-	134829.81	43673.99	40199.81	8732.42
निर्माण उपस्कर	12351.18	504.07	94.27	12760.98	-	10659.09	2101.89	2585.43	987.61
इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर	5658.38	960.22	99.38	6519.22	-	4523.96	1995.26	1646.76	592.97
विद्युत संस्थापन	6334.24	1218.69	3.63	7549.30	-	5080.00	2469.30	1648.49	377.63
इंजन और वैगन	1598.34			1598.34	-	1261.80	336.54	379.41	42.87
वाहन	1879.70	25.62	86.33	1818.99	-	1199.87	619.12	723.04	120.66
फर्नीचर एवं फिक्सचर	595.82	32.43	1.42	626.83	-	328.48	298.35	295.25	28.04
कार्यालय एवं अन्य उपस्कर	5033.48	237.99	67.57	5203.90	-	3544.62	1659.28	1713.84	267.54
व्यापार चिन्ह, एकस्व और रूपांकन	0.12			0.12	-	0.12			
रुपये 10,000 तक की स्थायी परिसंपत्तियां	3301.47	166.42	2.14	3465.75	-	3465.75			166.42
पट्टे पर दिए गए लोकोमोटिव	50817.15		1102.27	49714.88	5225.76	16784.62	38156.02	41596.24	3977.49
पूंजीगत व्यय	107.69		63.64	44.05	-	22.76	21.29	30.10	8.81
पट्टे पर लिए गए ईडीपी उपस्कर		1845.63		1845.63		189.35	1656.28		189.35
पट्टे पर लिए गए कार्यालय/अन्य उपस्कर		609.84		609.84		37.63	572.21		37.63
	282603.67	20795.21	3130.88	300268.00	5225.76	198112.84	107380.92	103711.75	16510.48
टाउनशिप /आवासीय									
पूर्ण स्वामित्व प्राप्त भूमि (विकास व्यय सहित)	80.94			80.94	-		80.94	80.94	
पट्टे पर प्राप्त भूमि (विकास व्यय सहित)	284.27	27.58		311.85	-	38.00	273.85	252.62	1.91
सड़कें, पुल और पुलियां	487.52			487.52	-	211.68	275.84	283.81	7.97
भवन	11911.16	34.15	2.14	11943.17	-	3961.39	7981.78	8138.51	190.62
पट्टे पर प्राप्त भवन	33.17			33.17	-	15.29	17.88	19.18	1.30
जल निकास, मल-प्रवाह और जलापूर्ति	1652.62	6.24		1658.86	-	1017.12	641.74	675.98	40.48
संयंत्र और यंत्रावली	821.87	11.07		832.94	-	526.86	306.08	351.78	56.77
विद्युत संस्थापन	1213.07	0.65		1213.72	-	1117.96	95.76	129.85	34.74
वाहन	117.83		3.12	114.71	-	83.10	31.61	37.32	5.71
फर्नीचर एवं फिक्सचर	29.00			29.00	-	10.00	19.00	19.34	0.33
कार्यालय एवं अन्य उपस्कर	1011.98	60.04	3.71	1068.31	-	516.78	551.53	560.11	68.58
रुपये 10,000 तक की स्थायी परिसंपत्तियां	157.44	1.27	1.27	157.44	-	157.44			1.27
	17800.87	141.00	10.24	17931.63		7655.62	10276.01	10549.44	409.68
कारखाने और टाउनशिप का योग	300404.54	20936.21	3141.12	318199.63	5225.76	205768.46	117656.93	114261.19	16920.16
गत वर्ष	281081.46	20630.68	1307.60	300404.54	4137.34	190280.69	114261.19	108779.67	15777.97

सकल ब्लॉक में 31.3.91 तक प्रभारित रुपये 7815.31 लाख (गत वर्ष रु. 7815.31 लाख) के छोटे मूल्य वाली स्थायी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

सकल ब्लॉक में अनुसंधान के लिए भारत से प्राप्त अनुदान में से खरीदी गई रुपये 2827.82 लाख (गत वर्ष रु. 2610.97 लाख) की परिसंपत्तियां और कार्यपालक अभिकरण के रूप में रखी गई है, परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं, क्योंकि उक्त सम्पत्ति कंपनी में निहित नहीं है।

31.3.2002 तक की स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास में, राजस्व में समायोजित स्थायी परिसंपत्तियों के रुपये 2219.97 लाख (गत वर्ष रु. 2219.97 लाख) शामिल हैं।

जो परिसंपत्तियां कंपनी के स्थायित्व में नहीं हैं, उनके निर्माण व विकास पर लगाये गये कंपनी के अंशदान अथवा व्यय को सामान्य पूंजीगत व्यय में दर्शाते हुए, प्रति पांच वर्षों में राजस्व के बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

कंपनी द्वारा पट्टे पर ली गयी या खरीदी गई भूमि पर बनाये भवनों की लागत रुपये 2275.35 लाख (गत वर्ष रु. 1209.28 लाख)

भवन में पूर्णत: अस्थायी निर्माण शामिल हैं, जिन पर 100 प्रतिशत मूल्यह्रास का प्रावधान है और जिसका मूल्य 76.78 लाख रु. (गत वर्ष 68.22 लाख रु.) है।

भवन में अन्य निर्माण/परियोजना मदें शामिल हैं जिन पर लेखांकन नीति सं. 8 (iv) के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान है और जिसका मूल्य 2477 लाख रु. (गत वर्ष 2485.43 लाख रु.) है। और जिस पर मूल्यह्रास रुपये 2162.07 लाख (गत वर्ष रु. 2116.65/- लाख) है।

पूर्ण अवधि हेतु मूल्यह्रास समायोजन के कारण संचित मूल्यह्रास में -27.71 लाख रु. (गत वर्ष 5.89 लाख रु.) शामिल हैं।

अनुसूची-6
चालू पूंजीगत व्यय

	(रुपयेलाख में) 31.3.2002 की यथास्थिति	(रुपयेलाख में) 31.3.2001 की यथास्थिति
चल रहे निर्माण कार्य-सिविल	622.34	1093.96
निर्माण भंडार (मार्गस्थ सहित)	209.40	152.84
संयंत्र और यंत्रावली		
परिनिर्माण/संरचना के अधीन	2873.10	2123.19
परिनिर्माण की प्रतीक्षा में @ मार्गस्थ	1962.12	2747.83
विनिधान तक लंबित आनुषंगिक खर्च		0.22
	5666.96	**6118.04**

@ परिसंपत्तियाँ, जो कंपनी से संबंधित नहीं है, के संबंध में पूंजीगत व्यय के कारण रु. शून्य (गत वर्ष रु. 136.48 लाख) शामिल हैं।

अनुसूची-7
पूंजी निवेश

दीर्घावधि, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो

शेयर तथा बांड

लागत मूल्य पर नहीं

व्यापार

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड में एक-एक हजार रुपये के 360 (गत वर्ष 360) इक्विटी शेयर	3.60	3.60
ए पी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 10 रु. प्रति के 460960 (गत वर्ष 460960) इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त (बोनस शेयर के रूप में दिए गए 192960 (गत वर्ष 192960) शेयर शामिल हैं)	26.80	26.80
ए पी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 10/- प्रति के 268000 (गत वर्ष 268000) इक्विटी शेयर 14 रु. के प्रीमियम पर पूर्णत: प्रदत्त	64.32	64.32
मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी एप्लीकेशन (इंडिया) लिमिटेड में 10-10 रुपये के 16,333 (गत वर्ष 16,333) इक्विटी शेयर	1.63	1.63
कोणार्क मेट कॉक लिमिटेड (केएमसीएल), भुवनेश्वर में 10/- रु. प्रति के 1000000 ईक्विटी शेयर	100.00	
शेयरों के आबंटन के लिए कोणार्क मेट कोक लिमिटेड (केएमसीएल), भुवनेश्वर को अग्रिम रूप से प्रदत्त **	400.00	500.00
संयुक्त उद्यम कंपनियों में शेयर		
पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड के सममूल्य पर 10/- रु. प्रति के 19,99,999 (गत वर्ष 19,99,999) इक्विटी शेयर	200.00	200.00
बीएचईएल जीई गैस टरबाइन सर्विसेज़ लिमिटेड के सममूल्य पर 10/- रु. प्रति के 23,79,999 (गत वर्ष 23,79,999) इक्विटी शेयर	238.00	238.00
व्यापार इतर लागत		
बीएचईएल गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, हैदराबाद के सममूल्य पर 100 रुपये प्रति के 3 (गत वर्ष 3) शेयर	***	***
	1034.35	**1034.35**

** कृपया अनुसूची 19 की टिप्पणी सं. 13 देखें।

*** 1000/- रु. से कम मूल्य

अनुसूची-8
चालू परिसम्पत्तियाँ

		(रुपयेलाखमें)		(रुपयेलाखमें)
		31.3.2002 की यथास्थिति		31.3.2001 की यथास्थिति
निक्षेप पूंजी निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज		0.50		0.37
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर प्राप्य ब्याज				48.12
		0.50		**48.49**
मालसूचियाँ @				
(प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित)				
भंडार तथा अतिरिक्त कलपुर्जे				
– उत्पादन	7077.86		7900.25	
– ईंधन भंडार	420.35		371.06	
– विविध	616.12	8114.33	753.94	9025.25
कच्चा माल और संघटक		47088.09		48132.92
मार्गस्थ माल (कच्चे माल और संघटक सहित)		14924.62		14179.88
फेब्रिकेटर/ठेकेदारों के पास माल		3547.31		3722.10
छुट्टे औजार		911.67		858.02
रद्दी माल (अनुमानित प्राप्य मूल्य पर)		1210.79		1207.62
तैयार माल	14552.66		17472.66	
अंतर प्रभागीय मार्गस्थ अंतरण में शामिल हैं –	4009.02		3425.26	
– सीईए द्वारा मॉनीटर किए गए विभिन्न राज्य (एसईबीज़)/एनटीपीसी (पूल मैम्बर्स) के पास मौजूद बीएचईएल/गैर-बीएचईएल अतिरिक्त कलपुर्जों के लिए 417.40 लाख रु. (गत वर्ष 417.40 लाख रु.) – मार्गस्थ तैयार माल रु. 839.04 लाख रु. (गत वर्ष 247.95 लाख रु.)				
		18561.68		20897.92
चालू कार्य (उप ठेकेदारों के पास पड़ी मदों सहित)		107413.61		108143.61
		201772.10		206167.32
घटाएँ : अचल माल के लिए धन-व्यवस्था	1993.72		2259.68	
अन्त: इकाई माल सूची में लाभ हेतु धन-व्यवस्था	355.51	2349.23	433.45	2693.13
@ महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 7 के अनुसार आंका गया		199422.87		203474.19
विविध देनदार **				
6 माह से अधिक समय से बकाया ऋण		265872.14		235605.14
अन्य ऋण		256376.51		242706.36
		522248.65		478311.50
घटाएँ : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए धन की व्यवस्था		63829.42		60881.40
		458419.23		**417430.10**

* आस्थगित ऋण रु. 146881.30 लाख सहित
(गत वर्ष रु. 142384.19 लाख)

अनुसूची-8 (जारी)

			(रुपये लाख में) 31.3.2002 की यथास्थिति	(रुपये लाख में) 31.3.2001 की यथास्थिति
विविध देनदारों का ब्यौरा				
क) खरे समझे गए ऋण जिनके बारे में कंपनी के पास देनदारों की निजी जमानत के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत नहीं है			458419.23	417430.10
ख) संदिग्ध समझे गए ऋण जिनके लिए धन की व्यवस्था की गई			63829.42	60881.40
			522248.65	**478311.50**
नकद एवं बैंक शेष				
हाथ में नकद, चैक, डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा स्टैम्प्स			119.37	1867.16
मार्गस्थ में प्रेषित			103.55	1341.24
अनुसूचित बैंकों में शेष				
चालू खाते			3294.39	4758.29
नकद साख खाते			43391.90	24273.13
जमा खाता			2.52	4.26
गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष				
	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष 2001-2002 (रु. लाख में)	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष 2000-2001 (रु. लाख में)		
चालू खाते				
बर्कलेज बैंक लिमिटेड, ज़ाम्बिया	0.68	0.68	0.68	0.68
बैंक ऑफ साइप्रस, निकोशिया	34.45	1.08	34.01	1.07
भूमिपुत्र कॉमर्स (बैंक ऑफ कामर्स), मलेशिया	120.45	88.81	88.13	56.81
नैशनल बैंक ऑफ इजिप्ट	33.35	9.44	11.31	9.44
डूश बैंक		33.08		1.07
बैंक मस्कट (ओमान)	2896.98	2391.34	309.49	732.45
ओमान इंटरनेशनल बैंक	1849.74	2255.25	104.91	87.27
स्टैन्डर्ड चार्टर्ड ग्रेन्डलेज, दुबई	14.71	5.70	7.80	2.56
अरब बैंक, जॉर्डन	11.68		5.57	
इण्डो जाम्बिया बैंक, लुसाका	6.39		6.39	
जमा खाते				
भूमिपुत्र कॉमर्स (बैंक ऑफ कामर्स), मलेशिया	145.15	134.46	145.15	134.46
अदावाकृत लाभांश बैंक खाता			33.75	33.69
			47658.92	**33303.58**
चालू परिसम्पत्तियों का सार				
जमा पर प्रोद्भूत ब्याज			0.50	48.49
मालसूचियां			199422.87	203474.19
विविध देनदार			458419.23	417430.10
नकद और बैंक शेष			47658.92	33303.58
			705501.52	**654256.36**

अनुसूची-9
ऋण तथा अग्रिम

		(रुपयेलाखमें)		(रुपयेलाखमें)
		31.3.2002 की यथास्थिति		31.3.2001 की यथास्थिति
ऋण				
कर्मचारियों को ऋण	1216.48		1847.39	
अन्यों को ऋण	52.75		58.31	
ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज	2923.25	4192.48	3297.37	5203.07
अग्रिम				
(नकद अथवा वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्यों पर वसूली योग्य)				
कर्मचारियों को	1657.33		1325.55	
खरीददारी के लिए	7825.36		13066.18	
अन्यों को	29329.13		29478.40	
पूंजीगत व्यय के लिए	580.68	39392.50	351.33	44221.46
जमा खाते				
सीमा शुल्क पत्तन न्यास और सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष * [(जिसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के शून्य रुपये (गत वर्ष शून्य रुपये) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिकारियों के पास डाकघर पासबुक को गिरवी रखकर प्राप्त 4.71 लाख रुपये (गत वर्ष 4.71 लाख रुपये शामिल हैं)]	13356.83		13124.15	
अन्य	28516.69	41873.52	29507.72	42631.87
दिया गया अग्रिम कर तथा स्रोत पर काटा गया कर	71424.11		83215.82	
घटाएं : कराधान के लिए की गई धन की व्यवस्था	55300.00	16124.11	70400.71	12815.11
		101582.61		104871.51
घटाएं : संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिम के लिए की गई धन व्यवस्था		1706.96		1507.99
		99875.65		**103363.52**

* प्रतिवाद/न्यायालय के आदेश के अंतर्गत दिया गया बिक्री कर रुपये 7391.85 लाख (गत वर्ष रुपये 7265.85 लाख); उत्पाद शुल्क 1655.43 लाख रु. (गत वर्ष 1829.10 लाख रु.) और सीमा शुल्क शून्य रु. (गत वर्ष शून्य रु.) शामिल हैं

ऋणों तथा अग्रिमों के ब्यौरे

क) खरे समझे गए ऋण एवं अग्रिम जिनके बारे में कंपनी पूर्ण सुरक्षित है	8001.30		5078.52
ख) खरे समझे गए ऋण एवं अग्रिम जिनके बारे में कंपनी के पास देनदारों की निजी जमानत के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत नहीं है	91874.35		98285.00
ग) संदिग्ध समझे गए ऋण एवं अग्रिम जिनके लिए धन की व्यवस्था की गई	1706.96		1507.99
	101582.61		**104871.51**

	अधिकतम रकम			
	2001-2002 (रु. लाख में)	2000-2001 (रु. लाख में)		
कंपनी के निदेशकों से प्राप्त होने वाली राशि	1.11	0.63	0.72	0.36
कंपनी के अधिकारियों से प्राप्त होने वाली राशि	22.81	31.04	15.18	21.15

अनुसूची-10
चालू देयताएं

		(रुपये लाख में) 31.3.2002 की यथास्थिति		(रुपये लाख में) 31.3.2001 की यथास्थिति
स्वीकृतियां		2778.48		3831.84
विविध लेनदार				
क) लघु उद्योग उपक्रमों की (ब्याज सहित) कुल बकाया राशि	13213.34		9937.69	
ख) लघु उद्योग उपक्रमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	172502.41	185715.75	152226.18	162163.87
ग्राहकों तथा अन्यों से प्राप्त अग्रिम		189542.41		162039.37
ठेकेदारों से जमा राशि	5611.64		5849.68	
घटाएं : जमानत के रूप में प्राप्त निवेश	307.61	5304.03	337.76	5511.92
कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यासी		1400.88		1328.87
अदावाकृत लाभांश		33.75		33.69
अन्य देयताएं		20222.18		20523.48
प्रोद्भूत ब्याज, जो अभी देय नहीं है		1890.26		312.42
		406887.74		**355745.46**

अनुसूची-11
धन व्यवस्थाएं

लाभांश	9790.40	7342.80
समेकित लाभांश कर		748.97
संविदात्मक बाध्यताएं	38804.04	39341.27
अन्य	16103.80	13117.72
	64698.24	**60550.76**

अनुसूची-12
आस्थगित राजस्व खर्च

स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अंतर्गत एकमुश्त भुगतान	24927.73	22858.96
	24927.73	**22858.96**

अनुसूची–12 क
असाधारण मदें

	(रुपयेलाखमें)	(रुपयेलाखमें)
	31.3.2002 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2001 को समाप्त वर्ष के लिए
आय	–	–
खर्च		
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना	19999.61	15623.42
के अंतर्गत एकमुश्त राशि का परिशोधन		
असाधारण मदें (निवल)	**19999.61**	**15623.42**

अनुसूची–12 ख
पूर्व अवधि की मदें

आय				
कुल कारोबार का समायोजन	410.47		12.27	
विविध आय	-6.58		94.02	
प्रारंभिक स्टॉक में परिवर्तन	665.84			
अन्य	34.82	1104.55		106.29
खर्च				
कर्मचारियों को पारिश्रमिक	1.15			
मूल्यह्रास	32.51		-5.89	
उप–संविदाकार को भुगतान	31.77		13.73	
खरीद	462.80		47.30	
किराया			17.95	
मरम्मत एवं अनुरक्षण	-1.19			
तकनीकी विशेषज्ञ को भुगतान			36.73	
अन्य	29.32	556.36	41.04	150.86
पूर्व अवधि संबंधी समायोजन (निवल)		**548.19**		**-44.57**

अनुसूची–13 क
कुल बिक्री

	(रुपये लाख में) 31.3.2002 को समाप्त वर्ष के लिए	(रुपये लाख में) 31.3.2001 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रतिफल रहित बिक्री (उपभोक्ताओं को किए गए 191793.36 लाख रु. के प्रेषण सहित) (गत वर्ष 183849.06 लाख रु.)	649004.94	552574.32
बाहरी इरेक्शन और अन्य सेवाओं से आय	77678.55	80505.75
निर्माणकारी संविदा से प्राप्त राजस्व	1979.05	1696.12
	728662.54	**634776.19**

अनुसूची–13 ख
अन्य परिचालन आय

निर्यात प्रोत्साहन		19043.03		18353.53
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों पर किराए से प्राप्त आय	8887.91		9162.84	
जोड़ें : पट्टा समीकरण लेखा	537.29	9425.20	937.56	10100.40
छीजन बिक्री		4445.13		4459.20
अधिशेष स्टॉक की बिक्री/अंतरण से प्राप्तियाँ		62.17		209.93
अन्य		2930.22		5451.21
		35905.75		**38574.27**

अनुसूची–13 ग
अन्य आय

स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	183.44	164.08
निवेश पर लाभांश	226.10	83.30
अन्य अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए सरकार से प्राप्त 9.26 लाख रु. (गत वर्ष 16.6 लाख रु.) के अनुदान सहित)	6771.79	6241.95
	7181.33	**6489.33**

अनुसूची–13 घ
ब्याज से प्राप्त अन्य आय

ग्राहकों से	4425.70	3982.99
कर्मचारियों से	222.30	295.85
बैंकों से	9.71	28.64
अन्य	437.44	183.24
	5095.15	**4490.72**

अनुसूची-14
चल रहे कार्य, तैयार माल, तथा छीजन में वृद्धि/कमी

		(रुपये लाख में)		(रुपये लाख में)
		31.3.2002 को समाप्त वर्ष के लिए		31.3.2001 को समाप्त वर्ष के लिए
चल रहा कार्य				
अंतिम शेष	107413.61		108143.61	
प्रारंभिक शेष	108809.45*	-1395.84	84620.19	23523.42
तैयार माल				
अंतिम शेष	14552.66		17472.66	
प्रारंभिक शेष	17472.66	-2920.00	15990.54	1482.12
छीजन				
अंतिम शेष	1210.79		1207.62	
प्रारंभिक शेष	1207.62	3.17	1127.60	80.02
पारगमन में अन्तर प्रभाग अंतरण		583.75		-14.19
		-3728.92		**25071.37**

*प्रारंभिक शेष में अंतर उधार लागत के पूंजीकरण के कारण है।

अनुसूची-15
कर्मचारियों को पारिश्रमिक और सुविधाएँ

वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते तथा अन्य लाभ	110968.41	168452.49
ग्रेच्युटी निधि में अंशदान	9097.37	19923.19
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	9816.58	15743.12
समूह बीमा	327.32	238.00
कर्मचारी कल्याण व्यय	14252.04	12664.36
	144461.72	**217021.16**

टिप्पणी: सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर स्थानांतरण यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत का परिकलन भुगतान आधार पर किया गया है।

	2001-2002 (रु. लाख में)				2000-2001 (रु. लाख में)			
	वेतन और भत्ते	सीपीएफ	ग्रेच्युटी	अन्य	वेतन और भत्ते	सीपीएफ	ग्रेच्युटी	अन्य
निदेशकगण (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित)	33.35	3.60	3.31	5.11	60.78	3.18	3.88	6.32

1. उपर्युक्त आंकड़ों में समूह बीमा योजना के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम शामिल नहीं है।

2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों को ड्यूटी हेतु तथा ड्यूटी से भिन्न यात्राओं के लिए स्टाफ कार इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। उनकी नियुक्ति के निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित दर से भुगतान करने पर प्रतिमाह 1000 कि.मी. की ड्यूटी से भिन्न यात्रा कर सकते हैं।

   कार इस्तेमाल करने के उपर्युक्त का आयकर नियम, 1962 के उपबंधों के अनुसार आर्थिक मूल्य निकाला जाये तो यह 0.59 लाख रुपये (गत वर्ष 0.34 लाख रुपये) होगा।

अनुसूची-16
विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण के अन्य व्यय

	(रुपयेलाखमें) 31.3.2002 को समाप्त वर्ष के लिए	(रुपयेलाखमें) 31.3.2001 को समाप्त वर्ष के लिए
आवासीय सलाहकार के प्रभार	183.16	235.88
रॉयल्टी, तकनीकी प्रलेख और अन्य परामर्श प्रभार	1522.89	2517.66
किराया	810.17	763.64
आवासीय किराया	2116.08	1904.36
शुल्क तथा कर	1149.39	1012.40
बीमा	2606.11	2674.13
मरम्मतें :		
भवन	1017.85	1356.22
संयंत्र और यंत्रावली	839.61	1216.29
अन्य	3655.35	3345.81
निर्यात के संबंध में अन्य व्यय	3131.86	1535.49
प्रभारित किये गये अतिरिक्त भंडार	239.13	386.22
प्रभारित किए गए निर्णीत हर्जाने	655.29	515.91
अशोध्य ऋण	774.03	499.15
नकद बट्टा	5.11	98.84
विविध व्यय	34416.45	31607.55
दान	1.29	217.43
20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम विकास तथा समाज कल्याण व्यय	12.52	30.57
	53136.29	**49917.55**

टिप्पणियां :

क.	मरम्मत में विभागीय अनुरक्षण पर हुआ निम्नलिखित व्यय सम्मिलित नहीं है :		
	संयंत्र तथा यंत्रावली	9399.45	7706.34
	भवन	1801.53	2161.35
	अन्य	2290.81	2446.73
		13491.79	**12314.42**
ख.	निर्यात संबंधी व्ययों में निर्यात पर दिया गया एजेंसी कमीशन सम्मिलित है	3036.51	1078.37
ग.	अनुसंधान और विकास पर व्यय	7964.71	8077.79

अनुसूची-16 (जारी)

			(रुपये लाख में) 31.3.2002 को समाप्त वर्ष के लिए		(रुपये लाख में) 31.3.2001 को समाप्त वर्ष के लिए
घ.	लेखा परीक्षकों को भुगतान :		17.05		16.32
	फीस में विदेशों में लेखा परीक्षकों को दिये गये 1.32 लाख रुपये (गत वर्ष 1.99 लाख रुपये) शामिल हैं				
	व्यय		11.28		14.13
	विदेशों में लेखा परीक्षकों को आयकर मामलों पर दिए गए 6.59 लाख रु. (गत वर्ष 5.40 लाख रु.) शामिल हैं		9.48		8.52
	विदेशों में लेखा परीक्षकों को प्रमाणन कार्य पर दिए गए 0.06 लाख रुपये (गत वर्ष शून्य रुपये) शामिल हैं		3.34		2.75
	अन्य व्यावसायिक सेवाओं में विदेशों में लेखापरीक्षकों को दिये गए 0.40 लाख रुपये (गत वर्ष शून्य रुपये) शामिल हैं		0.50		0.91
	लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान		0.65		0.78
ङ.	* मनोरंजन पर व्यय		349.79		304.71
च.	* 383 विदेशी यात्राओं पर हुआ व्यय (गत वर्ष 358)		490.71		476.84
छ.	प्रचार एवं जन संपर्क पर व्यय				
	वेतन, भत्ते तथा अन्य लाभ	378.80		510.62	
	अन्य व्यय	558.72	937.52	611.37	1121.99
ज.	निदेशकों की फीस		1.63		0.48

*प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित

अनुसूची-17
ब्याज एवं अन्य उधार लागतें

बाँड	1660.89	
बैंक/वित्तीय संस्थाओं से उधार	5236.37	2965.07
अन्य	3439.27	1411.34
अन्य उधार लागतें	90.01	
	10426.54	4376.41
घटाएं : पूंजीकृत उधार लागतें	728.97	
	9697.57	**4376.41**

अनुसूची-18
धन-व्यवस्था

संदिग्ध ऋण, उधार तथा अग्रिम	8123.78	7610.95
संविदात्मक बाध्यताएं	12982.50	12098.72
अन्य	11616.36	8673.80
	32722.64	**28383.47**

अनुसूची–19
व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. उन ठेकों की अनुमानित राशि (शुद्ध अग्रिम) जिनका निष्पादन पूंजी खाते में शेष है, और रु. 11761.86 लाख की व्यवस्था नहीं हुई है, (गत वर्ष 11809.49 लाख रु.)।

2. 1.4.2001 से पूर्व पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के संदर्भ में, विवरण निम्न प्रकार हैं :

(रुपयेलाखमें)

परिसम्पत्तियाँ	परिसम्पत्तियों की लागत		पट्टे की न समाप्त हुई अवधि हेतु देय किराए	
	2001-2002	2000-2001	2001-2002	2000-2001
कम्प्यूटर एवं सहायक उपकरण	9914.89	12595.66	3784.90	6612.63
भूमि और भवन	124.12	119.80	25.01	50.32
कार्यालय उपस्कर	1172.80	1115.53	439.50	516.69
अन्य	11.78	92.00	0.59	58.39
योग	**11223.59**	**13922.99**	**4250.00**	**7238.03**

3. भूमि और भवन में शामिल हैं :

   क) 15304.997 एकड़ भूमि (गत वर्ष 14201.732 एकड़) और 79 फ्लैट (गत वर्ष 79 फ्लैट) और एक भवन, जिनके बारे में औपचारिक हस्तांतरण/विलेख अभी निष्पादित नहीं हुए हैं और जिनमें 51.52 एकड़ भूमि (गत 51.52) भी शामिल है, जिसकी लागत का अनंतिम भुगतान किया गया है, पूर्व में किए गए प्रावधान में से रजिस्ट्रेशन प्रभार व निवल स्टैम्प शुल्क को भुगतान पर लेखाकृत किया जाएगा।

   ख) 95 एकड़ भूमि (गत वर्ष 95 एकड़) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभाग तथा दूसरों को पट्टे पर दी गई।

   ग) 180 एकड़ भूमि इनमें 100 एकड़ (गत वर्ष क्रमश: 180 एकड़ और 100 एकड़) 30.11.1990 तक लाइसेंस वाली शामिल है जिनका प्रयोग रक्षा मंत्रालय कर रहा है, और जिसके लिए आगे लाइसेंस जारी रहने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

   घ) 209.507 एकड़ (गत वर्ष 209.507 एकड़) भूमि प्रतिकूल कब्जे के अंतर्गत है।

4. 10,000 रुपए तक की प्रत्येक स्थायी परिसंपत्ति पर 100% मूल्यह्रास के प्रावधान के लाभ पर प्रभाव, पिछले वर्षों के इस तरह के प्रभाव पर बिना विचार किए, निम्न प्रकार है :

(रुपयेलाखमें)

	2001-2002	2000-2001
लेखा वर्ष में रु. 10,000/– मूल्य वाली परिसंपत्तियों पर चार्ज ऑफ किया गया मूल्यह्रास	275.11	430.09
उपरोक्त पर सामान्य मूल्यह्रास	88.37	96.14
चार्ज ऑफ की गई अतिरिक्त राशि	186.74	333.95

5. ग्राहकों को विक्रय एवं प्रेषण :

   (क) अनंतिम मूल्यों पर आधारित रु. 17003.80 लाख (गत वर्ष रु. 13717.12 लाख) शामिल हैं;

   (ख) अंतिम मूल्य सूचकांकों की सीमा तक, विक्रय ठेके के अनुसार, जिसके अंतर्गत प्रोद्भवन आधार पर वृद्धि दावे भी शामिल हैं, उत्पन्न वृद्धि दावों के लिए रु. 18193.95 लाख (गत वर्ष रु. 19697.10 लाख) शामिल हैं;

   (ग) ग्राहकों को भेजे गये प्रेषणों में शामिल उपस्करों का मूल्य रु. 5366.87 लाख (गत वर्ष रु. 10280.56 लाख) है जो ग्राहकों की ओर से उनकी प्रार्थना पर पड़े हैं और कंपनी द्वारा उनका मूल्य प्राप्त हो चुका है; और

   (घ) सुपुर्दगी में देरी के लिए संविदा की शर्तों के अनुसार मूल्य कटौती के रु. 901.91 लाख (गत वर्ष रु. 566.62 लाख) शामिल नहीं हैं।

6. प्रासंगिक देयताएं

(क) कम्पनी के खिलाफ दावों, जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किए गए, में शामिल हैं :

(i) आयकर की लम्बित अपीलें रु. 29709.89 लाख (गत वर्ष रु. 30145.21 लाख)।

(ii) बिक्रीकर के रु.28349.86 लाख (गत वर्ष रु. 28649.64 लाख) की मांग पर प्रतिवाद/न्यायालय आदेश के अधीन रु. 7392.75 लाख (गत वर्ष रु. 7265.85 लाख) का भुगतान किया गया।

(iii) उत्पाद शुल्क के रु. 26524.53 लाख (गत वर्ष रु. 46812.48 लाख) की मांग पर प्रतिवाद/न्यायालय आदेश के अधीन रु. 1655.43 लाख (गत वर्ष रु. 1829.10 लाख) का भुगतान किया गया।

(iv) सीमा शुल्क की मांगे रु. 5.82 लाख (गत वर्ष रु. 5.82 लाख)।

(v) न्यायालय/माध्यस्थम् मामले रु. 4548.53 लाख (गत वर्ष रु. 4696.05 लाख), जिनमें से रु. 21.07 लाख (गत वर्ष शून्य) का भुगतान प्रतिवाद/न्यायालय आदेश के अधीन किया गया।

(vi) निर्णीत हर्जाना रु. 9827.00 लाख (गत वर्ष रु. 11603.20 लाख)।

(vii) संविदाकारों के काउन्टर दावे रु. 4113.52 लाख (गत वर्ष रु. 4088.63 लाख)।

(viii) अन्य रु. 1972.88 लाख (गत वर्ष रु. 2846.33 लाख)।

(ख) आई डी बी आई योजना के अन्तर्गत वर्ष के अंत में बकाया बिलों में रु. 30610.16 लाख (पिछले वर्ष रु. 45477.94 लाख) की छूट

(ग) वर्ष की समाप्ति पर रु. 273879.37 लाख (पिछले वर्ष रु. 248632.66 लाख) की बकाया बैंक गारन्टी।

7. बैंक संकाय द्वारा स्वीकृत रु. 750000 लाख (पिछले वर्ष रु. 700000 लाख) तक की गारन्टी/साख पत्र के सम्बन्ध में अपने काउन्टर गारन्टी/क्षतिपूर्ति दायित्वों के लिए कच्चे माल, संघटकों, चालू कार्य, तैयार माल, भंडारों एवं बही ऋणों के आडमान के जरिए कम्पनी ने प्रथम प्रभार सृजित किया है।

8. कम्पनी ने आयकर अपील अधिकरण में एक अपील दायर की है, जिसमें निर्धारण वर्ष 1992-93 से सम्बंधित प्रोद्भवन के आधार पर असाधारण मुद्रा विचलन से हुए रु. 26816.00 लाख (गत वर्ष 26816.00 लाख) के नुकसान के बारे में कम्पनी के दावे की नामंजूरी का मुद्दा उठाया है। कानूनी निर्णयों के आधार पर इस मांग के समाप्त होने की सम्भावना है इसीलिए कही गयी आयकर देयता का प्रावधान नहीं किया गया तथा विगत वर्षों की भांति इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जा रहा है। कही गयी देयता के सम्बंध में आयकर विभाग द्वारा की गई रु. 24974.61 लाख (गत वर्ष रु. 24974.61लाख) की मांग का समायोजन वापस किए गए धन के साथ किया गया है तथा तुलन-पत्र में 'उधार एवं अग्रिम' शीर्ष के अंतर्गत अन्य जमा के रूप में दर्शाया गया है।

9. उप ठेकेदारों/फेब्रिकेटरों के पास बकाया शेष तथा शेष स्टॉक के पुष्टिकरण के संबंध में कुछ मामलों में ही जबाब प्राप्त हुआ है, उनमें से कुछ ब्यौरे मांग रहे हैं।

10. (क) हीप, हरिद्वार यूनिट के ईपीपी से सम्बंधित रु. 700.60 लाख (गत वर्ष रु. 710.85 लाख) की लागत के पूंजी उपस्कर एवं सिविल निर्माण कार्य का पूर्व वर्षों में पूरी तरह मूल्यह्रास प्रावधान किया गया था। ऐसा आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध न होने से उक्त उपस्कर एवं सिविल निर्माण कार्य का उपयोग न होने के कारण हुआ। यह मामला अन्वेषण के अधीन है।

(ख) सीएफएफपी हरिद्वार में हेवी फोर्ज प्रैस के क्रय से संबंधित मामला न्यायालय की कार्यवाही के अधीन है, जिसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता।

11. हीप, हरिद्वार में ईएसआई प्राधिकारियों ने वर्ष 1966-67 से लेकर 1996-97 तक के लिए ठेका श्रमिकों के संबंध में पूर्व के वर्षों में 241.91 लाख (गत वर्ष 230.75 लाख रु.) की मांग की थी। कानूनी मत के आधार पर 21.82 लाख रु. का भुगतान किया जा चुका है और इसे पूर्व के वर्षों में लाभ-हानि लेखा में डेबिट किया गया था तथा 220.09 लाख रु. की शेष राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जा रहा है।

तिरूचि यूनिट के संबंध में, ई एस आई प्राधिकारियों द्वारा पूर्व के वर्षों में उठाई गई 296.73 लाख (गत वर्ष 296.73 लाख रु.) की मांग का भुगतान अभी नहीं हुआ है, क्योंकि इस यूनिट ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया है।

12. गुड़गांव स्थित गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से अमोरफस सिलिकॉन सोलर सेल प्लांट (एएसएससीपी), को 30 वर्ष के लिए पट्टे पर अधिग्रहण करने के फलस्वरूप, एएसएससीपी के लेखे कम्पनी के कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास प्रभाग के लेखे में समाहित कर दिए गए हैं। तथापि, सरकार के साथ पट्टा अनुबंध को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

13. वर्ष 1999-2000 के दौरान, रु. 500 लाख की राशि, कम्पनी द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले उपस्करों के आर्डर प्राप्त करने हेतु कोणार्क मेट कॉक लि. (केएमसीएल), भुवनेश्वर, में रु. 10 प्रति (सममूल्य पर) इक्विटी शेयरों में अग्रिम के तौर पर निवेश की गयी थी। इक्विटी सहभागिता, प्राप्त आर्डरों के मूल्य के 7.5%, अधिकतम रु. 2250 लाख तक सीमित है। उक्त अग्रिम में से केएमसीएल ने 2001-2002 के दौरान 10 रुपये प्रत्येक की अंकित कीमत के 10 लाख शेयर बीएचईएल के पक्ष में आबंटित किये हैं तथा बीएचईएल का शेष अग्रिम, आबंटन अनिर्णीत रहते हुए उन्होंने शेयरमनी के तौर पर प्रतिधारित किया है। केएमसीएल के इक्विटी शेयरों में निवेश हेतु सरकारी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

14. अनुसूची 10 में दी गई देयता, जो कि लघु औद्योगिक उपक्रमों को देय है, कम्पनी की यूनिटों/प्रभागों के डाटाबेस से तय की गई है तथा उपक्रमों की एसएसआई स्थिति के अनुसार उनसे प्राप्त उत्तर के आधार पर अघतन की गई है।

15. स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना 1999-2000 एवं 2000-2001 एवं 2001-2002 के अंतर्गत कंपनी द्वारा भुगतान की गई एकमुश्त राशि और लेखा नीति संख्या 16 के अनुसार उसे प्रभारित किए जाने के विवरण निम्न प्रकार हैं :

(रुपये लाख में)

	भुगतान की गई कुल एकमुश्त राशि	**2000-2001 तक प्रभारित**	**2001-2002 तक प्रभारित**	**आस्थगित शेष राशि**
	(क)	**(ख)**	**(ग)**	**(घ)**
वीआरएस 1999-2000				
- 1999-2000 में प्रदत्त	28913.10	14456.61	9637.72	4818.77 *
- 2000-2001 में प्रदत्त बकाया	9554.27	4777.15	3184.77	1592.35 *
- 2001-2002 में प्रदत्त बकाया	3.40		2.82	0.58 *
वीआरएस 2000-2001				
- 2000-2001 में प्रदत्त	4833.84	1208.49	1611.27	2014.08 **
- 2001-2002 में प्रदत्त स्पिलऑवर	561.43		187.15	374.28 ***
वीआरएस 2001-2002				
- 2001-2002 में प्रदत्त	21503.55		5375.88	16127.67 ****
कुल	**65369.59**	**20442.25**	**19999.61**	**24927.73**

* आगामी लेखा वर्ष में प्रभारित होने वाली कुल एकमुश्त राशि का 1/6 होने के कारण।

** आगामी दो लेखा अवधियों में कुल योग के क्रमश: 1/3 एवं 1/12 के अनुपात में प्रभारित किया जाएगा।

*** आगामी दो लेखा अवधियों में कुल योग के क्रमश: 1/3 एवं 1/3 के अनुपात में प्रभारित किया जाएगा।

**** आगामी तीन लेखा अवधियों में कुल योग के क्रमश: 1/3, 1/3 एवं 1/12 के अनुपात में प्रभारित किया जाएगा।

16. कम्पनी ने मूल्यह्रास की दर 16.21% से 20% (कृपया महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 9(i) देखें) तक बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन उपस्कर पर मूल्यह्रास से सम्बद्ध अपनी लेखा नीति को आशोधित कर लिया है। इसके फलस्वरूप वर्ष में कर पूर्व लाभ में रु. 109.67 लाख की कमी आयी है।

17. अन्य देयताओं में सरकार के कहने पर 1990-91 तक बीएचईएल द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में भारत सरकार द्वारा मांगे गए गारंटी शुल्क की 10051.51 लाख रुपये की राशि शामिल है। इस राशि के अधित्याग का मामला बीएचईएल ने सरकार के साथ उठाया है, क्योंकि ऋण (सरकार द्वारा गारंटी दी गई थी) लेते समय गारंटी शुल्क के भुगतान हेतु अनुबंध नहीं था।

18. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 16 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान पूंजीकृत राशि 728.97 लाख रुपये है। पिछले वर्ष की 609.63 लाख रुपये की उधार लागत ''पूर्व अवधि मदें'' शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए तदनुरुप क्रेडिट सहित 1.4.2001 को मालसूची के आरम्भिक शेष में समायोजित कर दी गई है।

19.

31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय सूचना					
					(रु. लाख में)
		विद्युत	उद्योग		कुल
	क्षेत्रीय सूचना				
क.	प्राथमिक क्षेत्र-व्यावसायिक क्षेत्र				
I.	क्षेत्रीय राजस्व	539216.62	244348.92		
	अंतर क्षेत्रीय राजस्व (ऊपर माना हुआ)	728.77	25706.00		
	प्रचालन राजस्व (बाह्य)	538487.85	218642.92		757130.77
	(अंतर क्षेत्रीय राजस्व के अतिरिक्त)				
II.	क्षेत्रीय परिणाम	121780.56	24449.24	146229.80	
	सामान्य खर्चे (आय के अतिरिक्त)			50249.41	
	ब्याज पूर्व लाभ, डीआरई एवं आयकर			95980.39	
	ब्याज			9697.57	
	बट्टे खाते में डाला गया आस्थगित राजस्व व्यय			19999.61	
	आयकर पूर्व निवल लाभ				66283.21
	आयकर				19488.56
	आयकर पश्चात् निवल लाभ				46794.65
III.	परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएं				
अ.	क्षेत्रीय परिसम्पत्तियां	517515.53	293649.41	811164.94	
	सामान्य परिसम्पत्तियां			111869.16	
	कुल परिसम्पत्तियां				923034.10
ब.	क्षेत्रीय देयताएं	305746.71	128307.84	434054.55	
	सामान्य देयताएं			37531.43	
	कुल देयताएं				471585.98
IV.	अन्य सूचनाएं				
अ.	स्थायी परिसम्पत्तियों के अर्जन की अवधि के दौरान खर्च की गई लागत	13075.94	3900.12		
ब.	मूल्यह्रास	7112.80	4315.94		
स.	गैर नकद खर्चे (मूल्यह्रास के अतिरिक्त)	8569.67	3145.55		
ख.	अनुपूरक क्षेत्र - भौगोलिक क्षेत्र				
		भारत के अंदर	भारत के बाहर	कुल	
1.	निवल बिक्री/प्रचालनों से आय	658412.51	98718.26	757130.77	
2.	कुल परिसम्पत्तियां	921768.72	1265.38	923034.10	
3.	स्थायी परिसम्पत्तियों के अर्जन की अवधि के दौरान खर्च की गई लागत	20711.79	2.69	20714.48	

टिप्पणियां :

1. कम्पनी के उत्पाद एवं सेवाओं के क्षेत्र, जिससे वे बाजार में प्रमुखता से पहचाने जाते हैं, के आधार पर ''विद्युत'' एवं ''उद्योग'' क्षेत्रों के अंतर्गत समूह बना दिए गए हैं।
2. विद्युत क्षेत्र में विभिन्न विद्युत उत्पादन सेटों एवं उनके सहायक उपकरणों से सम्बद्ध उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं।
3. उद्योग क्षेत्र में परिवहन, संचारण, विद्युत मशीनें, औद्योगिक सेट एवं डीजी सेट, दूरसंचार तथा अन्य औद्योगिक उत्पाद एवं प्रणालियों के उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं।
4. अंतर-क्षेत्र अंतरण आपसी सहमति के मूल्यों पर किया गया है।

20. सम्बद्ध पार्टी लेन-देन

(i) सम्बद्ध पार्टियां, जहां नियंत्रण है :

सम्बद्ध पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति
पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लि.	संयुक्त उद्यम कंपनी
बीएचईएल - जीई गैस टरबाइन सर्विसिज़ लि.	संयुक्त उद्यम कंपनी

(ii) अन्य सम्बद्ध पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान लेन-देन हुआ :

सम्बद्ध पार्टी का नाम	के द्वारा सम्बद्ध
एसडब्लयूआईएल लिमिटेड	मुख्य प्रबंधन कार्मिक
टाटा रिफ्रैक्टरीज़ लिमिटेड	मुख्य प्रबंधन कार्मिक
स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लिमिटेड	मुख्य प्रबंधन कार्मिक

(iii) लेन-देन के विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	संयुक्त उद्यम	मुख्य प्रबंधन कार्मिक
क.	खरीद		80.11
ख.	बिक्री	956.44	33.00
ग.	लाभांश, रॉयल्टी आय	276.71	
घ.	वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशियां	407.53	33.00
ङ	वर्ष के अंत में बीएचईएल से देय राशियां		10.34
च.	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	12.02	
छ.	बट्टे खाते में डाली गई राशियां	-	-
ज.	पुरांकन की गई राशियां	-	-
झ.	की ओर से दी गई गारंटियां	1960.00	

21. पट्टों पर नए लेखा मानक के अनुसार, कम्पनी ने 1.4.2001 से वित्त पट्टे पर ली/दी गई परिसम्पत्तियों से सम्बद्ध पट्टे पर अपनी महत्वपूर्ण लेखा नीति (कृपया महत्वपूर्ण लेखा नीति सं. 6 देखें) को आशोधित कर लिया है। क्योंकि 1.4.2001 के पश्चात् कोई परिसम्पत्ति वित्त पट्टे पर नहीं दी गई है; कर पूर्व लाभ पर शून्य प्रभाव है। 1.4.2001 के बाद वित्त पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों से सम्बद्ध वर्ष में कर-पूर्व लाभ 80.89 लाख रुपये अधिक है।

1 अप्रैल, 2001 के बाद वित्त पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों के विवरण निम्नानुसार है :

(रुपये लाख में)

		ईडीपी उपस्कर	कार्यालय एवं अन्य उपस्कर
क.	न्यूनतम पट्टा भुगतानों का बकाया शेष		
	- एक वर्ष के बाद नहीं.	655.93	170.75
	- एक वर्ष के बाद और पांच वर्षों के बाद नहीं	1558.51	623.50
	- पांच वर्षों के बाद		77.68
	तुलन पत्र तिथि पर कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान	2214.44	871.93
ख.	उपर्युक्त ''क'' की वर्तमान कीमत		
	- एक वर्ष के बाद नहीं	479.14	138.36
	- एक वर्ष के बाद और पांच वर्षों के बाद नहीं	1082.52	392.32
	- पांच वर्षों के बाद		36.28
	तुलन पत्र तिथि पर कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान	1561.66	566.96
ग.	वित्त प्रभार	652.78	304.97

22. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करते समय:

क. मूल एवं तनूकृत प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में अंश के रूप में ली गई राशि वर्ष में 46794.65 लाख रुपये का निवल लाभ है; तथा

ख. मूल एवं तनूकृत दोनों अर्जन परिकलित करने में हर के रूप में ली गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत सं. 2447.60 लाख है।

ग. शेयर की अंकित कीमत 10 रु. है।

23. आय पर आयकर के लिए नए लेखा मानक 22 के अनुसार 1.4.2001 को बही एवं कर लाभ के बीच समय अंतर के कारण 26920 लाख रुपये की संचयी निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां सामान्य आरक्षित में क्रेडिट कर दी गई हैं।

31.3.2002 को समय अंतर के कारण निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति का विश्लेषण निम्नानुसार है:-

(रुपये लाख में)

	आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	आस्थगित कर देयताएं
प्रावधान	43842.08	
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं का आस्थगित राजस्व खर्च	617.55	
सांविधिक देय	1236.24	
मॉडवेट समायोजन	728.20	
मूल्यह्रास		15962.27
	46424.07	15962.27
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		**30461.80**

24. 14 जून, 2002 को बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए और 15 जून, 2002 को लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित किए गए वार्षिक लेखे, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 619 (4) के अंतर्गत लेखापरीक्षा के समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षित कर दिए गए हैं। पुनरीक्षण के फलस्वरुप, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलनपत्र में परिवर्तन को निम्नानुसार संक्षिप्त कर दिया है :

(रुपये लाख में)

	वृद्धि	कमी
लाभ एवं हानि लेखा		
आय		557.48
निर्गामी	394.53	
कर पूर्व लाभ		952.01
तुलन पत्र		
आरक्षित एवं अधिशेष		576.24
पूंजीगत चालू कार्य सहित स्थायी परिसम्पत्तियां		2.75
मालसूचियां		175.59
विविध देनदार		50.95
ऋण एवं अग्रिम	128.82	
चालू देयताएं	479.65	
प्रावधान	171.89	
आस्थगित कर परिसम्पत्ति	175.77	

25. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण से तुलनात्मक बनाने हेतु, जहाँ व्यवहार्य हुआ, पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है और हजार रुपए के निकटतम पूर्णांकन कर दिया गया है।

अनुसूची-19क

तुलन-पत्र का सार तथा कंपनी का सामान्य व्यापार प्रोफाइल

i) पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या 0 0 4 2 8 1 राज्य कोड 5 5

तुलन-पत्र

3 1 (दिनांक) 0 3 (माह) 0 2 (वर्ष)

ii) वर्ष के दौरान एकत्र पूंजी (राशि लाख रु. में)

पब्लिक इश्यू	राइट इश्यू
शून्य	शून्य
बोनस इश्यू	प्राइवेट प्रतिस्थापन
शून्य	शून्य

iii) निधियों के संग्रहण व परियोजन की स्थिति (राशि लाख रु. में)

कुल देयताएं	कुल परिसंपत्तियां
9 8 5 1 2 4 . 9 4	9 8 5 1 2 4 . 9 4

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी	आरक्षित एवं अधिशेष
2 4 4 7 6 . 0 0	4 2 2 4 8 4 . 5 4
रक्षित ऋण	**अनारक्षित ऋण**
5 0 0 2 7 . 9 7	1 4 4 2 1 . 8 5

पट्टे पर ली गई परिसम्पत्तियों के लिए क्रेडिट

2 1 2 8 . 6 0

निधियों का नियोजन

शुद्ध स्थायी परिसंपत्तियां *	निवेश
1 2 3 3 2 3 . 8 9	1 0 3 4 . 3 5

* इसमें डब्ल्यू आई पी पूंजी 5666.96 लाख रु. शामिल है।

शुद्ध चालू परिसंपत्तियां	विविध व्यय (आस्थगित राजस्व व्यय)
3 3 3 7 9 1 . 1 9	2 4 9 2 7 . 7 3
संचित हानि	**आस्थगित कर परिसम्पत्तियां**
शून्य	3 0 4 6 1 . 8 0

iv) कंपनी का निष्पादन (राशि लाख में)

कुल कारोबार **	कुल व्यय
7 2 8 6 6 2 . 5 4	7 3 7 8 1 9 . 3 3

** मालसूची में वृद्धि/कमी अन्य परिचालन आय एवं राजस्व सहित वर्ष के लिए कुल व्यय पर कुल अर्जन 804102.54 लाख रु. है।

कर-पूर्व लाभ	कर-पश्चात लाभ
6 6 2 8 3 . 2 1	4 6 7 9 4 . 6 5
अर्जन प्रति शेयर रु. में	**लाभांश दर**
1 9 . 1 2	4 0 %

v) कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के नाम (मौद्रिक शब्दों में)

1. मद कोड सं. : (आईटीसी कोड) 8 4 0 2 1 0

उत्पाद विवरण : पुर्जों के अलावा बॉयलर

2. मद कोड सं. : (ITC Code) 8 5 0 2 3 9 0 2

उत्पाद विवरण : हाइड्रो टरबाइन सहित पूर्ण जेनरेटिंग सेट

3. मद कोड सं. : (आईटीसी कोड) 8 4 1 1 8 2 0 6

उत्पाद विवरण : 115000 कि.वा. से अधिक क्षमता की गैस टरबाइन

अनुसूची-20
बिक्री, प्रारम्भिक स्टॉक एवं अन्तिम स्टॉक

(रुपये लाख में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2001-2002 के दौरान बिक्री		1.4.2001 को तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक		31.3.2002 को तैयार माल का अन्तिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
भोपाल							
स्विचगियर, कंट्रोलगियर, रेक्टीफायर, कैपेसिटर							
स्विचगियर : 11 के.वी. से 220 के.वी. उच्च गति वाले एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स	संख्या	2734 (2865)	4951.51 (6415.68)	0 (113)	0.00 (173.17)	71 (0)	116.24 (0.00)
कन्ट्रोल पैनल	संख्या	606 (246)	1109.55 (903.72)	100 (2)	66.34 (2.52)	2 (100)	6.24 (66.34)
औद्योगिक कंट्रोलगियर	संख्या	7 (4)	924.06 (881.41)	0 (0)	0.00 (0.00)	0 (0)	0.31 (0.00)
ए.सी., डी.सी. तथा डीज़ल प्रणालियों के लिए ट्रैक्शन कंट्रोलगियर	संख्या	192 (183)	4891.64 (3864.56)	0 (0)	0.00 (0.00)	0 (0)	0.00 (0.00)
इलेक्ट्रानिक सहित रेक्टीफायर	एचक्यूएच	453 (480)	3358.30 (4091.94)	16 (5)	17.49 (17.53)	0 (16)	0.00 (17.49)
कैपेसिटर	एमवीएआर	1818 (956)	1230.93 (828.39)	0 (0)	0.54 (0.00)	558 (0)	289.49 (0.54)
बुशिंग	—	- -	626.81 (599.09)	0 (0)	14.25 (0.00)	0 (0)	0.00 (14.25)
ट्रांसफार्मर							
विद्युत ट्रांसफार्मर (400 के.वी. तक)	एमवीए/संख्या	8566.50/65 (7906/54)	7976.03 (11726.88)	350/4 (944/8)	807.29 (1321.93)	727/9 (350/4)	775.70 (807.29)
इंस्ट्रूमेंट, वेल्डिंग, ट्रांसफार्मर और रिएक्टर	एमवीए/संख्या	0/505 (106/463)	2439.97 (1202.00)	0/19 (106/84)	29.98 (343.46)	0/61 (0/19)	55.25 (29.98)
औद्योगिक और ट्रेक्शन मशीन							
ए.सी., डी.सी. तथा डीज़ल सिस्टम के लिए ट्रेक्शन मोटरें, मुख्य तथा सहायक जेनरेटर	संख्या	3552 (2178)	24124.85 (22079.71)	171 (223)	751.65 (1172.65)	64 (171)	333.28 (751.65)
औद्योगिक मशीनें, 1000 अश्व शक्ति तक की ए.सी. मोटरें, डी.सी. मोटरें व सभी प्रकार के जेनरेटर	संख्या	479 (399)	5585.05 (3624.54)	11 (13)	121.59 (112.15)	0 (11)	0.00 (121.59)
मरम्मत ठेका-ई.एम.आर.पी.	- -	- -	2265.73 (1226.04)	0 (0)	0.00 (0.00)	0 (0)	0.00 (0.00)
हेवी रोटेटिंग प्लांट और टरबाइन							
1000 अश्वशक्ति संख्या से अधिक वाले बड़े विद्युत यंत्र	संख्या	92 (102)	4708.32 (4749.88)	2 (3)	54.99 (32.89)	1 (2)	22.70 (54.99)
वाटरव्हील आल्टरनेटर एवं वाटर टरबाइन और	संख्या/मे.वा.	5/T 395	11711.08	0	114.83	0	1142.79
मिनी माइक्रो टरबाइन तथा जेनरेटर		7/G 795	10699.15	0	12.90	0	391.60
		(6/T) (376)	(11649.85)	(0)	(0.99)	(0)	(114.83)
		(7/G) (230)	(6354.00)			(0)	(12.90)

अनुसूची-20 (जारी)
बिक्री, प्रारम्भिक स्टॉक एवं अन्तिम स्टॉक

(रुपयेलाख में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2001-2002 के दौरान बिक्री		1.4.2001 को तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक		31.3.2002 को तैयार माल का अन्तिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
टर्बो आल्टरनेटर एवं	संख्या/मे.वा.		5635.89		70.27		162.14
स्टीम टरबाइन और			0.00		155.05		179.13
हीट एक्सचेंजर्स		15 H.Ex	4079.69		0.00		0.00
			(4813.33)		(15.48)		(70.27)
		(2)	(682.22)		(0.00)		(155.05)
		(11 H.Ex.)	(3104.21)		(0.00)		(0.00)
अन्य			2676.60		27.91		0.00
			(5637.55)				(27.91)
		कुल	**98995.16**		**2245.08**		**3474.87**
झांसी							
विद्युत ट्रांसफार्मर तथा	संख्या	86	8820.10	4	407.47		
विशेष ट्रांसफार्मर		(71)	(6054.77)	(4)	(371.00)	(4)	(407.47)
ईएसपी ट्रांसफार्मर	संख्या	81	676.48				
		(86)	(1015.07)				
एसीईएमयू ट्रांसफार्मर	संख्या		-0.06				
			(0.00)				
फ्रेट लोको	संख्या	32	714.58				
ट्रांसफार्मर		(18)	(428.03)				
इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर	संख्या	1507	1486.47	3	2.62	2	1.78
		(980)	(986.29)	(8)	(2.82)	(3)	(2.62)
बस डक्ट	संख्या		1665.65		2.57		49.56
			(173.37)				(2.57)
ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर	संख्या	43	448.44	0.07	13.32	15	66.04
		(22)	(264.00)	(0.01)	(3.18)	(7)	(13.32)
डीजल शंटर	संख्या	2	230.84				
		(4)	(336.16)				
ए.सी. इंजन	संख्या						
अन्य	संख्या		685.54		9.22		11.74
		(-)	(1338.50)		(13.00)		(9.22)
		कुल	**14728.04**		**435.20**		**129.12**
हीप, हरिद्वार							
विद्युत मशीनें	मे.वा./सं.	113/117	3167.17	17/39	628.55	13/45	531.27
		(122/128)	(2775.13)	(13/21)	(498.46)	(17/39)	(628.55)
औद्योगिक नियंत्रण	संख्या	50	12.70	9	30.97	15	44.65
पैनल		(53)	(50.81)	(3)	(19.24)	(9)	(30.97)
टर्बो सेट	मे.वा./सं.	2330/6	45065.34	-	193.28	0	435.84
		(500/2)	(45029.83)	-	(320.84)		(193.28)
हाइड्रो सेट	मे.वा./सं.	15/1	1376.99	-	0.56	-	5.94
		-	(624.40)	-	-	-	(0.56)

अनुसूची-20 (जारी)
बिक्री, प्रारम्भिक स्टॉक एवं अन्तिम स्टॉक

(रुपयेलाख में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2001-2002 के दौरान बिक्री		1.4.2001 को तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक		31.3.2002 को तैयार माल का अन्तिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सुपर रेपिड गन माउण्ट	संख्या	-	185.94	-	89.15	-	89.15
		-	(1100.20)	-	-	-	(89.15)
हल्के विमान	संख्या	-		-		-	
		-	(0.13)	-	-	-	-
अन्य		-	16893.96	-	107.27		193.62
		-	(15281.60)	-	(84.05)		(107.27)
		कुल	**66702.10**		**1049.78**		**1300.47**
सीएफएफपी, हरिद्वार							
स्टील कास्टिंग	एम.टी.	52.00	71.46	14.613	29.16	2.085	3.62
		(26.50)	(32.90)	(100.628)	(212.20)	(14.613)	(29.16)
स्टील फोर्जिंग्स	एम.टी.	45.964	129.18	31.610	63.73	24.622	50.90
		(94.836)	(187.32)	(36.432)	(75.70)	(31.610)	(63.73)
एन.एफ. कास्टिंग	एम.टी.					2.080	3.43
		-	-			-	-
		कुल	**200.64**		**92.89**		**57.95**
बॉयलर प्लांट/एस.एस.टी.पी., तिरुचि							
बॉयलर	एम.टी.	+ 129812	144875.77	1116	881.70	2569	1177.45
		+ (114435)	(132593.88)	(2595)	(2484.70)	(1116)	(881.70)
वाल्वस	संख्या *	30258	11157.03	1397	198.97	2658 @	123.05
		(26527)	(9507.00)	(2362)	(134.62)	(1397)@	(198.97)
परीक्षण तथा अन्य सेवाओं से आय		-	6209.63 (9864.55)	-	-	-	-
सीमलैस इस्पात नलियां	एम.टी.	2937	1209.19	5**	3.23**	21**	12.78**
		(3068)	(1294.69)	(28)**	(14.52)**	(5)**	(3.23)**
आर्मर्ड रिकवरी वेहिकल	संख्या	9	3666.67	2	681.00		
		(28)	(10847.00)		-	(2)	(681.00)
		कुल	**167118.29**		**1764.90**		**1313.28**
बी.ए.पी. रानीपेट							
बॉयलर सहायक	एम.टी.	10401	4971.70	1701	567.71	3221	1063.67
		(7107)	(5207.65)	(1781)	(702.98)	(1701)	(567.71)
विंड मिल	एम.टी.		60.46 (122.49)				
परीक्षण तथा अन्य सेवाओं से आय		-	244.48 (280.19)	-	-	-	-
बाहरी निर्माण तथा अन्य सेवाओं से आय		-	973.43 (980.02)	-	-	-	-
		कुल	**6250.07**		**567.71**		**1063.67**
हैदराबाद							
60 मे.वा. सेट	मे.वा.	1+P	483.91				
		(P)	(2428.60)	-	-	-	-

अनुसूची-20 (जारी)
बिक्री, प्रारम्भिक स्टॉक एवं अन्तिम स्टॉक

(रुपये लाख में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2001-2002 के दौरान बिक्री		1.4.2001 को तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक		31.3.2002 को तैयार माल का अन्तिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
110/120 मे.वा. सेट	मे.वा.	1+P	5067.30			1+P	297.70
		(1+P)	(3923.93)				
लघु एवं मध्यम सेट	मे.वा.	7+P	11247.19		261.52		762.93
		(2+P)	(8045.27)		(115.89)	-	(261.52)
पम्प तथा हीटर	संख्या	2+P	8741.47		38.00	1+P	105.88
		(3+P)	(7966.97)	(3)	(35.42)		(38.00)
कम्प्रेसर	संख्या	2+P	3185.62				
		(5+P)	(19349.61)	-	-	-	-
गैस टरबाइन	संख्या	3+P	50554.29	3+P	7940.14	1+P	2952.33
		(5+P)	(41201.64)	(2+P)	(4725.91)	(3+P)	(7940.14)
सहायक उत्पादन ब्रेकर	संख्या	205	2623.08	61	431.55	56	280.75
		(155)	(2779.13)	(94)	(1083.73)	(61)	(431.55)
बाउल मिल		29+P	14152.04				
		(2+P)	(11197.58)	-	-	-	-
हीट एक्सचेंजर		10+P	1477.63				
		(10+P)	(1842.32)	-	-	-	-
इरेक्शन आय			326.85				
			(1516.92)	-	-	-	-
कास्टिंग			788.25		376.54		209.11
			(726.94)		(101.20)		(376.54)
अन्य (सेवायें)			6701.48				
		-	(5943.31)	-	-	-	-
ब्रेकर्स स्पेयर्स			503.54				
		-	(824.03)	-	-	-	-
ब्रेकर्स स्पेयर्स के अलावा स्पेयर्स			17894.71				60.51
		(-)	(15167.69)	-	(132.57)	-	
		कुल	**123747.36**		**9047.75**		**4669.21**
औद्योगिक प्रणाली समूह							
नियंत्रण पैनल		347	1231.60				
		(180)	(878.81)	-	-	-	-
मोटर एवं स्पेयर्स		10	323.14				
		(32)	(255.11)	-	-	-	-
अन्य उपस्कर		426	3088.98		2.71		
		(-)	(2295.43)	-	(0.64)	-	(2.71)
अन्य सेवाएँ			553.71				
		-	(859.66)	-	-	-	-
		कुल	**5197.43**		**2.71**		**0.00**
इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग							
ऊर्जा मीटर							
क) एक फेज	संख्या	310841	2036.89	1650	8.01	26847	180.19
		(538150)	(3462.70)	(33050)	(137.00)	(1650)	(8.01)

अनुसूची-20 (जारी)
बिक्री, प्रारम्भिक स्टॉक एवं अन्तिम स्टॉक

(रुपये लाख में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2001-2002 के दौरान बिक्री		1.4.2001 को तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक		31.3.2002 को तैयार माल का अन्तिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ख) बहु फेज	संख्या	93830	1517.23	3088	25.52	32678	467.78
		(75165)	(1333.10)	(585)	(5.37)	(3088)	(25.52)
संधारित्र (कैपेसिटर) इलेक्ट्रोलाइटिक	संख्या	4232	2.95	7631	8.63	7674	0.00
		(37425)	(43.16)	(12381)	(13.77)	(7631)	(8.63)
शक्ति युक्तियाँ	संख्या	3949	140.69	740	18.13	781	25.90
		(2411)	(66.65)	(1092)	(41.94)	(740)	(18.13)
फोटोवोल्टेइक	कि.वा.	887	2741.90	145	304.09	154	401.28
		(468)	(1283.06)	(7026)	(128.63)	(145)	(304.09)
टेलीकम्युनिकेशन	लाइन	333776	9214.98				
		(301864)	(7888.02)	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
सिम्युलेटर (रक्षा इलेक्ट्रोनिक्स)	सेट	172	4776.54				
		(2008)	(3832.17)	(0)	(0.00)	(0)	(0.00)
नियंत्रण उपस्कर	क्युबिकल्स	876	20679.94	0	0.00	7	12.13
		(820)	(20761.36)	(3)	(34.70)	(0)	(0.00)
		कुल	**41111.12**		**364.38**		**1087.28**
विद्युत पोर्सिलेन प्रभाग							
इंसुलेटर तथा बुशिंग	एम.टी.	7019	7215.84	576	444.89	431	251.75
		(5498)	(4869.59)	(862)	(597.39)	(576)	(444.89)
सेरेलिन	एम.टी.	962	905.88	50	29.19	20	29.19
		(869)	(905.88)	(24)	(13.21)	(50)	(29.19)
परीक्षण तथा अन्य सेवाओं से आय		-	60.88 (187.66)	-	-	-	-
		कुल	**8182.60**		**474.08**		**280.94**
विद्युत समूह							
इरेक्शन, अन्य सेवाओं तथा अतिरिक्त पुर्जों से आय		(-)	85843.91 (85706.33)	- -	417.40 (425.40)	- -	481.98 (417.40)
		कुल	**85843.91**		**417.40**		**481.98**
विदेशी परियोजनाएं समन्वयकर्ता यूनिट							
बिक्री, इरेक्शन से आय			88638.95		603.83		
अन्य सेवाएं एवं अतिरिक्त पुर्जे		(-)	(16764.95)	-		-	(603.83)
		कुल	**88638.95**		**603.83**		**0.00**
जगदीशपुर							
विद्युतरोधी (इंसुलेटर)	सी.एम.टी.	4475.21	2825.11	381	192.81	330.00	207.23
		(3827)	(2325.38)	(254)	(127.44)	(381)	(192.81)
सेरेलिन	एम.टी.	456.76	488.53		0.00		
		(466)	(464.98)	(6)	(3.99)		
इरेक्शन एवं सेवाएं			1.69				
		कुल	**3315.33**		**192.81**		**207.23**

अनुसूची-20 (जारी)
बिक्री, प्रारम्भिक स्टॉक एवं अन्तिम स्टॉक

(रुपये लाख में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2001-2002 के दौरान बिक्री		1.4.2001 को तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक		31.3.2002 को तैयार माल का अन्तिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
गोइंदवाल							
औद्योगिक वाल्व	संख्या	0	0.00	124	29.50	135	32.02
		(9)	(2.52)	(87)	(13.50)	(124)	(29.50)
अन्य सेवाएं							
			(0.64)				
		कुल	**0.00**		**29.50**	**-**	**32.02**
टेक्नालोजी अंतरण केन्द्र हैदराबाद							
8 एचपी सर्वो मोटर्स	संख्या	1	11.75				
		(0)	(0.00)	-	-	-	-
रेलवे हेतु एमसीबीजी	संख्या	4	25.06				
		(0)	(0.00)	-	-	-	-
पीसीएंडए माइक्रो प्रोसेसर के लिए अतिरिक्त पुर्जे	लॉट	0	0.00				
		(1)	(1.44)	-	-	-	-
लोको के लिए इलेक्ट्रोनिक गवर्नर	संख्या	0	0.00				
		(3)	(6.21)	-	-	-	-
परीक्षण और सेवाओं से आय			115.67				
			(94.91)	-	-	-	-
हल्के कॉम्बेट वायुयान के रडार कूलिंग सिस्टम हेतु पम्प एवं मोटर यूनिट	सेट	0	0.00				
		(3)	(20.02)	-	-	-	-
टैंक ट्रक ऑटोमेशन हेतु अतिरिक्त पुर्जे	लॉट	1	10.28				
		(0)	(0.00)	-	-	-	-
ऑटोमेशन ऑफ टैंक ट्रक फिलिंग	सेट	1P	13.77				
		(1P)	(34.70)	-	-	-	-
वेल्डिंग रोबोट कंट्रोलर	संख्या						
		(1)	(51.40)				
		कुल	**176.53**		**0.00**		**0.00**
सीएफपी, रुद्रपुर							
एचएडब्ल्यूएम	संख्या	0	0.00	8	0.40	8	0.40
		(0)	(0.00)	(8)	(0.40)	(8)	(0.40)
एसडब्ल्यूएचएस	संख्या	2135	236.79	361	21.12	243	12.48
		(1202)	(133.85)	(262)	(14.27)	(361)	(21.12)
सोलर लैन्टर्न	संख्या	16831	530.27	655	10.48	1190	15.72
		(10770)	(362.03)	(230)	(3.45)	(655)	(10.48)
		कुल	**767.06**		**32.00**		**28.60**
एचईआरपी, वाराणसी							
बॉयलर/टरबाइन एवं सहायक उपकरणों			2805.99		152.64		107.41
के लिए अतिरिक्त कलपुर्जे एवं मरम्मतें		-	(2565.60)	-	(104.64)	-	(152.64)
		कुल	2805.99		152.64		107.41

अनुसूची-20 (जारी)
बिक्री, प्रारम्भिक स्टॉक एवं अन्तिम स्टॉक

(रुपयेलाख में)

उत्पाद	इकाई	वर्ष 2001-2002 के दौरान बिक्री		1.4.2001 को तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक		31.3.2002 को तैयार माल का अन्तिम स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
उच्च अनुसंधान परियोजना							
अन्य (सेवाएँ)			58.85				
		-	(101.52)	-	-	-	-
		कुल	**58.85**		**0.00**		**0.00**
टीपीजी, भोपाल							
अतिरिक्त कलपुर्जे (सेवाओं सहित)			14823.11	-	0.00	-	318.63
		-	(13492.43)	-	(0.00)	-	(0.00)
		कुल	**14823.11**		**0.00**		**318.63**
		कुल जोड़	**728662.54**		**17472.66**		**14552.66**

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

		संख्या	मूल्य (रु. लाख)
*	टन भार सही निर्धारित नहीं किया जा सका।		
@	बॉयलर का डब्ल्यूआईपी माने गए आदि स्टाक को छोड़कर	2588	83.24
	बॉयलर में प्रयोग हेतु वाल्व्स	36694	2165.45

** इसमें बॉयलर संयंत्र के लिए चल रहे कार्य के लिए 46 मी.टन (21.34 लाख रुपए) का प्रारंभिक स्टाक और अंत स्टाक के 56 मी.टन (27.68 लाख रुपए) शामिल नहीं है।

'P' द्वारा आंशिक रूप से पूर्ण एकक, 'T' द्वारा टरबाइन, 'G' द्वारा जेनरेटर और `H.Ex' द्वारा ऊष्मा विनिमायक (हीट एक्सचेंजर) को दर्शाया गया है।

'+' इसमें फॉसिल बॉयलर हेतु बीएपी रानीपेट के संयुक्त कारोबार के 27980 मी.टन (गत वर्ष 20434 मी.टन) शामिल हैं।

अनुसूची-21
अनुज्ञप्त क्षमता, संस्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

क्रम सं.	उत्पाद		संस्थापित क्षमता 2001-2002	संस्थापित क्षमता 2000-2001	वास्तविक उत्पादन 2001-2002	वास्तविक उत्पादन 2000-2001
भोपाल						
1	टर्बो सेट					
	- स्टीम टरबाइन	संख्या	3	3	0	0
		मे.वा.	360	360	0	0
	- मेरिन टरबाइन	संख्या	2	2	0	0
		मे.वा.	24	24	0	0
	- न्यूक्लियर टरबाइन	संख्या	1	1	0	0
		मे.वा.	236	236	0	0
	- इन्डस्ट्रियल टरबाइन	संख्या	0	0	0	2
		मे.वा.	0	0	0	0
2	हाइड्रो सेट					
	- हाइड्रो टरबाइन	संख्या	12	12	5	6
		मे.वा.	720	720	395	376
	- हाइड्रो जेनरेटर	संख्या	12	12	7	7
		मे.वा.	720	720	795	230
3	बड़ी इलेक्ट्रिकल मशीन	संख्या	100	100	97	102
4	ट्रैक्शन मशीनें (टीजी/एजी, ब्लोअर मोटर, बीपीआरवी इत्यादि सहित)	संख्या	2850	2850	3473	2165
5	पावर ट्रांसफार्मर	संख्या	65	65	71	51
		एमवीए	10000	10000	8948	7362
6	इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर	संख्या	200	200	547	398
7	इलेक्ट्रिकल मशीनें	संख्या	550	550	471	400
8	स्विचगियर	संख्या	3000	2640	3061	2818
9	कैपेसिटर	एमवीएआर	3200	1500	2380	963
10	औद्योगिक कंट्रोल गियर	संख्या	250	250	7	4
11	ट्रैक्शन कंट्रोल गियर	सेट	220	220	192	187
12	नियन्त्रण उपस्कर	सेट	600	600	534	680
13	ऊष्मा विनिमायक	संख्या	52	52	15	11
		एमटी	1100	1100		
14	नियंत्रण पैनल	संख्या	600	600	592	562
15	कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम	टन	2700	2700	0	0
	झांसी					
1	पावर ट्रांसफार्मर 33kV/ 132kV #	संख्या/एमवीए	65/4000	65/4000	91/4663	79/3756
2	अन्य ट्रांसफार्मर					
	- विशेष कार्य ट्रांसफार्मर (ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर इत्यादि)	संख्या	180	180	59	42
	- ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर (फ्रेट लोको और एसीईएमयू)	संख्या	140	140	66	32

अनुसूची-21 (जारी)
अनुज्ञप्त क्षमता, संस्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

क्रम सं.	उत्पाद		संस्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन	
			2001-2002	2000-2001	2001-2002	2000-2001
	– इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर	संख्या	1960	1960	1635	1074
	– ईएसपी ट्रांसफार्मर	संख्या	*	*	110	86
3	बस डक्ट	सेट	@	@		
4	डीजल शंटर्स	संख्या	10	10	2	4
5	एसी लोकोमोटिव (6500 एचपी तक)	संख्या	30	30	-	-

* ईएसपी ट्रांसफार्मरों का विनिर्माण इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की संस्थापित क्षमता का उपयोग करके किया जा रहा है।

@ बस डक्ट का विनिर्माण ट्रांसफार्मर की वर्तमान क्षमता के अंदर किया जा रहा है।

2001-2002 के वास्तविक उत्पादन में निम्नलिखित उत्पादों के लिए आंतरिक उपयोग हेतु किए गए कार्य शामिल हैं:
ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर : 2 संख्या

31.3.2001 को एफ जी केअंतिम शेष में दर्शाये गये एक विद्युत ट्रांसफॉर्मर को केन्नीबेलाइज्ड कर दिया गया है।

हीप, हरिद्वार

1	टर्बो सेट	मे.वा.	3500	3500	2330	500
2	हाइड्रो सेट	मे.वा.	625	625	15	
3	इलेक्ट्रिकल मशीन	मे.वा.	450	450	114	126
4	हल्के एयरक्राफ्ट	संख्या		-		
5	गैस टरबाइन @@	मे.वा.			450	
6	सुपर रेपिड गन	संख्या	3	3		

@@ 600 मेगावाट गैस टरबाइनों के समकक्ष रोटर, मौजूदा थर्मल सेट्स सुविधाओं में से गैस टरबाइन के लिए शेष संघटक जैसे गैस टरबाइनों, संघटकों के विनिर्माण के लिए संस्थापित क्षमता।

सीएफएफपी, हरिद्वार

1	स्टील कास्टिंग	एम.टी.	6000	6000	3117	2775
2	स्टील फोर्जिंग					
	(क) हेवी फोर्जिंग	एम.टी.	2410	2410	841	690
	(ख) मीडियम फोर्जिंग	एम.टी.	3000	3000	1642	1815
3	बिलेट्स और ब्लूम्स	एम.टी.	4000	4000	446	391
4	सीआई कास्टिंग	एम.टी.	7170	7170		
5	एनएफ कास्टिंग	एम.टी.	250	250	20	30

हैदराबाद

1	थर्मल सेट	मे.वा.	770	770	120	197
2	औद्योगिक टर्बो सेट	मे.वा.	65	65	110.99	95.32
3	गैस टरबाइन और सहायक उपकरण	मे.वा.			440.8	546.46
4	कम्प्रेसर	संख्या			7	7
5	ड्राइव टरबाइन	संख्या	12	12	4	5
6	पम्प	संख्या	137	137	52	47
7	ब्रेकर्स	संख्या	1050	1050	200	136
		132 केवी ईक्यूए	xx 1035	xx 1035	622	331.55

अनुसूची-21 (जारी)
अनुज्ञप्त क्षमता, संस्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

क्रम सं.	उत्पाद		संस्थापित क्षमता 2001-2002	संस्थापित क्षमता 2000-2001	वास्तविक उत्पादन 2001-2002	वास्तविक उत्पादन 2000-2001
8	बॉउल मिल्स	संख्या	80	80	40	26
9	एच.पी. हीटर	संख्या	20	20	45 #	49 #
10	डी-एरेटर्स	संख्या			6	5

\# एचपी हीटरों की क्षमता का उपयोग करके विनिर्मित, एचपी हीटर, गैस कूलर और विशेष हीट एक्सचेंजर शामिल हैं।

xx 132 के.वी. की समान संख्या में ब्रेकर।

टिप्पणियां क. मद संख्या (3), (4) और (10) के लिए संस्थापित क्षमता का उल्लेख अलग से नहीं किया जा सकता है क्योंकि बीएचईएल, हैदराबाद में बिना किसी अतिरिक्त/न्यूनतम सुविधाओं के साथ इन उत्पादों में विविधता थी।

1) क्रम सं. (3) की गैस टरबाइनों और सहायक उपकरणों का विनिर्माण क्रम सं. (1) व (2) की सुविधाओं के उपयोग से किया जाता है।

2) क्रम सं. (4) के कम्प्रेसरों का विनिर्माण क्रम सं (5) की सुविधाओं के उपयोग से किया जाता है।

3) क्रम सं. (10) के डी-एरेटरों का विनिर्माण क्रम सं. (9) की सुविधाओं के उपयोग से किया जाता है।

ख. मद संख्या (1), (2) और (3) के सामने दिये गये वास्तविक उत्पादन आंकड़ो में वे सेट्स शामिल हैं, जिनके लिए सिर्फ आंशिक सेटों का आदेश दिया गया था, जैसे टरबाइन रहित अथवा जेनरेटर रहित सेट।

ईडीएन, बंगलौर

क्रम सं.	उत्पाद		संस्थापित क्षमता 2001-2002	संस्थापित क्षमता 2000-2001	वास्तविक उत्पादन 2001-2002	वास्तविक उत्पादन 2000-2001
1	ऊर्जा मीटर	संख्या	600000	600000	460050	585151
2	कैपेसिटर-इलेक्ट्रोलाइटिक	एमएलएनएस	0	0	0	0.03
3	नियंत्रण उपस्कर	क्यूबिकल	1200	1200	1000	871
4	विद्युत युक्तियां	संख्या	30000	30000	8537	8875
5	पी.वी. पैनल	केडब्ल्यूएस	2000	2000	1070	665
6	दूरसंचार	लाइंस	275000	275000	333776	301864
7	सिमुलेटर्स (डिफेंस इलेक्ट्रोनिक्स)	सेट	*	*	172	2008

* उत्पाद मिश्रण के आधार पर मात्रा में भिन्नता के कारण इसका पता नहीं लगाया जा सकता।

युक्तियों में निवल आंतरिक मुद्दे शामिल हैं	2001-2002	2000-2001
विद्युत युक्तियां	2487	2270

तिरूची

क्रम सं.	उत्पाद		संस्थापित क्षमता 2001-2002	संस्थापित क्षमता 2000-2001	वास्तविक उत्पादन 2001-2002	वास्तविक उत्पादन 2000-2001
1	बॉयलर्स	एमटी	+* 108000	+* 108000	+* 104991	+* 94131
2	वाल्वस	एमटी	*A 2712	*A 2712	4258	3970
3	न्यूक्लियर स्टीम जेनरेटिंग उपस्कर	एमडब्ल्यू	** 382/500	** 382/500	XX	XXX
4	सीमलैस स्टील ट्यूब	एमटी	40000	40000	20376	18306
5	आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल	संख्या	25	25	7	30

\+ प्रक्रिया उद्योगों के लिए उपस्कर के विनिर्माण हेतु 5000 मीटरी टन शामिल है।

** 235 मेगावाट के 6.5 स्टीम जेनरेटर और 6.5 रिएक्टर हैडर्स (अथवा) 500 मेगावाट के लिए 4 स्टीम जेनरेटर और 4 रिएक्टर हैडर्स के अनुकूल।

A गोइंदवाल/आईवीपी के 788 मी.टन को छोड़कर।

* उपसंविदा और उप सुपुर्दगी शामिल है।

अनुसूची-21 (जारी)

अनुज्ञप्त क्षमता, संस्थापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

क्रम सं.	उत्पाद		संस्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन	
			2001-2002	2000-2001	2001-2002	2000-2001
XX	क्षमता का उपयोग न्यूक्लियर परियोजनाओं के लिए संघटकों के विनिर्माण हेतु किया गया तथा 2001-2002 के दौरान अन्य हीट एक्सचेजरों, प्रेशर वेसेल्स, 2 स्टीम जेनरेटरों, 1 पेसिव कूलर, 1 प्री-कूलर, 1 ब्लीड कूलर, 2 स्टेंडबाई कूलिंग, एच एक्स, 4 स्टेंडबाई कूलरों का विनिर्माण किया गया।					
XXX	क्षमता का उपयोग न्यूक्लियर परियोजनाओं के लिए संघटकों के विनिर्माण हेतु किया गया तथा 2000-2001 के दौरान अन्य हीट एक्सचेंजरों, प्रेशर वेसेल्स, 1 इनर वेसेल, 2 स्टीम जेनरेटरों, 1 ब्लीड कूलर एवं 1 इमरजेंसी कन्डेन्सर का विनिर्माण किया गया था।					
बीएपी, रानीपेट						
1	बॉयलर के सहायक उपकरण	एमटी	57000	57000	42238	35325
2	विंड मिल *	एमटी				
	* कोई अन्य संस्थापित क्षमता नहीं जोड़ी गई।					
आईवीपी, गोइंदवाल						
	औद्योगिक वाल्व	एमटी	788	788	616	556
		संख्या			4854	4804
ईपीडी, बंगलौर						
1	इन्सुलेटर्स और बुशिंग	सीएमटी	6250	6250	5214	4171
2	समन्वायोजित उत्पादन	एमटी			8253	6412
3	सेरेलीन	सीएमटी	745	745	769	690
4	सेरेलीन (समन्वायोजित)	एमटी			1639	1495
आईपी, जगदीशपुर						
1	इन्सुलेटर्स	सीएमटी	6000	6000	4641	3973
2	सेरेलीन	सीएमटी	330	330	508	499
सीएफपी, रुद्रपुर						
1	एस.डब्ल्यू.एच.एस.	संख्या	4000	4000	2020	1316
2	सोलर लैन्टर्न	संख्या	4000	4000	17377	11406

अनुसूची-22

(रुपये लाख में)

		31.03.2002 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2001 को समाप्त वर्ष के लिए
आयात और निर्यात के संबंध में सूचना			
आयात का मूल्य			
लागत, सीमा और मालभाड़ा के आधार पर			
कच्चा माल		29684.35	28523.82
संघटक तथा अतिरिक्त पुर्जे		101722.46	94748.53
पूंजीगत माल		6376.58	6114.60
निम्नलिखित के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय का कारण			
रॉयल्टी		104.76	137.42
काम की जानकारी, व्यावसायिक परामर्श शुल्क,		1028.17	1932.84
ब्याज तथा अन्य (विदेशी स्थलों सहित)		1372.09	2265.07
लाभांश : @			
- अंतरिम लाभांश			
क) अनिवासी शेयर धारकों की	(संख्या)		212
ख) धारित शेयरों की	(संख्या)		28691697
ग) लाभांश की सकल राशि			430.38
- स्रोत पर काटा गया कर शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रु.)			
घ) लाभांश का वर्ष			1999-2000
- अंतिम लाभांश			
क) अनिवासी शेयर धारकों की	(संख्या)	269	240
ख) धारित शेयरों की	(संख्या)	38815286	30816140
ग) लाभांश की सकल राशि		1164.46	462.24
- स्रोत पर काटा गया कर शून्य रुपए (गत वर्ष शून्य रु.)			
घ) लाभांश का वर्ष		2000-2001	1999-2000

@ अनिवासी शेयरधारकों को 1999-2000 और 2000-2001 से सम्बंधित लाभांश का भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं किया गया, जिसका भुगतान क्रमश: 2000-2001 और 2001-2002 वित्तीय वर्षों के दौरान किया गया। भुगतान भारत में उनसे सम्बद्ध बैंकरों/पावर ऑफ अटार्नीधारकों को किया गया है और इसीलिए विदेशी मुद्रा में किए गए लाभांश भुगतान की निश्चित राशि का पता नहीं चल सकता है।

कच्चे माल, संघटक, भंडार और अतिरिक्त कलपुर्जों की खपत का मूल्य			
# आयातित (सीमा शुल्क सहित)		144531.36	129037.56
स्वदेशी		186145.46	175923.55
कुल खपत का प्रतिशत			
आयातित		44	42
स्वेदशी		56	58
विदेशी मुद्रा में आय			
माल का निर्यात (एफओबी आधार पर) **		97464.30	23155.19
ब्याज		127.01	184.06
उत्थापन प्रभार		1252.75	1590.74
विविध		102.73	15.13

** इसमें मानित निर्यात के कारण रु. 117850.09 लाख (पिछले वर्ष रु. 91717.60 लाख) शामिल नहीं है।

सरणीबद्ध मदें जहां कहीं भी अभिनिश्चित हैं, सम्मिलित की गई हैं।

अनुसूची-23

(रुपये लाख में)

			31.03.2002 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2001 को समाप्त वर्ष के लिए
उपयोग में लाये गये कच्चे माल तथा संघटकों का विवरण					
सामग्री का वर्ग	इकाई	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लौह सामग्री	एमटी	120,410	(रुपये लाख में)	151,004	(रुपये लाख में)
	मीटर	3,988,324		3,817,865	
	संख्या	1,027,122		1,036,656	
	वर्गमीटर	31,826		71,000	
	किलोग्राम	28,349,851		22,790,503	
	एससी			13,100	
	अन्य	3		214	
			65778.57		64270.41
अलौह सामग्री	एमटी	96,056		746	
	मीटर	131,903		151,470	
	संख्या	118,635		99,369	
	किलोग्राम	3,410,500		3,938,687	
	आरएल	11,914		3,745	
	सेट	420		846	
	अन्य	9,220		9,383	
			9753.51		8977.36
विद्युतरोधी सामग्री	मीटर	28,278,578		24,433,711	
	एमटी	4,317		3,971	
	संख्या	94,755		102,824	
	वर्गमीटर	219,386		169,666	
	किलोग्राम	888,542		622,126	
	एम3	2		8	
	एलटी	4,124,254		2,011,728	
	आरएल	132,212		64,440	
	एम2	71,941		38,945	
	एसटी	1,360		42	
	अन्य	62,827		1,175	
			6763.47		5448.14
इंसुलेटेड केबल तथा चुम्बकीय तार	मीटर	322,273		284,398	
	संख्या			99	
	किलोग्राम	246		80	
संघटक			211.39		226.74
अन्य			224489.62		198573.47
			6301.56		8166.14
			313298.12		**285662.26**

ह./-
एन.के. सिन्हा
सचिव

ह./-
सी. श्रीनिवासन
निदेशक (वित्त)

ह./-
के.जी. रामचन्द्रन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते शिरोमणि त्यागी एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./-
(प्रदीप त्यागी)
भागीदार

दिनांक : अगस्त 16, 2002
स्थान : नई दिल्ली

31.03.2002 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रुपयेलाखमें)

		2001-2002		2000-2001
क. परिचालन कार्यकलाप से नकद प्रवाह				
कर-पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		**86282.82**		**45032.05**
समायोजन				
मूल्यह्रास के लिए		16952.67		15772.08
विदेशी मुद्रा विचलन के लिए		0.00		48.00
ब्याज के लिए		9697.57		4376.41
ब्याज/लाभांश आय के लिए	(–)	5508.42	(–)	4651.31
बंधपत्रों के प्रतिदान पर अर्जन/प्रीमियम		0.00		0.00
नियत परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ के लिए	(–)	183.44	(–)	164.08
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**107241.20**		**60413.15**
समायोजन				
व्यापार एवं अन्य प्राप्य के लिए	(–)	37597.91	(–)	31866.23
मालसूची के लिए		4051.32	(–)	26845.99
संदेय व्यापार और अन्य देयताएं		54341.83	(–)	42591.60
परिचालनों से प्राप्त नकद		**128036.44**	(–)	**40890.67**
अदा किया गया ब्याज	(–)	8119.73	(–)	4158.08
अदा किया गया प्रत्यक्ष कर	(–)	23230.36		1851.88
असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह		**96686.35**	(–)	**43196.87**
असाधारण मदें	(–)	22068.38	(–)	14388.11
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकद		**74617.97**	(–)	**57584.98**
ख. निवेश कार्यकलापों से प्राप्त नकद				
नियत परिसंपत्तियों की खरीद	(–)	20714.48	(–)	19475.69
निवेशों की खरीद		0.00		0.00
संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश		0.00		0.00
नियत परिसंपत्तियों की बिक्री और खरीद		771.24	(–)	458.84
निवेशों की बिक्री		0.00		0.00
ब्याज और लाभांश प्राप्तियां		5882.41		4853.84
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकद		**14060.83**		**15080.69**
ग. वित्तीयन कार्यकलापों से नकद प्रवाह				
शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्तियां		0.00		0.00
अल्पावधि उधार	(–)	72707.10		53121.10
ऋणों की चुकौती		61502.90	(–)	1613.10
अदा किया गया लाभांश	(–)	8091.71	(–)	8532.69
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकद		**19295.91**	(–)	**42975.31**
घ. नकद और नकद के समकक्ष वस्तुओं में निवल वृद्धि/(कमी)		**41261.23**	(–)	**29690.36**
नकद एवं बैंक शेष		33303.58		36060.08
नकद उधार	(–)	26933.86		0.00
(आरम्भिक शेष)		**6369.72**		**36060.08**
नकद एवं बैंक शेष		47658.92		33303.58
नकद उधार	(–)	27.97	(–)	26933.86
(अंतिम शेष)		**47630.95**		**6369.72**

ह./–
एन.के. सिन्हा
सचिव

ह./–
सी. श्रीनिवासन
निदेशक(वित्त)

ह./–
के.जी. रामचन्द्रन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए
हमारे द्वारा लेखा परीक्षा किए गए कंपनी के लेखों से तैयार किया गया है।

कृते शिरोमणि त्यागी एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह./–
(प्रदीप त्यागी)
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अगस्त 16, 2002

उन लघु औद्योगिक उपक्रमों के नाम, जिनसे कंपनी ने 1 लाख रु. से अधिक की राशि ली है जो कि करार के निबंधनों के अंतर्गत 30 दिन से अधिक समय से बकाया है।(दिनांक 22 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं. जीएसआर 129 (ई) के निबंधनों में)

2 एम कम्पनी
21वीं सेन्चुरी फैब्रीकेटर्स
ए बाँड स्ट्रेंड्स प्रा. लि.
ए-1 इंडस्ट्रीज
ए. बी. मेटल फॉर्मर्स (प्रा.) लि.
ऐक्मे फोर्जिंग्स प्रा. लि.
एयरोवेन्ट प्रोजेक्टस प्रा. लि.
एजी मेजरमेटिक्स प्रा. लि.
एजाइल हैवी इंजी., प्रा. लि.
अहसान अली इंजी. वर्कशॉप
आयशू कॉस्टिंगस प्रा. लि.
अजन्ता फैब्रीकेशन वर्क्स
अजमेर मिनरल्स एंड ग्राइंडिंग कम्पनी
एलर्ट इंजीनियरिंग इंटरप्राइजिज
एलाइसंस इंडस्ट्रीज
एलाइड रबर प्रॉडक्टस
एल्टेक फैब्रीकेट्र्स
एल्यूकोट एप्लीकेट्र्स प्रा. लि.
एल्यूमेटल वर्क्स (प्रा.) लि.
अम्बरनाथ ट्रांसफॉमर्स
अम्बिका फोरजिंग्स
अमेज इम्पैक्स, अहमदाबाद
एएमपी कंट्रोल इक्विपमेंट्स प्रा. लि.
एएन इंस्ट्रूमेन्ट्स प्रा. लि.
आनन्द उद्योग
आनन्दा फैब्रीकेशन
अनुपम इंडस्ट्रीज
अनुपम मुदरम
अरावली मिनरल्स (प्रा.) लि.
एरको इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजिज (प्रा.) लि.
एरको इंडस्ट्रीज
अरूण स्ट्रक्चरल्स
अरूणा मशीन टूल्स
अशोका इलेक्ट्रोनिक्स
एसोसिएटिड इंजीनियर्स
एसोसिएटिड इंटरप्राइज
एसोसिएटिड रोड कैरियर्स लि.
एथेना कंट्रोल्स (इंडिया) लि.
एटलस फास्नर्स
एवी इंजीनियरिंग वर्क्स
एवी वॉल्व्स लिमिटेड
बी. के. इंटरप्राइजिज
बी. टी. सॉल्डर प्रा. लि.
बी. वी. के. इंडस्ट्रीज
बाबूभाई नरोत्तमदास एंड कम्पनी
बेबी इंडस्ट्रीज
बालाजी इंजी. इंटरप्राइजिज
बंगलौर मैलिएबल्स
बंगलौर नॉनफैरस कॉस्टिंग
बंसल फैबवेल इंडस्ट्रीज
बड़ौदा रोलिंग वर्क्स
बेन्ड ज्वाइंट्स
भागीरथ कोच बिल्डर्स
भंवर सेल्स कॉरपोरेशन
भारत केमिकल एंड जनरल इंडस्ट्रीज
भारत मिनरल्स
भारत स्टैम्पिंग प्रॉडक्ट्स
भारत ट्रेडिंग कम्पनी
भारत इंजीनियरिंग वर्क्स
भारतीय एल्मैक कॉरपोरेशन
भवानी ऑटोमेट्स
भोपाल इंजीनियरिंग
भोपाल टिम्बर्स
बीमको इंजी. इंटरप्राइजिज इंडस्ट्रीज
बिन्दु इंटरप्राइजिज
ब्लास्टर एंड कोरोजन प्रीवेन्टर
बीएमडब्ल्यू स्टील्स लिमिटेड
बॉम्बे ऑयल सील्स कं.
बोरा ब्रदर्स इंडस्ट्रीज
ब्राउन्स हाईटैक स्ट्रक्चर प्रा. लि.
बम्पर इंडिया प्रा. लि.
बाइट कम्युनिकेशंस प्रा. लि.
कैलबर्ग इंजीनियरिंग
कॉलमेट इंडस्ट्रीज
कनारा मेटल वर्क्स
केप्रोनिक्स प्रा. लि.
कावेरी इंजीनियरिंग वर्क्स
क्यूब सिस्टम्स
केनलूब इंडस्ट्रीज लि.
चैम्पियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
चौधरी एंड सन्स (फोरजिंग्स) प्रा. लि.
चेतन फास्नर मैन्युफैक्चर्स
छबि इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.
चीनो लैक्ससन्स (इंडिया) प्रा. लि.
कोयम्बतूर सुपर एलॉयज प्रा. लि.
कनेक्ट वैल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
कंट्रोल डायनामिक्स
कंट्रोल इन्फोटेक लिमिटेड, बंगलौर
कंट्रोल सिस्टमस
कॉपर स्ट्रिप्स प्रा. लि.
कॉरी इंजीनियरिंग प्रा. लि.
क्राफ्टसमैन ऑटोमेशन प्रा. लि.

क्रिसेंट वाल्वस मैन्यू. कं. प्रा. लि.
क्राउन फर्नीचर एंड सा मिल इंडस्ट्रीज
क्रिस्टल केमिकल प्रॉडक्टस
डी के इलेक्ट्रो-मेक कॉरपोरेशन
दीपक इंडस्ट्रियल इंजी. वर्क्स
दीपम इंजीनियरिंग इंटरप्राइजिज
डेल्टा ट्रांस कंडक्टर्स (प्रा.) लि.
डिजाइन एंड असेम्बलीज इंक.
धनलक्ष्मी डाई कास्टिंग्स
धातु निर्माण प्रा. लि.
डाइइलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन
दिनेश इंजी. कॉरपोरेशन
डाल्फिन स्क्रीन्स
दून गैलवेनाइजिंग (प्रा.) लि.
दमदम वॉल्व्स एंड बेयरिंग प्रा. लि.
दुरई इंडस्ट्रियल वर्क्स
एफीशियेंट फास्नर मैन्युफैक्चरर्स
इलेक्ट्रो ऑटो इंडस्ट्रीज
इलेक्ट्रो मेकैनिकल्स
इलेक्ट्रो सिस्टम्स एसोसिऐट्स प्रा. लि.
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल एन्सीलियरीज
इलमेक कम्पोनेन्ट्स इंडस्ट्रीज
इलमैक्स कंट्रोल्स प्रा. लि
एलप्रो इंजीनियरिंग
ई एम इलेक्ट्रोनिक्स (प्रा.) लि.
इंजीनियरिंग इंटरप्राइजिज
इंटेक इर्ड इंटरनेशनल (इंडिया) लि.
इंटरप्राइजिंग इंजीनियर्स
ई पी प्रॉडक्ट्स
ई पी सी इलेक्ट्रिकल प्रा. लि.
ईपीई प्रोसेस फिल्टर्स एंड एक्यूम्यूलेटर्स प्रा. लि.
एसवी पैकेजिंग प्रा. लि.
एसेन डिंकी
यूरोफ्लैक्स ट्रांसमिशन्स (इंडिया) प्रा. लि.
यूटोटैक इंजीनियरिंग
एवरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स काम्पो. प्रा. लि.
एक्सेल इंजीनियर्स
एक्सेल इंजीनियर्स, पाटन कैम (एपी)
एक्सेल हाइड्रो-न्यूमैटिक (प्रा.) लि.
एक्सेल इंडस्ट्रीज
एक्सेल पार इलेक्ट्रॉनिक्स
एक्सेल प्रेसिंग्स
एक्सेल प्रोसेस (बंगलौर) प्रा. लि.
फार्मर्स इंजीनियर्स
एफसीक्यू पॉवर इंडस्ट्रीज
एफई एन एफई मैटेलर्जिकल्स
फाइब्राडाइट प्रॉडक्ट्स प्रा. लि.
फाइबर ग्लास मोल्डिंग कं.
फिशर रोजमाउंट (इंडिया) लि.
फाइव स्टार इंडस्ट्रीज
फ्लोरीकॉन इंटरप्राइजिज
फ्लूयड लाइन इंजी. एवं फैब्रीकेटर्स
फोर्टीफोरी प्लास्टिक्स लि.
फ्यूजितस्यू ऑपटेल लि.
जी. एस. एलायज कॉस्टिंग्स प्रा. लि.
गैलेक्सी कंट्रोल्स प्रा. लि.
गार्गी इंटरप्राइजिज
जीबी इंजी. इंटरप्राइजिज प्रा. लि.
जी एनर्जी सिस्टम (इं.) लि.
जिरथाना इंजी. वर्क्स
जेम इक्विपमेंटस
गाजियाबाद इस्ताप उद्योग प्रा. लि.
ग्लास फाइबर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज
गो गोल इंजी. इंडस्ट्रीज
गोल्डन प्लास्टिक इंटरप्राइजिज
गुडलैस नेरोलेक पेंटस लि.
गोयल एम जी गैसिस लिमिटेड
गोयोलीन फाइबर (इंडिया) प्रा. लि.
जी एस एलॉय कॉस्टिंगस प्रा. लि.
गुजरात स्मेलटिंग एंड रिफाइनिंग कं प्रा. लि.
गुलाब चन्द कोचर
गुरू नानक इंजीनियरिंग वर्क्स
ग्वालियर टैंक्स एंड वैसल्स लि.
हरिहर एलॉय कॉस्टिंग लि.
हरिता इंडस्ट्रीज
हीटर्स इंडिया
हैवी मेटल एंड टयूब्स प्रा. लि.
हिलपाइन इंडस्ट्रीज
हिमगिरी इंजी. इंडस्ट्रीज
हिन्दुस्तान फोरजिंग्स
हाई-टैक रेजिस्टर्स प्रा. लि.
हाई-टैक हैवी इक्विपमेंट्स प्रा. लि.
हितेश स्क्रू प्रॉडक्टस
एचएमडब्ल्यू मैटल वर्क्स (प्रा.) लि.
हैदराबाद कॉस्टिंग्स लि.
हैदराबाद हैवी इंजीनियरिंग प्रा. लि.
हैदराबाद हैवी मशीनिंग इंडस्ट्रीज
हाइड्रोपैक (इंडिया) प्रा. लि.
हाइड्रोक्विप इंजीनियंरिंग
आई.टी.एम.प्रा.लि.
आईई इंजी. इंटरप्राइजिज प्रा. लि.
इफ्तखार टिम्बर वर्क्स

आईजीपी इंजीनियर्स प्रा. लि.
इनापुरी एन्सिलरी इंडस्ट्रीज
इंडिया इंसुलेटर्स
इंडियन कोर ऑयल्स प्रा. लि.
इंडियन मैटल्स एंड एलॉयज मैन्यु. कं.
इंदिरा इंडस्ट्रीज
इंडो-टैक प्रेसिज़िन प्रॉडक्ट्स प्रा. लि.
इंडस्ट्रियल टेप्स एंड फैब्रिक्स प्रा. लि.
इस्डस्ट्रियल टयूब्स मैनुफैक्चरर्स प्रा. लि.
इनफोकन्ट्रोल सिस्टम्स इन्क.
इंगरसोलैंड वैडको टूल्स लि.
इनोवेशन्स
इन्सप्रोस इंजीनियर्स प्रा. लि.
इन्स्ट्रूमैंट्स एण्ड कन्ट्रोल्स
इन्टीग्रल सिस्टम्स एण्ड कम्पोनेंटस प्रा. लि.
इन्टीग्रेटिड इलैक्ट्रो टैक प्रा. लि.
इन्ट्रा विद्युत लि.
अय्यप्प इंजी. इन्डरस्ट्रीज
जे.वी. इन्डस्ट्रीज
जाडोन इंजी इन्डस्ट्रीज
जय गणेश इंजी.
जयराम इंजीनियरिंग
जयश्री इलेक्ट्रॉन प्रा. लि.
जायसवाल्स निको लि.
जेडीएम एन्टराप्राइज
जिंदल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
जिंदल स्टील प्रोडक्ट्स लि.
जेएमसी मेकैनिकल इंजी. (प्रा.) लि.
जेएमपी ऑटो
जेएमपी मैनुफैक्चरिंग कं.
के.सी.एस. फास्टनर्स
के. के. इंजीनियरिंग वर्क्स
के. आर. इन्डस्ट्रीज
के. एस. इंसट्रूमेंट्स प्रा. लि.
कल्पा इलेक्ट्रीकल प्रा. लि.
कल्याणी इंजी. वर्क्स गाजियाबाद
कानपुर मेटल प्रोडक्ट्स
कप्पा इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
कैपट्रोनिक्स (प्रा.) लि.
कारेयन प्रेसिशियन मशीन्स प्रा. लि.
कर्नाटक प्लास्टो इन्डस्ट्रीज (प्रा.) लि.
कर्नाटक प्रैस टूल्स
केरल इलेक्ट्रीकल एण्ड एलाइड इंजी.
किसान मेकैनीकल वर्क्स
किसान स्टील्स प्रा. लि.
किथ इंजीनियरिंग
कियोश इलैक्ट्रोनिक्स
किरण राडेर प्रा. लि.
कृष्णा इंजी. कं. प्रा. लि.
कृष्णा गैल वर्क्स
कुमारन इंडस्ट्रीज
क्वालिटी फोर्जड फिटिंग्स
लगूना एन्टरप्राइजिज
लक्ष्मी इंजी. वर्क्स
लक्ष्मी एन्टरप्राइजिज
ललिता इन्डस्ट्रीज
लक्ष्मी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
लक्ष्मी इंजीनियरिंग
ली वेडला इन्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन
लेवकॉन इंस्ट्रूमेंटस प्रा. लि.
लेवकॉन वॉल्वस प्रा. लि.
लिफ्टिंग इक्विपमेंट एण्ड एक्सेसरीज
लिपि एनग्रेवर्स
लोनस्टार इन्डस्ट्रीज
एम. हरिनाथ एंड कम्पनी
एम. के. एन्टरप्राइजिज
मध्य प्रदेश क्यूपरो मेटल्स प्रा. लि.
मद्रास क्यूप्रम मेटल्स (प्रा.) लि.
मद्रास इंन्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स
मनीषा रबर एन्टरप्राइजिज
मनिक्शन इन्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन
मन्जुंथा प्रिन्टर्स
मन्टैक इंजीनियरिंग एन्टरप्राइसिस
मरूधर लैमिनेशन्स (प्रा.) लि.
मास कास्ट्स
मैक. एण्ड फैब इन्टस्ट्रीज
मेकेनिकल कन्स्ट्रक्टर्स
मीनाट्ची इन्डस्ट्रीज
मेही उद्योग
मेकस्टर इंजी. एण्ड इक्विपमेंटस प्रा. लि.
मैटालिक बिलॉज़ प्रा. लि.
मेटप्लास्ट इन्डस्ट्रीज इण्डिया
माइका-मोल्ड
माइकाप्लाई
माइक्रो इंस्ट्रूमेंटस कं.
माइक्रोसाइन प्रोडक्टस
माइक्रोफो फिल्टर्स प्रा. लि.
मिपालॉय
एमजे इंजीनियरिंग
मॉडर्न एलाइड इन्डस्ट्रीज
मॉडर्न फैब्रीकेटर्स एण्ड इंजी.
मल्टी टैक. इंजीनियर्स
मुत्थूमीना एन्टरप्राइसिस
मैसूर पॉलीमर्स प्रा. लि.
एन. एस. इजींनियरिंग कंपनी प्रा. लि.
नाग फास्निंग सिस्टम्स
नागचन्द्रा प्लास्टो मेटल्स (प्रा.) लि.
नागादेवी इंजीनियर्स
नागार्जुना फैब्रीकेटर्स
नेशनल रिफ्रेक्ट्री

नवकेतन फर्नीचर सिस्टम्स (प्रा.) लि.
न्यू भारत इंजीनियरिंग वर्क्स ज्वालापुर
निर्मल इंजी. वर्क्स ज्वालापुर
नितिन इन्डस्ट्रीज
निवो कन्ट्रोल्स प्रा. लि.
नूतन इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज
न्यूक्लीयस इलैक्ट्रो एन्टरप्राइज
ओम शक्ति इंजीनियरिंग
ओरिएंट मैटल इंडस्ट्रीज
ओरियन
पी.वी.के. इंजीनियर्स
पद्मा मशीन शॉप
पॉल इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव
पानम कंट्रोल्स
पटनी सिस्टम्स प्रा. लि.
पर्ल इंसुलेशन्स प्रा. लि.
पीव इंजीनियरिंग
परमाली वैलेस लि.
पायोनियर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
पाइप स्पोर्ट्स इंडिया प्रा. लि.
प्लास्टिक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग
पोन्नी इंजीनियरिंग
पूजा केबल्स प्रा. लि.
पॉवर पाइपिंग कम्पनी
पॉवर लाइन इंडस्ट्रीज
प्रगति इलेक्ट्रीकल्स इंडस्ट्रीज
प्रकाश इंजीनियरिंग प्रा. लि.
प्रैमन इंडस्ट्रीज
प्रणम एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज
प्रैसी-फिट (इंडिया)
प्रेसिशि इंजीनियरिंग वर्क्स
प्रीशिजन मशीन टूल्स देहरादून
प्रीमियर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
प्रीमियर इंडस्ट्रीज
पुनीथा इंजीनियरिंग
पूर्णिमा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज
पाइरो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंटस गोवा प्रा. लि.
पाइरोटैक कंट्रोल (इंडिया) प्रा. लि.
पाइरोटेक इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.
क्वालिटी इंजीनियरिंग वर्क्स
आर. इंडस्ट्रीज
आर.एस. इंजीनियरिंग वर्क्स
आर.वी. मेहता एण्ड संस
राब पाइपवर्क्स (प्रा.) लि.
राधिका इंडस्ट्रीज
रेडिएंट केबल्स (प्रा.) लि.
राजेश इंजीनियरिंग वर्क्स
राजशी इंजीनियरिंग
राकेश इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
रलीमा इलेक्ट्रोनिक्स
राम सागर एण्ड संस
रामाकृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स
रंगासाई एलॉय कास्टिंगस
रशम एन्टरप्राइसिस
रतन इंजी. कं. (प्रा.) लि.
रैफ्रीजरेशन एंड इलेक्ट्रिकल एप्लायंसिस
रिप्रोग्राफिक्स इंडिया
रिगहिल इलेक्ट्रिक्स (पी) लि.
राइन इंजी (पी) लि.
रोहित इन्टरलॉक्स एण्ड ऑटोमेशन प्रा. लि.
आर. एस. स्टील वर्क्स
रूंगटा स्टील
एसएनटी कंट्रोल्स लि.
एस. जी. कैमिकल्स
एस. के. इंडस्ट्रीज
एस.एल.एन. एन्टरप्राइजिज
एस.वी. इंजीनियर्स
सैनी इंजीनियरिंग वर्क्स
सजस इलेक्ट्रिकल्स
सलेम ऑटोमैक
संदीप स्टीप इंडस्ट्रीज
संजय फैब्रीकेटर्स
संतोष एन्टरप्राइसिज
शारदा फैब्रीकेटर्स
सच्चितानंद प्रेसिशियन टूलिंग सेंटर
सत्यम इंडस्ट्रीज
सौरभ मैटल्स प्रा. लि.
सांइटिफिक सिलिका प्रोडक्टस
स्कोप इंजीनियरिंग वर्क्स
सीमा एन्टरप्राइजिज
सेनापति साइमोन्स इन्शूलेशन्स (प्रा.) लि.
शैम्स्ट्रोन
शंकर आयरन इंडस्ट्रीज
शांता सेल्स कॉरपोरेशन
शावो नॉरग्रेन (इंडिया) प्रा. लि.
शीला इंडस्ट्रीज हरिद्वार
शेरी फोर्ज प्रा. लि.
शेट इलेक्ट्रिकल्स (प्रा.) लि.
शिवा इंजीनियरिंग वर्क्स कलकत्ता
एसएचपीई इंजीनियरिंग
श्नाओ इंजीनियरिंग वर्क्स
श्री केबल्स एण्ड कंडक्टर्स (प्रा.) लि.
श्री हंस एलॉयज लि.
श्री कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स
श्री पोंमानी मैटल्स एण्ड एलॉयज प्रा. लि.
श्रीजी फास्नर्स
श्री दुर्गा ऑयल एण्ड स्टील वर्क्स
श्री लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स हरिद्वार
शुभम एन्टरप्राइजिज
सिल्कॉन्स इलेक्ट. मैनुफैक्चरिंग कं. प्रा. लि.

सिरवीन कंट्रोल्स सिस्टम्स
स्किल्ट फैब्रीकेटर्स प्रा. लि.
स्काईलैब इंडस्ट्रीज
स्मिथ एण्ड हैमर प्रा. लि.
एसओएल इंजीनियर्स प्रा. लि.
सदर्न लुब्रीकेशन प्रा. लि.
स्पीड स्टील इंडस्ट्रीज
श्री गायत्री इंडस्ट्रीज
श्री लक्ष्मी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
श्री वेंकटेश्वरा स्टीलाइट
श्रीनिवास मशीन टूल्स
श्री बालाजी मैटेलाइजर्स
श्री लक्ष्मी इंडस्ट्रीज
श्री लक्ष्मी कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स
श्री लक्ष्मी विटरस
श्री एम इंडस्ट्रीज
श्री राजू एण्ड राजू प्रैसट्रॉनिक्स
श्री रामा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
श्री वेंकटेश्वरा मैक. एण्ड इलैक्ट. इंजीनियरिंग वर्क्स
श्री विजय लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स
श्री साई इंजीनियर्स एण्ड फैब्रीकेटर्स
एसएस पाइप फिटिंग्स एण्ड फोर्जिंग्स
एस. एस रबर्स प्रा. लि.
स्टैण्डर्ड केबल्स लि. बेंगलूर
स्टेटिक सेफ सिस्टम
स्टील क्राफ्ट इंडस्ट्रीज यमुनानगर
स्टर्लिंग गैसिज लि.
सुभद्रा इंडस्ट्रीज
सुचित्रा इंडस्ट्रीज
सुदीप पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
सुधा इंजीनियरिंग वर्क्स
सुगो इंडस्ट्रीज
सुहास प्रेसिशियन इंजीनियरिंग वर्क्स
सुक्रुत उद्योग
सुमुका इंडस्ट्रीज
सुपर इंडस्ट्रीयल कंपोनेंटस
सुपरफ्लो फिल्टर्स प्रा. लि.
सुरेन्द्रा इंजीनियरिंग वर्क्स
टीवी इंजीनियरिंग
टालब्रॉस प्रा. लि.
टॉरस थर्मोटैक प्रा. लि.
टीसीएक्सपीएलएएस (आई.) प्रा. लि.
टेक्नीकल कंसलटैंसी एण्ड सर्विस
टेक्नोलॉजी प्रोडक्टस
टेक्नोस्ट्रैंथ
थापसंस कैमिकल्स
द हैदराबाद हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स
थर्मोवैल इंसूलेशन एण्ड पैकेजिंग प्रा. लि.
थिल्लई इंजीनियरिंग वर्क्स
टाइड स्टील कम्पनी
टोंक एण्ड एसोसिएट्स (प्रा.) लि.
टूल फैब
टूल्स एण्ड कपोंनेंटस इंडस्ट्रीज
ट्रेकोली इंजीनियरिंग प्रा. लि.
ट्रांस्पॉवर इंडस्ट्रीज
ट्रायोमैक इंजीनियरिंग प्रा. लि.
त्रिवेणी इंडस्ट्रीज
टरबोमशीनरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
ट्वाईलाइट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
उभा इन्सट्रूमेंटस प्रा. लि.
यूनिग्लास इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि.
यूनीक इंजीनियरिंग एंटरप्राइजिज
यूनिटैक मशीन्स लि.
यूनाइटिड इंजीनियरिंग एंटरप्राइजिज
यूनिटैक मशीन्स लि.
यूनाइटिड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
यूनाइटिड इंजीनियर्स
यूनाइटिड मैटल क्वॉयनर्स
यूनाइटिड मैटल (इंडिया)
यूनाइटिड रबर इंडस्ट्रीज
यूनीवर्सल ट्रॉंसफार्मर्स
उप्पल फेराकास्ट प्रा. लि.
अपर इंडिया स्पेशल कास्टिग्स लि.
उत्सव इलेक्ट्रो-मैक प्रा. लि.
वी.आर.के. इंडस्ट्रीज
वैल्यू ट्रैक इंजीनियर्स
वैपकोन मैन्यूफैक्चरिंग इंजीनियर्स
वर्षा केबल्स प्रा. लि.
वासन इंडस्ट्रीज
वसंत लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स
वसंती हैवी मशीनिंग प्रा. लि.
वसुधा इंजीनियरिंग वर्क्स
वीयेस एलॉयस प्रा. लि.
वीमा मैटल्स एण्ड कंडक्टर्स लि.
वैट्रिल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
वैट्रीवैल इंजीनियरिंग
विद्या एंटरप्राइजिज
विजय पॉवर एण्ड स्पेयर्स
विकास मशीनों फैब्स प्रा. लि.
विमलेश इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि.
विनीर इंजीनियरिंग प्रा. लि.
विशाल मैलिएबल्स
विष्णु फोर्ज इंडस्ट्रीज लि.
वी-मेघ इंडस्ट्रीज
वैजयंथ इंजीनियरिंग प्रा. लि.
वधवा ब्रदर्स इंजीनियरिंग
वैल्कट इंडस्ट्रीज
वैस्टर्न एक्सट्रूशन इंडस्ट्रीज (1975)
वैस्टर्न इंडिया फोर्जिंग्स लि.
वुड एण्ड इंसूलेशन प्रोडक्टर्स
यशमुन इंजीनियर्स लि.